लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

18-6-92
4.1.84

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. L contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

(तृतीय माला, खण्ड 50—चौदहवां सत्र, 1966)

अंक 1—सोमवार, 14 फरवरी, 1966/25 माघ, 1887 (शक)

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया . . . .

प्रधान मंत्री, सभा-नेता तथा अन्य मंत्रियों का परिचय . . . . .

निधन सम्बन्धी उल्लेख . .

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2—मंगलवार, 15 फरवरी, 1966/26 माघ, 1887 (शक)

No. 2—*Tuesday*, *February* 15, 1966/*Magha* 26, 1887 (*Saka*)

[प्र]श्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

[*]ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवायें	I. A. C. Services . .	2629–31
2	देश में सूखा और अनावृष्टि	Drought and Failure of Rains .	2631–35
3	खाद्यान्नों की आवश्यकता	Foodgrains Requirements	2635–40
4	राज्यों में अकाल की स्थिति	Famine Conditions in States .	2640–44

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
5	दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities in Delhi	2644
6	पश्चिमी घाट पर साइक्लोन (तूफान) के कारण लापता जहाज तथा माल	Vessels and Cargo lost in Cyclone in West Coast . . .	2645
7	फालतू अनाज वाले राज्यों से चावल की वसूली	Procurement of Rice from Surplus States	2645–46
8	सघन कृषि कार्यक्रम	Intensive Agricultural Programmes	2646
9	खण्ड विकास पदाधिकारी	Block Development Officers .	2646–47
10	हल्दिया पत्तन	Haldia Port	2647–49
11	केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम लिमिटेड	Central Fisheries Corporation Ltd.	2649
12	केन्द्रीय सहकारी भण्डार, दिल्ली	Central Co-operative Stores, Delhi	2649–50
13	खंड विकास अधिकारी के पद का समाप्त किया जाना	Abolition of Post of Block Development Officers	2650–51
14	चुनाव के खर्चे	Election Expenses	2651–52
15	आपातिक खाद्य कार्यक्रम	Emergency Food Programme .	2652
16	कृषि के लिए आवश्यक सामग्री देने की योजना	Scheme to Issue Agricultural Inputs	2653

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—18 Lak Sabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
17	राज्यों को अनाज का सम्भरण करने के लिये बोनस योजना	Bonus Scheme for Food Supplies to States	2653–54
18	सूखा वाले क्षेत्रों में सहायतार्थ विशेष कार्यक्रम	Special Works Programme in Drought Areas . . .	2654
19	विधि स्नातक	Law Graduates	2655
20	केरल मे चुनाव	Elections in Kerala . . .	2655–56
21	एयर इंडिया के लिए सबसानिक विमान	Subsonic Aircraft for Air India .	2656
22	आसाम और त्रिपुरा में सीमा-सड़कें	Border Roads in Assam and Tripura	2656–57
23	समन्वित कृषि योजनायें	Co-ordinated Agricultural Schemes	2657
24	उत्तरी बिहार से पटना तथा दिल्ली के बीच विमान सम्पर्क	Air link from Northern Bihar to Patna and Delhi . . .	2658
25	दिल्ली में राशन की दुकानें	Ration Shops in Delhi . .	2658
26	दिल्ली में राशन-व्यवस्था के अधीन दिये जाने वाले आटे की किस्म	Quality of Atta supplied in Ration in Delhi . . .	2658–59
27	अनाज का आयात	Import of Foodgrains .	2659
28	अनाज की राशन व्यवस्था	Food Rationing .	2659–61
29	कृषकों को प्रशिक्षण	Training of Farmers . .	2661
30	एयर इंडिया के बोइंग विमान की दुर्घटना	Crash of Air India Boeing	2661–62

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
1	उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plants . .	2662
2	कालीकट के निकट हवाई अड्डा	Airport near Calicut . .	2662
3	आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Imports	2663
4	केरल में भूमि सर्वेक्षण के अभिलेख	Land Survey Records in Kerala	2663
5	केरल में भूमिहीन खेतिहर का बसाया जाना	Settlement of Landless Agricultural Labourers in Kerala .	2663–64
6	आसाम में हवाई अड्डे	Airfields in Assam . . .	2664
7	सहकारी संस्थायें	Cooperative Organisations . .	2664
8	विकास खंड अधिकारियों के कार्य	Functions of Block Development Officers	2664–65
9	केन्द्रीय अधिनियम	Central Acts	2665
10	उपभोक्ता सहकारी भंडार	Consumers Co-operative Stores	2665
11	गन्ना-उत्पादकों को भुगतान	Payment to Sugarcane Growers	2666
12	पर्यटन केन्द्र के रूप में कालाडी	Kalady as Tourist Centre	2666

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
13	परादीप पत्तन	Paradeep Port . .	2666–67
14	चावल का आश्चर्य जनक बीज	Wonder Rice Seed .	2667
15	दिल्ली में हरिजन बस्तियों में राशन की दुकानें	Rati on Shops in Harijan Colonies in Delhi . . .	2667
16	भारत में लकड़ी का मूल्य	Cost of Wood in India .	2668
17	खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने की योजना	Scheme to increase Food Output	2668–70
18	कृषि अधिकारी कालिज (ऐग्रीकल्चरल स्टाफ कालिज)	Agricultural Staff College . .	2670
19	व्यापारिक फसलों का क्षेत्रफल	Area covered by Cash Crops	2670
20	जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद्	Central Advisory Council of Shipbuilding and Ship-repairing	2670–71
21	मरमागोआ पत्तन	Marmugao Port . .	2671
22	खाद्य उत्पादन सम्बन्धी संयुक्त कार्यक्रम	Joint Programme for Food Production	2672
25	लम्बी विमान यात्रा	Long Air Travels . . .	2672
26	दिल्ली में आगन्तुकों के लिय भोजन व्यवस्था	Food for Visitors to Delhi . .	2672–73
27	भारतीय तथा पाकिस्तानी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्वदेश लौटना	Repatriation of Indian and Pak. Officers and Crew . . .	2673
28	मद्रास में विधि मंत्रालय का शाखा सचिवालय	Branch Secretariat of Law Ministry at Madras	2673–74
29	पाली घाट पर पुल	Bridge at Pali Ghat . . .	2674
30	कोयले का मूल्य	Price of Coal	2674
31	गन्ने का उत्पादन	Production of Sugarcane . .	2675
32	"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन	Grow More Food Campaign .	2675
33	"एक समय का भोजन बचाओ" आन्दोलन	Miss-a-Meal Campaign . .	2675–76
34	अमरीकी उर्वरक परामर्शदाता	U.S. Fertiliser Consultants .	2676
35	हल्दिया पत्तन	Haldia Port	2676–77
36	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains . .	2677–78

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
37	उड्डयन (फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग) क्लबों द्वारा विमान चालकों का प्रशिक्षण	Training of Pilots by Flying and Gliding Clubs . . .	2678
38	दिल्ली में राशन व्यवस्था	Rationing in Delhi . . .	2679
39	पंजाब की उर्वरकों सम्बन्धी मांग	Punjab's Demand for Fertilizers	2679
40	पंजाब को पम्पींग सैटों का सम्भरण	Supply of Pumping Sets to Punjab	2680
41	कानपुर में राशन व्यवस्था	Rationing in Kanpur . .	2680
42	अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए राज्यों के कार्यक्रम	Programme of States for Famines Stricken Areas . . .	2680–81
43	भूमि विकास निगम	Land Development Corporation.	2881
44	सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के लिए भोजन	Meals to Children in Drought Stricken Areas . . .	2681–82
45	बड़े पत्तनों पर उठाया गया माल	Uncleared Cargo at Major Ports	2682
46	अनाज की पैदावार में वृद्धि	Increase in Production of Food-grains	2682–83
47	एस० एस० "गोविन्द जयन्ती"	S. S. "Govinda Jayanti" . .	2683
48	फसलों का बीमा	Crop Insurance. . . .	2683–84
49	भारत पर्यटन होटल निगम (इंडिया टूरिज्म होटल कार्पोरेशन)	India Tourism Hotel Corporation	2684
50	बागबानी गवेषणा संस्था	Horticulture Research Institute .	2684
51	उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilisers . .	2685
52	बच्चों को गोद लेने के सम्बन्ध में कानून	Law on Adoption of Children .	2685
53	औद्योगिक उपक्रमों में कर्मचारियों की उपभोक्ता सहकारी संस्थायें	Consumer Cooperatives of Workers in Industrial Undertakings .	2685–86
54	ग्राम स्वयंसेवक दल	Village Volunteer Force . .	2686
55	भरतपुर और महुआ के बीच राष्ट्रीय राजपथ	National Highway between Bharatpur and Mahua . .	2686–87
56	निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा चुनाव लड़ा जाना	Contesting of Election by Independent Candidates . . .	2687
57	उर्वरकों सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar of Fertilisers . . .	2687–88
58	वर्जिनिया तम्बाकू का उत्पादन	Production of Virginia Tobacco	2688
59	पंचायती राज संस्थायें	Panchayati Raj Institutions .	2688–89
60	केन्द्रीय मछली विपणन निगम	Central Fish Marketing Corporation	2689
62	सघन खेती कार्यक्रम सम्बन्धी सम्मेलन	Conference on Intensive Agricultural Programmes . . .	2689–90

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
63	वनों का विकास	Development of Forests .	2690–91
64	धान और गेहूं की दो-दो फसलें	Double Paddy and Wheat Crops .	2691
65	चीनी का निर्यात	Export of Sugar .	2691–92
66	व्यापारिक फसलों की खेती	Cultivation of Cash Crops	2692
67	कृषकों के लिये ऋण की व्यवस्था	Credit for Farmers . .	2692–93
68	तीसरे आम चुनाव सम्बन्धी रिपोर्ट	Report on Third General Elections	2693
70	खाद्य विभाग के कर्मचारी	Employees of Food Department	2693–94
71	एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा नियमों के अनुसार कार्य करने का आन्दोलन	Work to Rule Campaign by India Employees . . .	2694
72	एयर इण्डिया के इंजीनियरों की हड़ताल	Air India Engineers' Strike	2694–95
73	अमरीका से गहूं का आयात	Import of Wheat from U.S.A.	2695
74	समुद्र-पत्तनों पर चोरियां	Thefts at Sea Ports . .	2695
75	मछुओं की क्षतिपूर्ति	Compensation of Fishermen .	2695–96
76	कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Airport . . .	2696
77	केरल में मछली के मशीनचालित जलयानों के लिए फालतू पुर्जे	Spare parts of Mechanised Fishing Vessels in Kerala . . .	2696
78	बड़े बन्दरगाहों का विकास	Development of Major Ports .	2696–97
79	जापानी नाविकों द्वारा हड़ताल	Strike by Japanese Seamen .	2697
80	सीमा-सड़क	Border Roads	2697–98
81	मध्य प्रदेश की आपातिक खाद्य उत्पादन योजना	Emergency Food Production Scheme of Madhya Pradesh .	2698
82	परिसीमन आयोग	Delimitation Commission. .	2698–99
83	पर्यटन का विकास	Development of Tourism . .	2699–2700
84	राज्यों में अनाज की कमी	Scarcity of Foodgrains in States .	2700
85	बम्बई पत्तन में आयातित चावल की बर्बादी	Imported Rice Wasted in Bombay Port	2700
86	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	Indian Airlines Corporation .	2701
87	आसाम में राष्ट्रीय राजपथ	National Highway in Assam .	2701
88	दिल्ली में पशु चिकित्सकों के वेतन-क्रम	Pay scales of Veterinary Doctors in Delhi	2701–02
89	खाद्य क्षेत्र	Food Zones	2702
90	आसाम में आटा मिल	Flour Mills in Assam . .	2702–03
91	राज्यों में रबी की फसलों का बोया जाना	Cultivation of Rabi Crops in States	2703

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
92	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilisers .	2703–04
93	पश्चिम बंगाल में जिंग्रापुर में अनाज का सड़ जाना	Foodgrains Decomposed in Jingrapore, West Bengal . .	2704
94	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चावल और धान का समाहार	Procurement of rice and Paddy by West Bengal Government .	2704
95	पश्चिम बंगाली सहकारी समितियां	Co-operatives in West Bengal .	2704–05
96	दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो प्रबन्धक	Depot Managers of D.M.S.	2705
97	बच्चों के लिये पौष्टिक खाद्य	Nutrition Food for Children	2705–06
98	मैसूर राज्य में अधिवक्ता	Advocates in Mysore State	2706
99	उड़ीसा में सामुदायिक विकास खंड	C.D. Blocks in Orissa .	2706
100	राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Rajasthan .	2706–07
101	राजस्थान में भाण्डागार	Warehouses in Rajasthan . .	2707
102	राजस्थान में कृषि अनुसन्धान परियोजनायें	Agricultural Research Projects in Rajasthan	2707–08
103	"एक समय का भोजन बचाओ" योजना	Miss-a-Meal Scheme .	2708
104	कलकत्ता को मछली का सम्भरण	Supply of Fish to Calcutta . .	2708
105	पश्चिम बंगाल में चावल का अभाव	Scarcity of Rice in West Bengal .	2708–09
106	विदेशी विमान कम्पनियां	Foreign Air Companies . .	2709
107	अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये ब्रिटेन से सहायता	Aid from U.K. for Famine Areas .	2709–10
108	भव्य होटल	Luxury Hotels . . .	2710
109	कृषि योग्य भूमि	Cultivable Land . . .	2710–11
110	वकीलों को तालिकायें	Lawyers' Panels . . .	2711–12
112	एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिये बोइंग विमान	Boeing for Air India International	2712
113	मध्य प्रदेश की आपातकालीन खाद्य उत्पादन योजना	Emergency Food Production Scheme of Madhya Pradesh .	2712
114	सहकारी दुग्धशाला तथा पशुपालन	Dairy-Co-operatives and Animal Hasbandry	2712–13
115	सेतुसमुद्रम परियोजना	Sethusamudram Project . .	2713
116	परादीप पत्तन	Paradeep Port . . .	2713–14
117	परदीप पत्तन	Paradeep Port . . .	2714
118	खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains . .	2714–15
119	दुग्धशाला योजनायें	Dairy Schemes .	2715

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
120	परिसीमन आयोग के सदस्यों द्वारा अगरतला की यात्रा	Visit by Members of Delimitation Commission to Agartala .	2716
121	कलकत्ता-अगरतला विमान सेवा	Calcutta-Agartala Air Service .	2716
122	विमानों के किराये	Air Fares	2716–17
123	पर्यटन के लिये संयुक्त प्रचार	Joint Publicity for Tourism .	2717
124	भारत-पोलैंड नौवहन सेवा	India-Poland Shipping Service .	2717
	मध्य प्रदेश फ्लाईंग क्लब	Flying Clubs in Madhya Pradesh .	2718
	उप-मंत्री का परिचय—	Introduction of Deputy Minister—	
	(श्री सय्यद अहमद मेहदी)	(Shri Syed Ahmed Mehdi)—	2718
	स्थगन प्रस्ताव—	Motions for Adjournment	
	केरल में खाद्य स्थिति	Kerala Food Situation . .	2718–20
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	2720–30
	विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills . .	2730
	याचिका—भारतीय डाकघर नियम, 1933 के बारे में	Petition re: Indian Post Office Rules, 1933	2731
	वक्तव्य–मौंट ब्लॉक, बनिहाल दरें और पालम हवाई अड्डे पर हाल की विमान दुर्घटनाओं के बारे में।	Statement re: Recent Air Accidents at Mont Blam, Banihal pass and Palam airport—	
	श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy . .	2731
	वक्तव्य—ताश्कंद घोषणा के बारे में	Statement re: Taskent Declaration	
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh . .	2732
	दिल्ली प्रशासन विधेयक—	Delhi Administration Bill—	
	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय का बढाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	2732–33
	दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक—	Delhi Secondary Education Bill—	
	संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय का बढाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	2733–34
	रेलवे आयव्ययक (1966-67)—प्रस्तुत किया गया—	Railway Budget (1966-67)—Presented	
	श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil. .	2734–49
	दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक—	Delhi High Court Bill —	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
	संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—	Motion to refer to Joint Committee—	
	श्री हाथी	Shri Hathi . . .	2749,51
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	2750–51
	प्रस्ताव—बीज विधेयक के बारे मे	Motion re. Seeds Bill . .	2751–52

विषय	SUBJECT	PAGES
बीज विधेयक—	Seeds Bill—	
राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव—	Motion to refer to Select Committee—	
श्री शिंदे	Shri Shinde . . .	2753, 2756
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	2753–54
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh .	2754
श्री वारियर	Shri Warior . . .	2755
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravarty	2755–56
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक—	Unit Trust of India (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat .	2757
श्री अल्वारेस	Shri Alvares . .	2757–58
खण्ड 2 से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1 . .	2758–59
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass, as amended—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat . .	2759
स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत	Motion for Adjournment—*Negatived*	
केरल बन्ध से उत्पन्न स्थिति—	Situation arising out of Kerala Bandh—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	2759–60
श्री रंगा	Shri Ranga . . .	2761–62
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	2762–63
श्री केप्पन	Shri Keppen . . .	2763–64
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi .	2764–65
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair .	2765–66
श्री अ० व० राघवन	Shri A.V. Raghavan . .	2766–67
श्री अल्वारेस	Shri Alvares . . .	2767
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan . .	2768–69
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	2769
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan . .	2769–70
श्री मोहम्मद कोया	Shri Mohammed Koya .	2770
श्री वारियर	Shri Warior . . .	2770–71
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	2771
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	2771–72
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	2772
श्री चि० सुब्रम्हण्यम	Shri C. Subrahmaniam .	2772–76
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
43 वां प्रतिवेदन	Forty-third Report . .	2777
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions —	
77 वां प्रतिवेदन	Seventy-seventh Report .	2777

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 15 फरवरी, 1966/26 माघ, 1887 (शक)

Tuesday, February 15, 1966/Magha 26, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवायें

*1. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं की बढ़ती हुई यातायात आवश्यकताओं का नवीनतम अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बेडे के चालू सभी विमानों की वर्तमान यातायात क्षमता कितनी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना में यातायात का अनुमान लगा लिया गया है और यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त धारिता की योजना बना ली गई है ।

(ग) कारपोरेशन के विद्यमान विमान बेड़े द्वारा एक वर्ष में उत्पादित उपलब्ध टन किलोमीटर लगभग 1800 लाख है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि कितनी आवश्यकता की पूर्ति विदेशी स्त्रोतों से तथा कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति देश में उपलब्ध वस्तुओं से करनी होगी ?

श्री संजीव रेड्डी : इस समय विमानों का उत्पादन बहुत कम है । इस लिये हमें अधिकांश रूप से आयात पर ही निर्भर करना होगा ।

श्री श्रीनारायण दास : उक्त अनुमानों के क्या वित्तीय परिणाम होंगे ? क्या लाभ में वृद्धि हो रही है या भविष्य में भी हानि होगी ?

श्री संजीव रेड्डी : इस समय भी कोई हानि नहीं है । लाभ हो रहा है और इसमें प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है ।

Shri Madhu Limaye : Is it a fact that the number of accidents is increasing due to negligence and inefficiency? A few days ago an aeroplane was lost in Kashmir and a Caravelle is reported to have crashed this morning. Whether these incidents have any effect on I.A.C.'s working and whether the number of passengers is going down?

श्री संजीव रेड्डी : मैं प्रश्न काल के बाद दुर्घटनाओं पर एक व्यापक वक्तव्य देने वाला हूं । इस समय दुर्घटनाओं के ब्यौरे देना कठिन है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा हड़तालें तथा अन्य प्रकार के तरीकों के अपनाये जाने के कारण आई० ए० सी० की कार्यकुशलता कम हो गई है और सेवाओं में बहुत रुकावटें पैदा हो जाती है और क्या चालकों आदि की व्यक्तिगत शिकायतें हैं ? यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं स्वयं स्थिति के बारे में चिंतीत हूं और वक्तव्य देने से पहले उसका अध्ययन करना चाहता हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : यातायात तथा राजस्व की बढ़ती हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने नये विमान लेने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां । एक योजना है । चौथी योजना में विमान खरीदने के लिये 49.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । परंत विमानों की संख्या बढाने के पहले हमें कार्य कुशलता में सुधार करना होगा और अनुशासन में सुधार करना होगा जिससे अच्छी सेवा उपलब्ध हो सके । मैं स्थिति को जानने और सुधार करने के लिए कुछ और समय चाहूंगा ।

Shri M. L. Dwivedi : In view of the cost of the planes that are to be acquired from abroad, could I know whether Government have taken measures to meet the demands of I.A.C. in the country itself, if so, what steps have been taken in this direction?

श्री संजीव रेड्डी : मेरे विचार में इस समय हम यहां पर फोकर फ्रेंडशिप और कैरवल विमानों को नहीं बना सकते । यह एक दीर्घकालीन योजना होगी । इस समय हम इस योजना पर कार्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : अतिरिक्त सेवाओं के लिये किस प्रकार के विमान रक्षित रखे गये हैं ? क्या कैरेविल विमानों को भी रक्षित रखा जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : सभी विमानों से भरसक कार्य लिया जाता है । रक्षित कुछ भी नहीं है । जब कोई अतिरिक्त विमान होता है तो नये मार्ग खोल दिये जाते हैं । इस समय कैरेवल तथा फोकर फ्रैंडशिप विमानों का प्रयोग हो रहा है । यदा कदा डाकोटा विमानों का भी प्रयोग कर लिया जाता है ।

श्री सुबोध हंसदा : विशेष रूप से माल के यातायात के बारे में क्या वर्तमान कार्यक्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जाता है । यदि हां तो, निगम को लाभ हो रहा है अथवा हानि?

श्री संजीव रेड्डी : कार्यक्षमता का पूरा उपयोग किया जाता है । जैसा मैंने कहा है निगम को होने वाला लाभ प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ रहा है ।

Shri K. N. Tiwary : I want to know whether this plane was fully insured or partly insured and with whom it was insured?

श्री संजीव रेड्डी : इन सभी विमानों का बीमा हुआ होता है। बीमा पूर्ण रूप से था, मैं कह नहीं सकता परन्तु इसका बीमा हुआ था ।

श्रीमती सावित्री निगम : स्थिति का अध्ययन करने के बाद क्या निष्कर्ष निकले गये है ? किन नये मार्गों पर विमान सेवा चालू की जायेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : नये मार्गों पर विमान सेवा चालू करने के लिये अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । नये विमान प्राप्त होने के बाद ही नये मार्गों पर विचार होगा ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : असैनिक उड्डायन में एवरो 748 के प्रयोग में लाने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

श्री संजीव रेड्डी : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : जब से माननीय मंत्री ने नया कार्यभार लिया है उसी समय से बहुत सी विमान दुर्घटनायें हुई है । क्या माननीय मन्त्री हमारे प्रधान मंत्री को त्याग पत्र प्रस्तुत करेंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : यदि माननीय सदस्य मेरा स्थान ले सके तो मैं आभारी होऊंगा । मुझे खुशी होगी ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : मैं उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करूंगा ।

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : माननीय मंत्री ने सेवाओं में सुधार और सुविधाएं बढाने के प्रश्न का उल्लेख किया है । हाल ही में व्योमबालाओं और विमान चालकों में झगड़े आदि हुए हैं । मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें और देखें कि विमान चालक व्योम-बालाओं से कोई अनुचित लाभ न उठायें ।

श्री संजीव रेड्डी : मुझे इस अनुशासनहीनता पर बहुत खेद है । मैंने जब से कार्यभार संभाला है, मैं इस पर विचार कर रहा हूं कि अनुशासन कैसे लागू किया जा सकता है और किस प्रकार विमान चालकों और व्योमबालाओं के झगड़े समाप्त किये जा सकते है । मैंने इस विषय पर आई० ए० सी० के अध्यक्ष से जो विभाग के सचिव भी है, बात की है । इस बारे में हमें सावधानी से कार्य करना होगा, क्योंकि इसका सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है और हड़ताल आदि हो सकती है । मैं इस पर विचार कर रहा हूं ।

देश में सूखा और अनावृष्टि

*2. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री दलजीत सिंह :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रा० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री हेमराज :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने, वर्षा के कम होने तथा बाढ आने से उत्पन्न हुई स्थिति के फलस्वरूप खरीफ की फसल का और रबी की फसल की भावी संभावनाओं का अब मूल्यांकन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यवार स्थिति क्या है ; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में रबी की फसल उगाने के लिये जल संसाधनों का उपयोग करने के बारे में यदि कोई उपाय किये गये हैं तो व क्या हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) औ (ख) : एक ऐसा विवरण जिसमें प्रमुख खरीफ धान्यों के 1965-66 के अन्तिम तथा 1964-65 के अन्तिम अनुमान लिये गये हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 5426/66**] जहां तक रबी की फसलों का सम्बन्ध है इस समय प्रात्याशित उत्पादन के राज्यवार अनुमान देना सम्भव नहीं है । फिर भीं, कुल मिलाकर 1964-65 के उत्पादन की तुलना में 1965-66 की अवधि में लगभग 125 लाख मीटरों टन की कमी होने की सम्भावना है ।

(ग) देश के विभिन्न भागों में रबी की फसलों के उत्पादन के लिए जल संसाधनों को काम में लाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं । जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं उनको प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया, दखिये संख्या एल०टी० 4526/66**]

श्री वारियर : क्या सरकार ने किसानों को करों में राहत देने आदि जैसे उपायों के बारे में सोचा है ताकि कम से कम आगामी फसल ठीक हो और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं रबीं के समय में अतिरिक्त फसल के लिये हम रियायतें दे रहे हैं । हम पम्पो से पानी दे रहे हैं । हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पानी कम दर पर मिले, हम किसानों को प्रोत्साहन के रूप में इस कार्यक्रम के लिये उवर्रक भी दे रहे हैं ।

श्री वारियर : क्या सरकार ने उत्पादन में कमी को पूरा करने के बारे में भी कोई कदम उठाये है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम विदेशों से अधिकाधिक आयात की कोशिश कर रहे है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर के भाग (ग) के विवरण से पता चलता है कि 820 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि राज्य सरकारों की छोटी सिचाई योजनाओं के लिये दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि सूखे की स्थिति को देखते हुए यह राशि राज्यों में किस आधार पर बांटी जायेगी ? क्या राज्यों के बिजली बोर्डों को कहा गया है कि सूख वाले क्षेत्रों के में दर न बढ़ायें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह राशि सूखे के आधार पर नहीं दी जायेगी । यह राशि व्यय करने की क्षमता तथा उन क्षेत्रों के लिये उचित योजनाओं को उपलब्धि के आधार पर दीं जायगी । बिजली के दरों के बारे में पहले हो यह निर्णय किया जा चुका है कि अधिक से अधिक 12 पैसे लिय जायेंगे और इसके अधिक के लिये राज्य सहायता दी जायेगी ।

श्री प्रभात कार : कर लगाने पर किसानों द्वारा नहरों का पानी प्रयोग में न लाने, की बात को ध्यान में रखते हुए, क्या केन्द्रीय, सरकार राज्य सरकारों को हिदायत कर रही है कि नहरों के पानी पर लगा हुआ कर हटा दिया जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नये सिंचाई स्त्रोतों के बारे में पहले दो या तीन वर्षों के बारे में इन आश्वासन का हम प्रयत्न कर रहे है ....

श्री रंगा : यह नई बात नहीं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह केवल इस लिये है कि उन्हें इस पानी की आदत पड़ जाये । बाद में सरकार कम दर पर विचार कर सकती है ।

श्री दे० जी० नायक : अकाल या अभाव वाले क्षेत्रों को अकाल से बचाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है । उन क्षेत्रों के विकास के लिये इसे योजना काल में हाथ में लिया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : The extent of land in our country which has not got irrigation facilities at present? I want to know whether any decision has been taken to give priority to the small irrigational schemes in those areas if so, the details thereof?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : देश की कुल भूमि में केवल 23 या 24 प्रतिशत खेती वाले क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध है । शेष क्षेत्रों को वर्षा पर निर्भार करना पड़ता है । हमने सिंचाई की सुविधाओं को उत्तरोत्तर बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है । अगले वर्ष के लिये यह अनुमान है कि लगभग 30 लाख एकड़ नई भूमि को बड़ी, मध्यम और छोटी परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई योजनायें उपलब्ध करायी जायेंगी ।

श्री दलजीत सिंह : राज्य सरकारों ने कितनी छोटी सिंचाई योजनायें केन्द्रीय सरकार को भेजी है और जिन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है ? इस विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं ऐसी सभी योजनाओं की संख्या नहीं बता सकता परन्तु यह कह सकता हूं कि जो भी वांछनीय योजनायें आयी है उनपर मंजूरी दे दी गई है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I want to know whether Government is aware that the cultivators have to experience great difficulty after the tubewells are sanctioned. They have to depend on that petty officials of Government. Will the Government remove these difficulties?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक सामान्य प्रश्न है । हम सदैव राज्य सरकारों को लिखते रहते है कि उनके अधिकारी किसानों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें । मैं आशा करता हूं कि समय के साथ प्रशासन में भी सुधार होगा ।

श्री रंगा : स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि किसानों को अधिक अनाज उगाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये और उनकी अधिक भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिये विशेषत: सूखा वाले क्षेत्रों से उनसे सिंचाई की बकाया राशि नहीं ली जानी चाहिये । स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आश्वासन को पूरा करने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : स्वर्गीय प्रधान मंत्री का आश्वासन नये सिंचाई स्रोतों के बारे में था । उन्हों ने यह कभी नहीं कहा कि सभी सिंचाई कर छोड़ दिया जाये । सिंचाई कर पूर्णरूप से राज्यों का विषय है । राज्य सरकारों के बारे में प्रधान मंत्री भी आश्वासन नहीं दे सकते ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has stated that they are giving relief to the cultivators in the matter of taxes. I want to know the percentage of relief. The Central Government has given the money to Madhya Pradesh Government for installing pumping sets. As a result pumping sets could not been installed. What are the reasons thereof ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक वित्त की उपलब्धि का सम्बन्ध है, हमने उसे राज्यों में न्यायोचित आधार पर बांटा है । मध्य प्रदेश को भी उसका भाग मिला है । यह हो सकता है कि यह उनकी आवश्यकताओं के अनुसार न हो, परन्तु हमें अपने संसाधनों को देखना है । जहां तक करों में रियायत का प्रश्न है मैंने पहले भी कहा है कि हमने राज्य सरकारों को कहा है कि जहां पर पहली बार पानी प्रयोग में लाया जा रहा है वहां पर कोई कर न लिया जाये और फिर बाद में धीरे धीरे कर बढ़ा कर पूरी दर पर लाया जा सकता है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister stated that Cultivators are being given concession. I want to know what sort of concessions are being given?

Mr. Speaker : That he cannot inform right now.

श्री रामनाथ चेट्टियार : समय समय पर विभिन्न सूत्रों तथा समाचार पत्रों के द्वारा फसल के संबंध में हमें भिन्न भिन्न अनुमान प्राप्त होते हैं और इसलिये इसको देखते हुए क्या सरकार के पास फसल का सही अनुमान लगाने की कोई व्यवस्था है जिसस किसानो को सूचित किया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारे पास एक व्यवस्था है और विभिन्न फसलों का अनुमान लगाने के लिये हमने एक तरीका भी निकाला है । मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह 100 प्रतिशत ठीक है परन्तु, जहां तक संभव हो सकता है हम इस व्यवस्था को अधिक से अधिक सही बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस व्यवस्था के द्वारा हम यह कार्य करते हैं ।

Shri Bagri : Has the attention of the Hon. Minister been drawn to the Statement of the Irrigation and Power Minister of Punjab in which he has mentioned that the quantity of Water in the rivers of Punjab has diminished by 50 percent, the supply of water to Pakistan will be sent by diverting the waters of other rivers whereas the land in Punjab is completely dry? May I know whether in view of the water crises and consequent shortage of food grains the Government would consider not to reduce the supply of water to the farmers of Punjab?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह ठीक है कि पंजाब की नदियों में कम पानी उपलब्ध है और वह मानसून के न आने के कारण है । जहां तक पाकिस्तान को पानी देने का संबंध है, हम अन्तर्राष्ट्रीय करारों से बद्ध हैं और हम उनसे पीछे नहीं हट सकते है । फिर भी जहां तक संभव हो सकता है हम पंजाब के किसानों को पानी देने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब के किसान बहुत अच्छी पैदावार कर सकते हैं यदि उनको ये सुविधाएं दी जायें ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय करारों से बद्ध हैं, परन्तु यदि पानी उपलब्ध ही नही है तो हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं ?

श्री सुब्रह्मण्यम : केवल उपलब्ध होने पर ही ऐसा हो सकता है ।

Shri Bagri : According to an International Agreement 50% water will be supplied from one River. To make up this supply 50 percent water from other rivers of Punjab is also being diverted for which there was no commitment.

Mr. Speaker : The Minister states that according to the Agreement a specified quantity of water is to be supplied to Pakistan and if that could not be met from one river, that could be met from other rivers.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री ने कहा कि जहां तक पानी के शुल्क का सम्बन्ध है इसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है । क्या केन्द्रीय सरकार ने किसानों को राहत देने की आवश्यकता पर विचार किया है जिससे पता चल सके कि सरकार उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देना

चाहती है और यह रियायत जहां पर किसान नई फसलें उगाना चाहें वहां से सिंचाई शुल्क हटाकर दी जा सकती है, और क्या इस विषय पर राज्य सरकारों से बातचीत की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं ; ऐसा न केवल नये सिंचाई साधनों के बारे में ही है अपितु पुराने सिंचाई साधनों के सम्बन्ध में ऐसा है । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि यदि कोई अतिरिक्त नई फसल उगाई जाती है तो उसके बारे में सिंचाई शुल्क छोड़ दिये जायें ।

खाद्यान्नों की आवश्यकता

*3. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री काजरोलकर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री बसुमतारी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री बड़े :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री मानसिंह पृ० पटेल :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 के लिये खाद्य की आवश्यकता सम्बन्धी नवीनतम अनुमानित आंकड़े क्या हैं;

(ख) (i) देश में हमारे पास कितना खाद्यान्न है,

(ii) कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आयात किया जाना है, और

(iii) अधिकतम उत्पादन किया जायेगा; और

(ग) आयात की व्यवस्था के विस्तृत विवरण क्या हैं तथा अविलम्ब उत्पादन कार्यक्रम तथा उपलब्ध संसाधनों की रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) खाद्यान्नों की आवश्यकता बहुत से तथ्यों पर निर्भर करती है जैसे कि राष्ट्रीय आय का वितरण शहरीकरण की रफतार, खाद्य आदतों में परिवर्तन आदि । विकासशील अर्थ व्यवस्था जैसे भारत में अधिकांशतः ये तथ्य निरन्तर बदलते रहते हैं । अतः यह सम्भव नहीं है कि देश की किसी समय की आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान दिया जा सके । गत वर्ष देश में 884 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा हुये और 75 लाख मीट्रिक टन आयात किये गये थे इससे देश में कुल उपलब्धि 959 लाख मीट्रिक टन थी । इस में से कुछ मात्रा अब भी पाइप-लाइन स्टाफ के रूप में उपलब्ध है और शेष खाया जा चुका होगा ।

(ख) (i) 1965–66 में खाद्यान्नों की पैदावार के अन्तिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हैं ।

(ii) 1966 में 100 से 120 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आयात करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और

(iii) काश उपज कार्यक्रम के अधीन अतिरिक्त, 38 लाख एकड़ भूमि रबी और खरीब की फसलों के अन्तर्गत लायी जाने की आशा है । इस समय उपज का कोई मात्र अनुमान नही दिया जा सकता है ।

(ग) आयात किये जाने वाले खाद्यान्नों की कुल मात्रा और ऐसे आयातों के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नही दिया गया है । जैसा कि उपर्युक्त (ख) (iii) बताया गया है कि लगभग 38 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि खाद्यान्न पैदा करने के लिये प्रयोग में लायी जाने की आशा है । इसके अलावा 1.2 लाख एकड़ भूमि पर आलू और 1.7 लाख एकड़ भूमि पर सब्जियां बोई जाएंगी । इस उद्देश्य के लिये राज्यों को निम्नलिखित धन राशि नियत की गयी है ।

छोटी सिचाई	रु० 360	लाख
कम्पोस्ट और स्यूज . . .	रु० 22	,,
आलू की खेती	रु० 5	,,
सब्जियां और किचन-गार्डनिंग	रु० 3	,,

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष हमारा गेहूं का जो उत्पादन था, इस वर्ष हम उससे अधिक गेहूं आयात का कर रहे और यह मात्रा किसी भी एक वर्ष में आयात की गई मात्रा से तीन गुना अधिक है ; यदि हां, तो क्या सरकार यह नहीं समझती कि आयातित गेहूं के होने से वह एक अच्छी स्थितिमें है और वह कमसे कम गेहु वाले खण्ड समाप्त किये जा सकते है जो कि उसने बनाये हैं और जिनसे सभी कठिनाई पैदा हो रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : माननीय सदस्य के सुझाव को हम निश्चय ही ध्यान में रखेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : ध्यान में रखने की बात नहीं । मैं वास्तविक जानकारी मांग रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के पहले भाग में जानकारी मांगी ही गई है । प्रश्न का दूसरा भाग एक सुझाव है और उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमन कुछ गलत फहमी है । प्रश्नका दूसरा भाग यह है अब तक सरकार केवल यह तर्क देती रहेहै कि खंडो को समाप्त करने के लिये उसके हाथ में खाद्यान्नों की अच्छी मात्रा होनी चाहिये । अब जबकि सरकार के पास इस देश की पदावार से भी अधिक मात्रा में खाद्यान्न है और जो कि किसी एक वर्ष में आयात की गई मात्रा से तिगुनी है तो क्या अन्य कारण हैं कि सरकार गेहू के खंडों को भी नहीं तोड़ रही हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : फसल के बीच में खंडों को तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता । मैं माननीय सदस्य को अश्वासन दता हूं कि मामला विचाराधीन है और ज्योंही....... **(अन्तर्बाधा) ।**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : खंडों को समाप्त किया जाना चाहिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : खाद्य संबंधी खंड व्यवस्था समाप्त करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य ऐसी सभा चाहते हैं तो मैं हट जाता हूं और आप आपसमें फैसला कर लीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हम तो केवल अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मझ कुछ कहना है । हमें अधिक अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिये । माननीय सदस्यों को इस तरीके स बीच में नहीं बोलना चाहिये । इस तरीके से मैं सभा ी कार्यवाही नहीं चला सकता हूं । जब एक सा बहुत सारी आवाज़े आ रही हों तो माननीय सदस्य मुझ से क्या आशा कर सकते हैं ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I rise on a point of order. In sub-rule (1) of rule 41 it is given :

"उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछा जा सकेगा जो उस मंत्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह सम्बोधित किया गया हो ।

It is the duty of the Minister to give the informatic n asked from him, provided the information is within the cognizance of the Minister.

Mr. Speaker : What point has arisen?

Dr. Ram Manohar Lohia : Because he has not given any information.

Mr. Speaker : Let me hear and let him give the reply.

Dr. Ram Manohar Lohia : He has not given any information.

Mr. Speaker : Very well ; So kind of you.

Shri Rameshwaranand : I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : Under which Rule?

Shri Rameshwaranand : Rule 41.

Mr. Speaker : It has been said that the rule does not apply to Swamiji.

Shri Rameshwaranand : Why ?

Mr. Speaker : Say, what you have to say.

Shri Rameshwaranand : The Hon. Minister has read out a very long statement; Mention has been made of so many vegetables that will be sown. But nothing has been mentioned about the year in which they will be sown, weather in 1980 or, 1990 or in 2000.

Mr. Speaker : The difficulty is that he has only heard the reply and not read the question. The reply is going.

श्री चि सुब्रह्मण्यम : इसका संबंधवर्ष 1965-66 से है और यह स्वयं उत्तर में दिया गया है !

अध्यक्ष महोदय : मैं वर्ष के बारे में मैं नही कह रहा हूं । मैं तो श्री माथुर के प्रश्न के उत्तर के लिये कह रहा हूं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध वर्ष से था । उन्होंने स्वंय ही आंकड़े दिये और पूछा कि क्या जो हम आयात कर रहे हैं वह हमारी पदावार के बराबर है । मैने कहा "जो हां, आंकड़ सही है ।" उन्होंने सुझाव दिया कि खंड पद्धति को समाप्त किया जाये । निश्चय ही प्रश्न काल में मैं नोति निर्धारित नहीं कर सकता हूं । मने कहा कि इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमन, अभी आपने सभा के व्यवहार के बारे में कुछ कहा । कभी कभी हमारे लिये अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत आवश्यक हो जाता है । यदि ऐसा न हो तो हम देश को और मंत्री महोदय को सभा की भावना से सूचित नहीं कर सकते हैं । ीक है अनुशासन नाम की भी कोई चीज़ है । अनुशासन और संसदीय अभिव्यक्ति अलग अलग चीजें है । टिप्पणियां से उत्पन्न स्थिति को स्पष्ट करता हूं । कभी कभी कुछ मजबूरियों के कारण भा ी मात्रा में आयात करने की बात मैं समझ सकता हूं जैसा कि कई अन्य देशों द्वारा कठिनाइयों में किया जाता है । विश्व भर से और संसार के छोटे बड़े सभी देशों से आयात करने के लिये जो कार्यवाही की जा रही है और जिसके लिये पोप और श्री ऊ थांट द्वारा अपीलें की जा रही हैं और 30 देशों के दूतों को

यहां बुलाया गया है। सारे विश्व से व्यापार करने के लिये इस प्रकार की अप्रत्याशित कार्यवाही को मैं नहीं समझ पाया हूं। नहीं विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण है जबकि किसी स्वाभिमान और स्वतन्त्र देश ने आयात और सहायता के लिये ऐसा धर्मयुद्ध आरम्भ किया हो ?

श्री सुब्रह्मण्यम : जब प्राकृतिक विपत्ति हो तो कोई चीज गलत अथवा अनादर पूर्ण नहीं समझी जा सकती है ....

मेरे विचार में जसा सूखा दस वर्ष पड़ा है ऐसा पहले कभी नहीं पड़ा है। इस लीये स्थिति का सामना करन के लिये हमें सभी उपाय करने है। स्थिति का सामना करन के लिये जो उपाय आवश्यक है। वे किये जा रहे हैं और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है।

श्री कजरोलकर : किन किन राज्यों में अनाज की कमी है और कितनी ? और अनाज के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जायगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : विदेशी मुद्रा के बारे में मैं तुरन्त जानकारी नहीं दे सकता।

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय राज्य-मंत्री का उत्तर बहुत ही उलझा हुआ है। खाद्य उत्पादन के आंकड़ों का अनुमान किस आधार पर लगाया गया है ? यदि खाद्य मंत्रालय जनता की आवश्यकताओं का अनमान नहीं लगा पाता 'है, तो वह आवश्यकताओं और आयात के बीच कैसे कोई सम्बन्ध स्थापित कर सकती थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : किसी निश्चित समय पर हम कोई सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं, परन्तु आवश्यकताओं की प्रवृत्ति का सदैव ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसी आधार पर हमने तीसरी और चौथी योजनाओं के दौरान की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। उस आधार पर हम योजना बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया हमारे पास फसल के अनुमान लगाने और अन्तिम अनुमान लगाने के लिये भी व्यवस्था है।

Shri M. L. Dwivedi : There is a forcast for the rains similarly there is forecast for crops; but the Minister stated that he cannot state the exact requirements of food. If that is so, I do not know w hat for the Ministry is?

Mr. Speaker : I disallowed that.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The whole of the Country is agitating against the zonal system. What will be the statewise distribution of the imported food grains and when will zonal system be abolished?

श्री सुब्रह्मण्यम : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि खंड पद्धति से कमी पैदा हो गई है और विभिन्न कठिनाइयां पैदा हो गई हैं ; इसके विपरीत हम समझते है खंड व्यवस्था द्वारा तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में योजना बद्ध तरीके से अनाज ले जानेसे हम कठिनाइयों को कम कर रहे है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : On what basis the wheat will be distributed?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रत्येक राज्य की पैदावार तथा संभाव्य कमी को हम ध्यान में रखते हैं और उपबन्ध मात्रा से कमी वाले सभी राज्यों को साम्यिक वितरण किया जाना है।

Shri Vishwanath Pandey : Just now the hon. Minister has stated that the final outlines regarding import arrangement, cash production programme and available resources are not ready. By what time the final outlines will be ready?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आयात बहुत से अन्य देशों से भी किया जायेगा और जब उनसे करार हो जायेंगे तभी उस सम्बन्ध में यह चलेगा। मुझे आशा है कि आगामी दो या तीन महीनों अन्तिम स्थिति का पता चल जायेगा....... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री मं० रं० कृष्ण : चावल न खाने वालों से चावल छोड़ने का अनुरोध करने से मंत्रालय चावल की कमी की समस्या के समाधान में कहां तक सफल होगा? क्या सरकार पूरी गम्भीरता से ऐसा अनुरोध कर रही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह अनुरोध गम्भीरता से किया जा रहा है और इस का चावल अधिक खाने वाले क्षेत्रों के लिये चावल की उपलब्धि पर प्रभाव भी पड़ेगा।

Shri Rameshwaranand : Sir, I have vizited Bombay and other areas. There I found that indigenous wheat is being sold at Rs. 85 per maund in block market, while the wheat is selling at Rs. 22 to Rs. 24 per maund in Punjab. Whether Government wish to remove restrictions on the movements of wheet so that people in Punjab may benefit, if the restrictions are not removed the whole country will have to face the same situation, which is being faced by Kerala today?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जिस गेहूं की उल्लेख माननीय मंत्री ने किया है वह चोरी छिपे लाकर इस भाव पर बेची जाती है। जहां तक पंजाब की गेहूं की सरकार से लेकर सरकार द्वारा बेचने की बात है, यह नियन्त्रित दर पर बेचा जाता है और यह दर लगभग 70 रूपये है।

श्री अ० प्र० शर्मा : पिछले सत्र में मंत्री महोदय ने कहा था कि 80 लाख टन से एक करोड़ टन की कमी रहेगी। अब उन्होंने कहा है कि यह कभी एक करोड़ टन से एक करोड़ 20 लाख टन के बराबर होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि कमी के इस अनुमान का आधार क्या है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस में रबी की फसल की सम्भावना को भी शामिल कर लिया गया है। पिछले सत्र में मैंने खरीफ़ फसल के बारे में ही अनुमान बताया था।

श्री राम सहाय पाण्डे : क्या माननीय मंत्री को 1966 के लिये विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं की जानकारी है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आंकड़े क्या है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने विभिन्न राज्य सरकारों से उनकी आवश्यकताए मालूम की हैं। परन्तु मेरे पास इस समय आंकड़े नही है।

Shri Priya Gupta : According to our information the smallest unit in this regard is on the basis of a revenue receipt of Rs. 3 to 4 lakhs. One employee has to cover thousands of acres, which is phisically not possible for him to cover. Generally, he gives wrong figures. In this way wrong figures are supplied to District authorities and in turn they do the same when they supply information to the State Government. Thereafter the State Governments give that wrong figures to this food Ministry in the Centre. Thus the figures are based on wrong information. If so, the arragements are made to supply correct statistics?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि आंकड़ों के एक करने के बारे में एकत्र पृथक प्रश्न किया जाये तो मैं ब्यौरे से बता सकता हूं।

श्री प्रिय गुप्त : यह प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें।

श्री हीं० ना० मुकर्जी : मैं एक स्पस्टीकरण चाहता हूं। इस प्रश्न का सम्बन्ध आयात किये गये खाद्यान्नों, उत्पन्न किये जानेवाले खाद्यान्नों तथा उनकी आवश्यकताओं के बारे में है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार ने पहले ही इस बोरे में गणना आदि कर ले चुकी है। इस प्रकार आंकड़ों के एकता करने का प्रश्न इससे उत्पन्न होता है। इसलिये यह आवश्यक है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें। में नहीं जानता कि वह इसका उत्तर क्यो नहीं दे रहे।

अध्यक्ष महोदय : इस समय उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री हीं० ना० मुकर्जी : वह कहते है कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता......

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने प्रश्न किया था कि आंकड़े एकत्र करने का तरीका गलत है और माननीय मंत्री उसमें कसे सुधार कर रहे है। यह प्रश्न था .... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हें कहना चाहिये कि यह ठीक नहीं है या वे कौनसा तरीका अपना रहे हैं। उन्होने कुछ भी नहीं बताया है। यह ठीक नहीं है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब मैं उत्तर देता हूं तो यह समझा जाना चाहिये कि मैं ठीक जानकारी देता हूं। यदि माननीय सदस्य समझते है कि यह गलत है तो हमें आंकड़ों के एकत्र करने के पूरे तरीके पर विचार करना होगा और देखना होगा कि कहां पर गलती है। इसी लिये मैंने कहा था कि यदि अलग से प्रश्न पुछा जाये तों मैं बता सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गलत तरीका अपनाया गया है। इस लिये जो जानकारी दी जाती है वह भी गलत है। यदि माननीय सदस्य की बात गलत थी तो माननीय मंत्री को कह देना चाहिये था कि वह इस बात से सहमत नहीं प्रकार यह सारी बात समाप्त हो जाती।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस सुझाव के लिये माननीय अध्यक्ष का आभारी हूं। मेरे उत्तर का दूसरे शब्दों में अर्थ यही था। मैं अब कह देता हूं कि माननीय सदस्य की धारणा गलत है।

Shri Ram Sewak Yadav : The question of food is very important. It comes up every now and then. My name is also there in the list.

Mr. Speaker : Hon. Members should realise that if this name is there in the list, it does not mean that all of them have a right to put supplementary questions. Much time has been taken by this question. We should cover at least ten questions.

+ Famine Conditions in States

*4. **Shri Bade:**
Shri Yashpal Sing:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Divedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri P. C. Borroah :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Vishram Prasad :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingaka
Shri S. M. Banerjee :
Shri Bhanu Prakash Singh :
Shri Bagri :
Shri Kishen Pattnayk :
Dr. Ram Manohar Lohia
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Utiya :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Madhu Limaye :
Shri Linga Reddy :
Shri Lahtan Chaudhri :

Shri Daljit Singh :
Shri Hem Raj :
Shri Ramchandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Mena :
Shri M. L. Jadhav :
Shri R. S. Tiwary :
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri Shri Narayan Das :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Dr. L. M. Singhvi :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of States from which Government have received reports of their being drought and famine-stricken ;

(b) the details thereof; and

(c) the details of assistance given so far by the Central Government to such States, State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) The States of Rajasthan, Madhya Pradeh, Maharashtra, Gujarat, Mysore, Orissa and Andhra Pradesh are reported to have been stricken by drought conditions.

(b) A statement showing the total number of Districts in each State, the number of Districts affected by drought, the population affected, the population at present working on relief works and the peak population that is expected to turn up for work in the relief works is placed on the Table of the House. [placed in Library See No. LT-5427/66]

(c) The assistance to the States affected by the drought conditions will be provided by the Central Government according to the principales laid down by the Ministry of Finance

श्री बड़े : क्या यह सच है कि 8 जनवरी, 1966 को मध्य प्रदेश सरकार ने अल्पकालीन ऋण कार्यक्रम के अधीन 4 करोड़ रुपये की राशि अच्छे बीजों और उर्वरक के लिये मांगी थी परन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार कोई धन नहीं दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मुख्य प्रश्न का सम्बन्धी अनवृष्टि की स्थिति से है । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगा गया ऋण पूर्णतः पृथक बात है ।

श्री बडे : श्रीमान मैं आपकी सहायता चाहता हूं । मैंने केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता के बारे में पूछा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को उर्वरक के लिये सहायता दी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अनावृष्टि की स्थिति में राज्य सरकारे कुछ सहायता कार्य करती है । यह कार्य सब राज्यों एक समान नहीं होता । फिर एक विशेष स्तर से अधिक खर्च होने केन्द्रीय सरकार आधा खर्च सहन करती है । यह सहायता कार्यक्रम अभी अभी आरंभ किया गया है और राज्य सरकारें कर रही है । जब यह उस विशेष स्तर पहूंचेगा तो हम सहायता देंगे ।

श्री बड़े : विवरण से यह ज्ञात होता है कि सूखे से मध्य प्रदेश में 88 लाख की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा है परन्तु इस समय केवल 6 लाख व्यक्ति सहयता कार्यों में काम कर रहे हैं क्या विशेष रुप से आदिवासियों के क्षेत्रों में इस थोड़ी संख्या, का कारण यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास धन नहीं है और इसी लिय आदिम जातियों के क्षेत्र के लिये अधिक धन मांगा गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। इन कार्यक्रमों को संगठित करने में कुछ समय लगता है। ये अभी आरंभ किये गये हैं। वास्तव में अभाव की स्थिति अप्रैल–मई–जून में अधिक गम्भीर होगी : हमें आशा है कि उस समय सहायता कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 13 लाख हो जायेगी संख्या धन के अभाव के कारण कम नहीं है। कार्यक्रम को लागू करते कुछ समय लगता है और अभाव की स्थिति की गम्भीरता भी बाद में महसूस होगी।

Shri Yashpal Singh : Whether the attention of the Government have been drawn to this fact that while on the one hand five crores agriculturists of U.P. have been affected by famine and drought, conditions the U.P. Government has raised the land revenue by 25 percent and whether Government have taken any interest in this matter and tried to give relief to these famine stricken agriculturists?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सूखे का ऐसा प्रभाव पड़ा हो कि सहायता कार्य अपेक्षित हो। मैं मानता कि उत्तर प्रदेश में भी वर्षा नहीं हुई है परन्तु जहां तक भूराजस्व का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है और मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि मैंने राज्य मंत्री महोदय को ठीक सुना है तो उन्होंने कहा था 'कि कई राज्यों में सूखा पड़ने के समाचार प्राप्त हुए हैं'। कल राष्ट्रपति ने अपने अपने अभिभाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा है "बहुत से प्रदेशों में सूखे की हालत आ पहुंची है, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, म्हैसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र में" मैंने यह हिन्दी संस्करण में से पढ़ा है। यह सरकार की नीति घोषित करता है। जब राष्ट्रपति ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है तो मंत्री महोदय खड़े होकर कहते है कि कुछ राज्यों से समाचार मिले है कि वहां पर सूखा है। या तो राष्ट्रपति के वक्तव्य के विरूद्ध बात है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह गम्भीर बात है तो इसे भिन्न प्रकार उठाया जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय के लिये ऐसा कहना ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर सही नहीं है तो उस पर अलग से विचार किया जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय राष्ट्रपति की बात के विरुद्ध कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर इस समय निर्णय नहीं कर सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : आप अपना समय लेकर बाद में निर्णय कर सकते है।

श्री भागवत झा आज़ाद : अकाल तथा सूखे की स्थिति के कारण कई राज्यों ने सहायता मांगी है और केन्द्र ने सहायता दी भी है परन्तु विवरण से पता चलता है कि मांगी गई और वास्तव में दी गई सहायता में अन्तर है। क्या इस अन्तर को दूर करने के लिये सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है या सूखे वाले राज्यों को अपने भाग्य पर निर्भर रहना होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। हम इन अकाल सहायता कार्यों के लिए लगभग 20 से 30 करोड़ रुपये दे रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi : It has been stated in the Statement laid on the Table that the date regarding famine and drought has been supplied by the representatives of State Governments and that data will be revised on the receipt of the report of the Central team which is now touring those States. May I know the personnel of this team, the places they are visiting, the date of their return and the date of submission of the report.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : योजना आयोग के परामर्शदाताओं को उन दलों के नेता नियुक्त किया गया है । खाद्य विभाग के कुछ कर्मचारी भी इन दलों में शामिल किये गये हैं । उन्होंने दौरा पूरा कर लिया है और प्रतिवेदन दे दिये हैं । अब उन प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, why has the report not been given along with the answer to this question, when it has already been submitted? How is it that the Minister say, that the report will be given, when it is received? He has given incorrect reply. I would like to know the reasons thereof.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं और उसकी छान बीन हो रही है। जब उनकी छानबीन हो जायेगी और जब आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे तो वह संकलित कर लिये जायेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में कहा गया है कि उड़ीसा के 13 ज़िलों में से 5 ज़िलों पर अभाव पड़ा है । उन पांच ज़िलों की कमी को पूरा करने के बाद अन्य राज्यों को मांगें पूरा करने के लिए उस राज्य से कितना चावल उपलब्ध होगा ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, वहां चावल हमेशा से फालतू रहा है और वह विशेष रुप से पश्चिमी बगाल को चावल देता रहा है । इसलिये, हम यथासम्भव अधिक चावल प्राप्त करने और उस के बदले में अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे है ताकि पश्चिमी बगाल के चावल वाले क्षेत्रों के लिए उचित व्यवस्था की जा सके ।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण में उन राज्यों के नाम दिय गये हैं जिन पर सूखे का प्रभाव पड़ा है । परन्तु उस में पश्चिमी बंगाल का नाम नहीं है । क्या इस का अर्थ यह है कि पश्चिमी बंगाल में कोई सूखा नहीं पड़ा और उस राज्य के लोगों पर सूखे का कोई प्रभाव नही पड़ा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बात नहीं है कि पश्चिमी बंगाल में सूखा बिल्कुल नहीं हुआ है । जब सूखा व्यापक हो तो हम उस पर ध्यान देते है । केवल इसी आधार पर इन सात राज्यों के नाम दिये गये हैं अर्थात अन्य राज्यों की तुलना में उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार वहां खेतों की सिंचाई के लिए जल पहुंचाने के हेतु चटटानों को तोड़ने के लिए बार बार रिगों की मांग करती रही है ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को रिगें कब दे रही है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्तर प्रदेश में अधिक नलकूपों के लिए हमने कार्यक्रम बनाया है और इस के लिए उन्होंने साज सामान की मांग की है । उस पर विचार हो रहा है । विदेशी मुद्रा कि कमी के कारण हम यथासम्भव अधिक रिग प्राप्त नहीं कर सके हैं । परन्तु हम किसी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हे प्राप्त करने और विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : It appears from the Statements that 55 lakh persons have been affected in Rajasthan. The Government has provided employment to 1 lakh persons and another 6 lakh are likely to be provided employment. This means that no provision has been made for providing employment to 48 lakh persons. What arrangements, have been made by the Central Government to feed or maintain those 48 lakh persons and how much grant has been given.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बात नहीं है कि उन क्षेत्रों में प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति सहायता प्राप्त करने के लिए आता है । केवल कुछ भाग ही सहायता के लिए आता है । सहायता प्राप्त करने के लिए आने वाले व्यक्तियों का अनुमान लगभग 6 लाख का है । शायद दूसरे लोग कुछ हद तक स्वयं अपनी व्यवस्था कर लेंगे । यही कारण ह कि वे सहायता प्राप्त करने के लिए नहीं आते हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : The State Government is starving that public. What is the Central Government doing?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Government have laid a statement showing the number of persons affected by famine in different States. 88 lakhs have been affected by famine in Madhya Pradesh and 75 lakhs in Mysore. 12 lakhs rupees have been given as aid to Mysore and 13 lakh rupees to Madhya Pradesh whereas that state should have been given Rs. 19 lakhs. I would like to know the basis on which aid has been given to different States?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम आरम्भ किये जाने वाले सहायता कार्यों तथा उन पर सम्भावित व्यय का अनुमान लगाते हैं । जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कुछ हद तक व्यय राज्य सरकारें वहन करती है । उसके अतिरिक्त व्यय पर हम 50 प्रति शत सहायता देते हैं । 50 प्रति शत के आधार पर ही हम उपलब्ध राशि का वितरण करते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

*5. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य , कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन व्यवस्था आरम्भ होने के बाद खाद्यान्न तथा अन्य सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : जी नहीं । अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव, मोटे अनाज जैसे कि चना, बाजरा और दालें जैसा कि मूंग, को छोड़कर, स्थिर रहे हैं । वनस्पति तेलों, मूंग के अलावा अन्य दालों, सब्जियों आदि के भाव जनवरी, 1966 दिसम्बर, 1965 के पहले सप्ताह की अपेक्षा कम थे । जब से सांविधिक राशन व्यवस्था लागू हुई है तब से राशन में मिलने वाली वस्तुएं जैसे कि गेहूं और चावल के भाव स्थिर रहे हैं । दिल्ली स्वयं उत्पादक क्षेत्र नहीं है और इसकी आवश्यकताएं पड़ौसी राज्यों से पूरी की जाती हैं । बाजरा, चना और मूंग के भावों में वृद्धि मुख्यत: मौसमी है और अंशत: पर्याप्त आमद न होने के कारण भी हुई है ।

(ग) सरकार पड़ौसी राज्य पंजाब और राजस्थान से सरकारी स्तर पर मोटे अनाज आयात करने के लिये कदम उठा रही है । सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के भावों पर निरन्तर निगरानी भी रखी जा रही है और जब कभी आवश्यक होता है आवश्यक उपाय भी किये जाते हैं ।

पश्चिमी घाट पर साईक्लोन (तूफान) के कारण लापता जहाज तथा माल

*6. **श्री हूकमचन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री लाटन चौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटियां :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० चं० बरुआ
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय:
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1965 में जो साईक्लोन (तूफान) पश्चिमी घाट पर कोचीन से रत्नागिरी के पत्तनों तक आया था, उस के कारण माल ले जा रहे कितने भारतीय जहाज अरब सागर में लापता हो गये थे,

(ख) इसमें कितनी जनहानि हुई थी, और कितने माल का नुकसान हुआ था,

(ग) क्या सरकार ने मृतव्यक्तियों के निकट सम्बधियों को किसी प्रकार की सहायता दी है, और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

परिवहन, उड्डान, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री रेड्डी) : (क) 85 भारतीय पाल पोत बिल्कुल नष्ट हो गये हैं ।

(ख) मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार, माल की हानि 30 लाख रुपये से ऊपर की प्राक्कलित की जाती है और 60 व्यक्तियों के खो जाने की आंशका है । मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 358 के अन्तर्गत जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकार ने छूटे हुये कारुकों को भोजन और कपड़े की व्यवस्था कर सहायता की है और उनके गृहपनों में वापस भेजे जाने का प्रबन्ध किया है । इसके अलावा सम्बद्ध राज्य सरकारों ने भी, अपनी ओर से तथा केन्द्रीय सरकार की प्रार्थना पर भी सहायता की है, किन्तु उनकी सहायता की सीमा ज्ञात नही है ।

फालतू अनाज वाले राज्यों से चावल की वसूली

*7. **श्री बाल्मीकी :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किसन पटनायक :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फालतू अनाज वाले राज्यों से चावल की वसूली के लिये कोई योजना तैयार की है ,

(ख) कमी वाले राज्यों के लिये कितना चावल वसूल करने का विचार है, और

(ग) सरकार की समाहार नीति की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

3—18 Lok Sabha/66

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार की सीधी अधिप्राप्ति की कोई योजना नहीं है । अधिशेष राज्यों की राज्य सरकारें चावल की अधिप्राप्ति करेंगी और सरकार को कमी वाले राज्यों को सप्लाई करने के लिये देंगी । इस प्रकार अधिप्राप्ति का कोई पक्का लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है । तथापि सरकार के खाते में अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं :

(ग) अधिप्राप्ति नीति की विस्तृत रूप रेखा इस प्रकार है :—

(1) अधिप्राप्ति न केवल अधिशेष राज्यों में बल्कि कमी वाले राज्यों में भी की जा रही है इससे सरकार काफी मात्रा में विक्रेय अधिशेष नियन्त्रण रखने में समर्थ हो जाएगी ।

(2) पहले, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति धान, चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्नों तक ही सीमित थी । अब अधिप्राप्ति का दायरा विस्तृत कर दिया गया है अतः ज्वार, बाजरा, मक्का और चना जैसे मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की जाती है ।

(3) जिन स्रोतों से प्रायः अधिप्राप्ति की जाती थी उन में भी अब वृद्धि कर दी गयी है । अब मिल मालिकों और पंजीकृत व्यापारियों के अलावा उत्पादकों से भी की जाती है ।

सघन कृषि कार्यक्रम

***8. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा हाल में ही किए गए विस्तृत अध्ययन से यह पता लगा है कि उर्वरकों तथा कीटाणुनाशक दवाइयों की कमी के कारण सघन कृषि कार्यक्रम में बाधा पड़ जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में उर्वरक तथा कीटाणुनाशक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख): कृषि विभाग ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है । फिर भी, केन्द्रीय कृषि विभाग सघन कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले क्षत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियां उपलब्ध करने की ओर ध्यान दे रहा है । चौथी योजना की अवधि के लिये इन आदानों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा रहा है और देश में उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों के उत्पादन और आयात को बढ़ाकर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

खण्ड विकास पदाधिकारी

***9. श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री विभूति मिश्र :

श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री ह० च० सोय :
श्री काजरोलकर :
श्री मानसिंह पृ० पटेल :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खण्ड विकास पदाधिकारियों के पद को समाप्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) खण्ड विकास पदाधिकारियों को सौंपे गये कार्यों को पूरा करने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारमंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) : खण्डविकास अधिकारियों के पद समाप्त करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय पर विचार किया जा रहा है ।

हल्दिया पत्तन

***10. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मधु लिमये :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प० ह० भील :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० क० देव :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में संभावित यातायात के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें और निष्कर्ष क्या हैं तथा हल्दिया गोदी योजना के वित्तीय तथा अन्य पहलू क्या हैं;

(ख) हाल में जो विश्व बैंक मूल्यांकन दल भारत आया था, इस अध्ययन दल के निष्कर्षों के बारे में उसके क्या विचार हैं;

(ग) क्या मूल्यांकन दल ने विश्व बैंक को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो हल्दिया योजना के बारे में विश्व बैंक के क्या विचार हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हल्दिया अध्ययन दल द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार, 1970–71 में कलकत्ता हल्दिया पत्तन पद्धति द्वारा निपटाया जाने वाला यातायात निम्न होगा :—

(मिलियन टन)

सामान	सम्पूर्ण कलकत्ता-हल्दिया कम्पलेक्स	कलकत्ता	हल्दिया
1 एक फास्फेट, गन्धक/पौटाश	1.7	0.2	1.8
2 (क) क्रूड तेल	3.5	..	3.5
(ख) पेट्रोलियम प्रोडक्ट	0.3	0.3	..
3 खाद्यान्न	2.3	0.3	2.0
4 कच्चा लोहा	3.0	..	3.0
5 कोयला	2.5	..	2.5
6 नमक	0.8	0.2	0.6
7 सामान्य माल	6.3	5.8	0.5
(अन्य धातुओं सहित) जोड़	20.4	6.8	13.6

इन यातायात निर्धारणओं के आधार पर, हल्दिया अध्ययन दल ने हल्दिया में प्रथम प्रावस्था में 8 बर्थों की व्यवस्था करने की सिफारिश की है, जैसा नीचे दिखाया जाता है :

पी० ओ० एल० के लिये बर्थ	1
एक फास्फेट/गन्धक के लिये बर्थ	1
खाद्यान्न के लिये बर्थ	1
कोयले के लिय बर्थ	1
सामान्य माल बर्थ	3
कच्चे लोहे के लिये बर्थ	1
	8

अध्ययन दल ने तेल के अतिरिक्त नदी तटीय बर्थो को अस्वीकार कर दिया है। ठीक तरह की गोदी पद्धति जरुरी समझी जाती है।

परियोजना को बनाने की लागत 40 करोड़ रुपये प्राक्कलित की जाती है। इसमें 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा संघटक भी शामिल है।

अध्ययन दल इस नतीजे पर पहुंचा कि आर्थिक आधारों पर हल्दिया में निवेश उचित होगा और निर्माण कार्य में देरी नहीं की जानी चाहिये।

(ख) और (ग) : बैंक की सामान्य क्रियाविधि के अनसार निर्धारण दल ने सरकार और कलकत्ता पोर्ट कमिश्नरों से परियोजना के बारे में पूरी तौर से विचार विमर्ष कर लिया है। सरकार को पता नहीं है कि निर्धारण दल ने विश्व बैंक को रिपोर्ट पेश कर दी है और यदि ऐसा है तो उसकी सिफारिशें क्या है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम लिमिटेड

***11. श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम लिमिटेड ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निगम क्या क्या कार्य करता है ;

(ग) क्या सभी तटवर्ती क्षेत्र इसके क्षेत्राधिकार में होंगे ; और

(घ) निगम में कितनी पूंजी का विनियोजन होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) निगम का प्रारम्भिक कार्य पश्चिमी बंगाल और पड़ौसी राज्यों में विभिन्न स्रोतोंसे मछली खरीदना और उचित दरोंपर कलकत्ता के बाज़ार में उसकी बिक्री करना है और यथा समय में निम्न-लिखित काम भी करने हैं :

(1) निगम दोनों आन्तरस्थलीय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम करेगा;

(2) निगम मात्स्यकी के विकास और मछली के विधायन और विपणन से सम्बध्द उद्योग की वृद्धि के लिये राज्य सरकारों के परामर्ष से योजनाएं तैयार करेगा ;

(3) निगम मछियारों और उनके संगठनों को उपकरण, ऋण और पेशगिया देकर विपणन सम्बन्धी गतिविधियों की अभिवृद्धि के लिये आवश्यक कदम उठायेगा ; और

(4) निगम, मछली, पकड़ने, विधायन और निर्यात करने, सामूद्री इंजनों, मत्स्य नौकाओं अन्य मछली पकड़ने सम्बन्धी-उपकरणों के बनाने में विदेशी सहयोग भी प्राप्त कर सकता है ।

(ग) निगम स्वतन्त्र रूप से या राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों के सहयोग से सारे तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम कर सकता है ।

(घ) निगम की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये और वर्तमान जारी पूंजी 60 लाख रुपये है ।

Central Co-operative Stores, Delhi

***12. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and

Co-operation be pleased to state :

(a) the number of cases regarding irregularities commited by the Delhi State Central Co-operative Stores in respect of coal, gur and iron regarding which the enquiry has been completed and the action taken thereon;

(b) whether the store is still functioning and its old staff has been retained; and

(c) whether any further complaints have been received about the said Store?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri C. Subramanian): (a) The number of such cases is three. They areas under:—

(i) Storage and sale of gur and khandsari from unauthorised premises and failure to submit fortnightly returns to the Director of Civil Supplies, Delhi Administration, Delhi ;

(ii) Illegal sale of iron and steel; submission of false returns and failure to submit monthly returns to the Delhi State Steel Licensing Authority; and

(iii) Allegations of criminal conspiracy against officials of the Khas Jairampur Colliery and the Store in the purchase and sale of sub-standard coal.

In the first two cases legal proceedings were instituted after completion of police investigation and the cases are *sub-judice*. In the third case, no legal action was possible.

(b) The store is still functioning. Out of 70 old employees, 8 are still working.

(c) No fresh complaint has been received.

Abolition of Post of Block Development Officers

***13. Shri Kishan Pattnayak :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shri Ram Manohar Lohia :
Shri Warior :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Prabhat Kar :
Shri Vasudevan Nair :
Shri S. M. Banerjee :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borroah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Vishram Prasad :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Utiya :
Shri Yashpal Singh :
Shrimati Maimoona Sultan :
Shri D. G. Naik :
Shri Solanki :
Shri P.K. Deo :
Shri Mohanswarup :
Shri D. D. Puri :
Shri Linga Reddy :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri M. L. Jadav :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Shri Man Singh P. Patel :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and

Co-operation be pleased to refer to the reply given to Short Notice question No. 10 on the 9th December, 1965 and state :

(a) the experience of the Madhya Pradesh Government after the abolition of the post of Block Development Officers;

(b) Whether any further correspondence has been exchanged between the Centre and the Government of Madhya Pradesh in this connection; and

(c) if so, the extent to which the Central Government have now agreed with the decision taken by the State Government?

The Minister of Food, Agrigulture, Community Development and Co-operation (Shri C. Subramaniam) : (a) The State Government abolished the posts of Block Development Officers as from the 1st January, 1966 but have placed the Extension Officer (Agriculture) in charge of the block and declared him the drawing and disbursing officer; the Sub-divisional Officer (Revenue) has been put in over all charge of the blocks in his jurisdiction. Detailed arrangements are yet to be finalised.

(b) & (c). The Central Government has not concurred in the decision of the State. The matter is under consideraion in consultation with the Planning Commision.

निर्वाचन के खर्चे

*14. श्री लाटन चौधरी :	श्री किशन पटनायक :
श्री रामेश्वर टांटिया :	श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हिम्मतसिंहका :	श्री नारायण रेड्डी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :	श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :	श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :	श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामसेवक यादव :	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के खर्चे पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को सरकार ने मंजूर कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): (क) और (ख) : जी हां । भारत के तृतीय साधारण निर्वाचन, 1962 की रिपोर्ट में निर्वाचन खर्चो के बारे में निर्वाचन आयोग की मुख्य प्रस्थापनायें दो त्रुटियों को दूर करने के बारे में हैं । आयोग के अनुसार, ये त्रुटियां ही वे मुख्य त्रुटियां हैं जो निर्वाचन खर्चो के लेखा के सम्बन्ध में वर्तमान विधि में पाई जाती हैं । इनमें से पहली त्रुटि यह है कि लेखांकन की कालावधि, निर्वाचन कराने की अधिसूचना की तारीख और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच की अवधि तक ही सीमित होती है ।

दूसरी त्रुटि यह है कि राजनैतिक दल अपने द्वारा खड़े किये गये विशिष्ट अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी समूहों पर जो व्यय करते हैं, उसे किसी भी अभ्यर्थी के लेखाओं में सम्मिलित नहीं कराया जाता।

निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि विधि का संशोधन करके, इन दो मुख्य त्रुटियों को दूर कर दिया जाय।

आयोग की दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिये जिसके अनुसार अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन खर्चा किया जाना प्रतिषिद्ध हो और यह उपबन्ध हो कि जहां ऐसा कोई प्राधिकृत व्यक्ति कोई खर्च करे, वहां उसे उन खर्चों का विस्तृत लेखा समुचित आफिसर को देना चाहिये।

निर्वाचन के खर्चों के बारे में आयोग की अन्य सिफारिशें ब्यौरों के बारे में हैं।

(ग) और (घ) : आयोग की प्रस्थापनायें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

आपातिक खाद्य कार्यक्रम

*15. **श्री रामेश्वर टांकिया :**
श्री लाटन चौधरी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार को आपात खाद्य कार्यक्रम में 20 लाख टन की अल्पकालिक फसलें उगाने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में पेश आ रही कठिनाइयों का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र ने आपात कार्यक्रम के लिये राज्यों की उर्वरक की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का वचन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकने की स्थिति में है ; और

(ङ) क्या इस आपात खाद्य योजना को क्रियान्वित करने में मुख्य कठिनाई विदेशी मुद्रा की कमी के कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख): आपतकालीन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया है। फिर भी 1965-66 में रबी तथा समर सीज़न के दौरान 3.2 मिलि: एकड़ भूमि में अतिरिक्त फसल उगाने के फलस्वरूप अधिक खाद्य उत्पादन की आशा की जा सक है। अभी यह बताना कठिन है कि इस अतिरिक्त क्षेत्रफल से वास्तविक अतिरिक्त उत्पादन कित.. होगा। राज्य सरकारों से जो रिपोर्ट आई हैं उनसे पता चलता है कि अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें खेती की जानी है उनके लक्ष्य से अधिक होगा।

(ग) तथा (घ) : आपातकालीन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की उवरक की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है।

(ङ) विदेशी मुद्रा की कमी तो समस्त कृषि उत्पादन योजना की प्रगति में रुकावट है केवल आपतकालीन खाद्य उत्पादन के आन्दोलन में ही नहीं।

कृषि के लिए आवश्यक सामग्री देने की योजना

*16. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभुति मिश्र :
श्री लाटन चौधरी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार फसल को खराब होने से बचाने के लिये आवश्यक सामग्री, अर्थात उर्वरक, कीटाणुनाशक दवाइयां और बीज देने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सामग्री के मूल्य में बीमे की किस्त की राशि भी शामिल हो ी ;

(ग) इस योजना की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीय योजना परिषद के कृषि अध्ययन दल ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ङ) यह योजना किन-किन स्थानों पर प्रयोग में लाई जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) अभी तक ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं होता ।

राज्यों को अनाज का सम्भरण करने के लिए बोनस योजना

*17. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री नारायण रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री लाटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों को अनाज का संभरण करने के लिए बोनस योजना लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार को इस योजना से कितना लाभ होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सूखा वाले क्षेत्रों के सहायतार्थ विशेष कार्यक्रम

***18. श्री लिंग रेड्डी :**
श्री नारायण रेड्डी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री हेम बरुआ :
श्री लाटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेमराज :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सूखा वाले क्षेत्रों में सहायतार्थ विशेष कार्यक्रम का सूत्रपात करने के लिये कृषि विभाग में एक विशेष सल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तो सैल सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किये जाने वाले सहायता कार्यों का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र और राज्यों के बीच इस कार्यक्रम का उचित समन्वय करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर एक समिति स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) खाद्य विभाग में एक विशेष सैल स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) निदेशक के ओहदे का एक अधिकारी इस सैल का कार्यभारी होगा । इस अधिकारी के पास आवश्यक सहायक स्टाफ भी रहेगा । इस कार्यक्रम से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को रोज़गार देने के लिए राहत कार्य शुरू करने की व्यवस्था है। जो कार्य आरम्भ किए जा रहे हैं वे इस प्रकार है— परिसम्पति का निर्माण और सम्बन्धित क्षेत्रों मे कृषि उपज में सुधार करना, उदाहरणार्थ, मध्यम और छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण आदि जसे कार्य। तथापि उन क्षेत्रो में यहां उत्पादन काम शुरू करने सम्भव नहीं है वहां केवल रोजगार सुलभ करने के उद्देश्य से अनुत्पादक कार्य आरम्भ करने आवश्यक होंगे। सब से अधिक प्रभावित क्षत्रों में यह आवश्यक होगा कि बहुत बूढ़े और निर्योग्य व्यक्तियों को मुफ़त राहत सुलभ की जाए । प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं का पौष्टिक भोजन सुलभ करने के लिये एक योजना शुरू करने का भी विचार है । जहां आवश्यक होगा वहां मवेशियों के लिए चारा की व्यवस्था करने का काम भी किया जाएगा ।

(ग) समन्वय के लिए एक मिली जुली समिति जिसमें राज्य और केन्द्र के प्रतिनिधि हों, स्थापित करने का कोई विचार नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Law Graduates

*19. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Narayan Reddy :
Shri Bhanu Prakash Singh :
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Yashpal Singh :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Kajrolkar :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the law students of Delhi University and other Law Graduates staged demonstrations in front of his residence and the Parliament House some time in December, 1965;

(b) if so, their main demands; and

(c) the steps taken by Government to meet their demands?

Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : (a) Yes, Sir; Some law students of the Delhi University and other law gradutes staged a demonstration in front of the residence of the former Law Minister and the Parliament House in December, 1965.

(b) The main demand of the demonstrators was that the system of training and examination as required under section 24(1) (d) of the Advocates Act, 1961, should be abolished or in any event the date of exemption from training and examination should be further extended.

(c) By a notification by the Government of India issued on the 15th December, 1965, under section 49A of the Advocates Act, 1961, every person who obtained a law degree from any Indian university on the results of an examination held before the 31st December, 1965, has been exempted from undergoing a course of training and passing an examination as required under the aforesaid Section 24 of the Advocates Act.

Elections in Kerala

*20. **Shri Bagri :**
Shri Ram Sewek Yadav :
Sari Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri P. R. Chakravarti :
Shri K. N. Tiwari :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bhanu Prakash Singh :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hari Vishnu Kamat :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Warior :
Shri Prabhat Kar :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the time by which the next Elections in Kerala are likely to be held;

(b) Whether Government have formulated a policy in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : (a) The matter is still under consideration and no final decision has so far been taken.

(b) & (c). The policy of the Government is to instal a democratically elected government in the State as early as possible, consistent with the need to ensure stability in the political life of the State.

एअर इंडिया के लिए सबसानिक विमान

*21. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने चौथी योजना में अतिरिक्त सबसानिक विमान तथा उससे सम्बन्धित उपकरण खरीदने का कोई प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, एयर इंडिया ने, 10.59 करोड़ के कुल मूल्य के दो अतिरिक्त बोइंग 707 जेट मिानों का, सितम्बर और दिसम्बर, 1966 तक दिये जाने के लिए आर्डर भेज दिया है । इस प्रायोजना की 190 लाख की डालर लागत यू० एस० कमर्शियल बैंकों और बोइंग कम्पनी से प्राप्त क्रमों से दी जाएगी। एक विमान 320 बी टाइप का है जबकि दूसरा विमान भारवाही अथवा यात्री विमान दोनो के रूप में बदला जाने वाला (320 सी) विमान है ।

आसाम और त्रिपुरा में सीमा सड़कें

*22. **श्री दि० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और त्रिपुरा के सीमान्त क्षेत्रों में सड़क के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता ी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन सड़कों का विकास किया जायेगा और इस कार्य पर कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) शिलांग-अगरताला को मिलाने वाली सड़क का विकास करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जी हां, हाल ही में आसाम और त्रिपुरा के सीमान्त क्षेत्रों में विकास के लिये कई सड़क परियोजनाओं का सुझाव दिया गया है और उनकी परीक्षा की जा रही है । इन प्रस्तावों की सम्पूर्ण लंबाई लगभग 600 मील है और इसमें लगभग 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा । इसके अन्तर्गत शिलांग-अगरताला सड़क का और विकास भी शामिल है ।

समन्वित कृषि योजनायें

***23. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की प्रार्थना पर योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने समन्वित कृषि योजनाओं की उन्नति से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो खेती सम्बन्धी योजनाओं से सम्बन्धित मूल्यांकन समिति की उपपत्तियां क्या हैं ;

(ग) देश में चलाये गये आपातिक कार्यक्रमों से क्या परिणाम निकलने को संभावना है ; और

(घ) खपत करने वाले केन्द्रों को उर्वरक भेजने, किसानों में उनका शीघ्र वितरण करने और किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करने के बारे में सहकारी संस्थाएं क्या कार्य करती हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : जी हां । खाद्य और कृषि मंत्रालय के सुझाव पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने समन्वित कृषि योजनाओं की उन्नति से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया था और हाल ही में उसने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें संगठन ने अन्य बातों के अतिरिक्त सुधरे बीजों के वर्धन तथा वितरण, उर्वरकों की सामयिक सप्लाई तथा ऋण योजना, लघु सिंचाई के कार्यों का समन्वय और उसकी क्रियान्विति, भूमि संरक्षण व विस्तार कार्यों और विशेषकर कृषकों के खेतों में प्रदर्शन कार्य करने के कार्यक्रमों की त्रुटियों ओर ध्यान आकर्षित किया है । इस अध्ययन से कृषि कार्यक्रमों की क्रियान्विति सम्बन्धी समस्याओं को समझने और विभिन्न स्तरों पर सुधार लाने के लिए कदम उठाने में सहायता मिलेगी ।

(ग) आपातकालीन खाद्य उत्पादन के प्रति राज्य सरकारों का रुख अच्छा रहा है । आशा है कि 1965-66 में रबी व ग्रीष्मकालीन अवधि में सिंचित क्षेत्रों में 38 लाख एकड़ (15.5 लाख हैक्टर) भूमि में अतिरिक्त फसलें बोई जा सकेंगी । पता चला है कि काफी बड़े क्षेत्र में आलू तथा सब्जियां बोई गई हैं । राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गढ़ों में गोबर की खाद के उत्पादन को बढ़ाने और लघु सिंचाई (जिसमें उठाव सिंचाई भी शामिल है) की योजनाओं को गतिमान करने तथा पम्प सैटों का भरपूर उपयोग करने के कार्यक्रम को भी शुरू कर दिया है ।

(घ) 9 राज्यों में केवल सहकारी संस्थायें ही नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों का वितरण करती हैं । अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों में उर्वरकों के वितरण का कार्य सहकारी संस्थायें करती हैं । प्रायः सहकारी विपणन समितियां व सेवा-समितियां मिलकर उर्वरकों की सप्लाई के इन्डेंट भेजती हैं और वे आवश्यक स्थानों पर उर्वरकों का भण्डारण करती हैं ताकि उर्वरक समय पर कृषकों को मिल सकें । फसल ऋण पद्धति के अन्तर्गत एक कृषक के लिए ऋण की जो सीमा निर्धारित है उसमें एक किस्म उपांश शामिल है जिसके अनुसार उत्पादन हेतु जितने उर्वरक की आवश्यकता हो वह उपलब्ध कर दिया जाता है ।

Air Link from Northern Bihar to Patna and Delhi

*24. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a proposal to air-link certain places in North Bihar with Patna and Delhi;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Transport, Aviation Shipping & Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a), (b) & (c). The Corporation has examined the traffic potential in North Bihar. The survey has indicated that any service between Patna and places in North Bihar will not be justified on commercial considerations.

Ration Shops in Delhi

*25. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation,** be pleased to refer to reply given to the Unstarred Question No. 1987 on the 7th December, 1965 and state :

(a) the basis on which Ration Shops have been allotted to the shopkeepers in Delhi ;

(b) whether certain complaints have been received by Government in regard to the method and manner of allotment of shops; and

(c) if so, the action taken thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Shopkeepers who had functioned satisfactorily as agencies for distribution of Government foodgrains and sugar and consumer cooperative stores were given preference in selecting the ration shops.

(b) Individual representations were received from some dealers who could not be allotted ration shops.

(c) Each representation was promptly examined and any action it merited was taken.

Quality of Atta supplied in Ration in Delhi

*26. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bhanu Prakash Singh :

Shri D. N. Tiwary :
Shri Kajrolkar :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Bagri :
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Utiya :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Vishram Prasad :
Shri Ram Sevak Yadav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints in the middle of December, 1965 that atta supplied in the Ration Shops in Delhi was soiled, adulterated and contained worms; and

(b) if so, whether Government have taken any action against the persons responsible for the same?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) Samples of atta were drawn from many ration shops including those which could be suspected on the basis of complaints and the roller flour mills that supplied atta to these ration shops. These samples, on analysis, were found to conform to the prescribed standard. No action could, therefore, be taken against any person.

अनाज का आयात

***27. श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनाज का आयात बन्द करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वह समय सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : जी हां। आशा है कि 1970-71 तक इस देश में विदेशों से खाद्यान्नों का कोई निवल आयात नहीं होगा।

आनाज की राशन व्यवस्था

***28. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री वारियर :
श्री गुलशन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मधु लिमये :

श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० के० देव :
श्री बड़े :
श्री रा० बरुआ :
श्री प० ह० भील :
श्री केप्पन :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बसुमतारी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री दे० चं० शर्मा :
श्री किशन पटनायक :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज की राशन व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू की गई है;

(ख) अन्य क्षेत्रों में राशन व्यवस्था लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या राज्यों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त भंडार बना लिए गए हैं ; और

(घ) प्रति व्यक्ति राज्यवार राशन का क्या कोटा निश्चित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) सांविधिक राशन व्यवस्था कलकत्ता, मद्रास, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम में पहले ही लागू की जा चुकी है और कानपुर में 16 फरवरी, 1966 से लागू की जानी है।

(ख) ये प्रबन्ध किये जा रहे हैं कि सोपान कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले अन्य शहरों में और फिर दूसरे कस्बों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में धीरे धीरे सांविधिक राशन व्यवस्था लागू की जाए।

(ग) पर्याप्त भण्डार तैयार किया जा रहा है।

(घ) जिन शहरों में राशन व्यवस्था लागू की गयी है वहां पर राशन पर दी जाने वाली निर्धारित मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जिन नगरों में राशन लागू किया गया है	राशन की मात्रा
कलकत्ता] . . .	1,900 ग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह। इसम से चावल खाने वालों के लिए 1,000 ग्राम चावल और 900 ग्राम गेहूं तथा गेहुं खाने वालों के लिए 1,000 ग्राम गेहूं तथा 900 ग्राम चावल होंगे। अधिक शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों को इसके अतिरिक्त 200 ग्राम चावल / गहूं / गेहूं के उत्पाद दिये जायेंगे।
मद्रास तथा कोयम्बतूर .	2,000 ग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह। इसमें से 1,600 ग्राम चावल और 400 ग्राम गेहूं होगा। समूचा राशन गेहूं में लिया जा सकेगा।
दिल्ली . . .	2,000 ग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह चावल तथा गेहूं। चावल की अधिकतम मात्रा 1,000 ग्राम होगी और अधिक शारिरिक परिश्रम करने वाले श्रमिकों को 700 ग्राम प्रति सप्ताह अधिक राशन दिया जायेगा।

हैदराबाद, सिकन्दराबाद और विशाखापटनम।	2,100 ग्राम चावल तथा गेहूं प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह। 200 रुपये प्रति मास तथा उस से कम आय वाले व्यक्तियों के परिवारों को 420 ग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह अधिक राशन मिलेगा।

कृषकों को प्रशिक्षण

*29. **श्री शिवचरण माथुर :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिंकरे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों की एक समिति ने किसानों के लिए कृषि के आधुनिक तरीकों के अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रमों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या** 5428/66]

Crash of Air India Boeing

*30. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Sidhhanti :
Shri Daljit Singh :
Shri P. C. Borooah :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Ram Harakh Yadav :
Shri Gulshan :
Shri Lahari Singh :
Shri Kajrolkar :
Shri Dharmalingam :
Shri Basappa :
Shri R. S. Pandey :
Shri Sivamurthi Swamy :
Shri M L Jadhav :
Shri Krishnapal Singh :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Air India Boeing Airliner, Kanchenjunga crashed on Mont Blanc on the 24th January, 1966;

(b) if so, the causes of the crash;

(c) the number of persons killed and the amount of loss involved; and

(d) whether any compensation has been paid to the families of the victims of the air crash?

4—18 Lok Sabha/66

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Yes, Sir.

(b) The cause of the crash is under investigation by French Enquiry Commission.

(c) 106 passengers and 11 members of the crew were killed. The aircraft was fully insured at its original landed cost and there would thus be no capital loss so far as the aircraft is concerned.

(d) Claims received from the legal heirs of the victims of the crash are under scrutiny of Air-India.

उर्वरक संयंत्र

1. **श्री राम हरख यादव :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री मुरली मनोहर : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये प्रति वर्ष 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपये तक विदेशी मुद्रा पृथक रखने का कोई प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके बारे में वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने देश मे उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए प्रति वर्ष 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपये तक विदेशी मुद्रा पृथक रखने का कोई प्रस्ताव पेश नही किया है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

कालीकट के निकट हवाई अड्डा

2. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेलानूर, कालीकट में एक हवाई अड्डे के लिये एक गैरसरकारी व्यक्ति ने स्थान देने के सम्बन्ध में पेशकश की थी ;

(ख) क्या सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : चेलानूर म हवाई पत्तन के लिए स्थान देने का किसी निजी व्यक्ति द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं था लेकिन ग्वालियर रेयन्स वेलारी में अपनी साफ मौसम की डकोटा हवाई पट्टी को सरकार को देने के लिए प्रस्तुत था। प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया लेकिन पत्तन को बड़े विमानों के लिये विकसित करने की व्यावहारिक कठिनाइयों और दूसरे आर्थिक कारणों से इसको स्वीकार करना संभव नहीं हो सका।

आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

3. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1963-64 में सरकार ने पी०एल० 480 करार से भिन्न करारों के अन्तर्गत अमरीका से वाणिज्यिक खरीद पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ; और

(ख) इसी अवधि में पी०एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत वस्तुओं के आयात पर भाड़े के रूप में कितनी राशि खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) वर्ष 1963-64 में संयुक्त राज्य अमेरिका से पी०एल० 480 करार से भिन्न करारों के अन्तर्गत खाद्यान्नों की कोई वाणिज्यिक खरीद नही की गयी थी ।

(ख) 1963-64 में पी०एल० 480 कार्यक्रम के अधीन इन वस्तुओं के आयात पर भाड़े के रूप में 10.59 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा और 11.46 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा के रूप में खर्च हुये थे ।

केरल में भूमि सर्वेक्षण के अभिलेख

4. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में भूमि सर्वेक्षण से संबधित अभिलेख तैयार करने का कार्य अभी आरम्भ भी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो कार्य कब आरम्भ होगा ;

(घ) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन अभिलेखों के न होने के कारण भूमि सुधार कानून बनाने का कार्य रुका पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) से (ङ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में भूमिहीन खेतिहर मजदुरों का बसाया जाना

5. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भूदान तथा ग्रामदान द्वारा मिली हुई भूमि पर भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों को बसाने की योजना को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कितनी राशि मंज़ूर की गई है ;

(ग) अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ; और

(घ) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) : भारत सरकार ने दिसम्बर, 1965 में केरल प्रदेश में भूदान तथा ग्रामदान द्वारा मिली हुई 3,000 एकड़ भूमि पर 1,000 भूमिहीन कृषि मज़दूरों के परिवारों को बसाने के लिए 5 लाख रुपए की लागत की एक योजना मंजूर की थी।

(घ) राज्य सरकार योजना को कार्यरूप दे रही है। भूदान की भूमि के वितरण की सुविधा के लिए एक भूदान बिल तैयार किया गया है।

आसाम में हवाई अड्डे

6. **श्री लीलाधर कोटकी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के ऐसे भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण नगरों में, जहां कि अभी तक विमान सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, नये हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियों का निर्माण करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं। सिविल हवाई अड्डों के निर्माण की योजना परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर बनाई जाती है। आसाम में विद्यमान हवाई अड्डे इसके निमित्त पर्याप्त हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी संस्थायें

7. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी राज्यों में सहकारी संस्थाओं से राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान देने की अपेक्षा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में सहकारी क्षेत्र में अब तक विभिन्न कोषों में कुल कितना अंशदान दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) न केवल पूर्वी राज्यों में, बल्कि देश भर में, सहकारी समितियों को यह सुझाव दिया गया था कि वे अपने लाभों मेंसे जवानों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए धन दें।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विकास खंड अधिकारियों के कार्य

8. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किन-किन राज्यों में विकास खंड अधिकारी तथा राजस्व अधिकारी का कार्य एक ही व्यक्ति को सौंपा हुआ है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार की मंत्रणा के प्रतिकूल इस प्रकार की व्यवस्था बनाये रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ारत सरकार द्वारा अपनी मंत्रणा को शीघ्र मनवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) केवल बिहार राज्य के कुछ भागों में एक ही व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी तथा राजस्व अधिकारी का कार्य करता है।

(ख) व (ग) : बिहार में खण्ड स्तर पर राजस्व तथा विकास कार्यों का संमिश्रण मूलत: एक अंतरिम उपाय के रूप में उस समय तक के लिए अपनाया गया था जब तक कि राजस्व अभिलेखों को अद्यतन नहीं कर लिया जाता है। राज्य सरकार ने प्रमुख रूप से द्विभाजन की लागत तथा उसके लिए उपयुक्त कर्मचारियों की सुलभता के विचार से इस व्यवस्था को जारी रखा है। भारत सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से बातचीत जारी रखी और अलग-अलग कार्यकर्ता रखने के लिए उनसे आग्रह किया। राज्य सरकार ने अब धीरे-धीरे ऐसा करना मंजूर कर लिया है। कुल 575 खण्डों में से 248 में द्विभाजन के लिए आदेश दिए जा चुके हैं।

केंद्रीय अधिनियम

9. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में कितने मामलों में केन्द्रीय अधिनियमों के उपबन्धों को उच्च न्यायालय तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णत: अथवा आंशिक रूप में शक्ति बाह्य ठहराया है ;

(ख) शक्ति बाह्य ठहराये गये ऐसे अधिनियमों के क्या नाम हैं ;

(ग) कितने मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें दायर की गयी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन पर क्या निर्णय दिया गया ; और

(घ) न्यायालयों में अभी भी कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) से (घ) : जानकारी संग्रहित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

उपभोक्ता सहकारी भंडार

10. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में तैयार होने वाले कपड़े में से 10 प्रतिशत कपड़ा उपभोक्ता सहकारी भंडारों के द्वारा बेचे जाने की योजना स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है। वस्त्र मिलों ने केवल अपने उत्पादन के 'क्रास सेक्शन' का 10 प्रतिशत की सीमा तक कपड़ा उपभोक्ता भण्डारों तथा उचित मुल्य की दुकानों को देना मंजूर किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ना-उत्पादकों को भुगतान

11. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य निर्धारण समिति द्वारा दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप वर्ष 1958-59 और 1959-60 के लिये केरल राज्य की पम्बा रिवर शूगर फैक्टरी ने गन्ना उत्पादकों को अभी बहुत बड़ी धनराशि देनी है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य निर्धारण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या मूल्य निर्धारण समिति का वर्ष 1960-61 और 1961-62 के लिये गन्ने के मूल्यों के प्रश्न पर विचार करने का इरादा है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) पम्बा रिवर शूगर फैक्टरी ने केरल उच्च न्यायालय में गन्ना (अतिरिक्त) निर्धारण प्राधिकारी के फैसले के विरूद्ध रिट पेटिशन दायर की है और उस के अनुपालन के लिये रोक आदेश प्राप्त किये हैं।

(ग) 1960-61 और 1961-62 के सीज़नों के लिये गन्ने का अतिरिक्त मूल्य निर्धारण करने के लिय आंकड़े एकत्रित किये गये हैं और उनकी छानबीन हो रही है।

पर्यटन केन्द्र के रूप में कालाडी

12. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री शंकराचार्य के जन्मस्थान कालाडी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परादीप पत्तन

13. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा परादीप पत्तन को अपने हाथ में लिये जाने के बाद से उस के निर्माण-कार्य पर किया गया सारा व्यय उड़ीसा सरकार ने वहन किया है अथवा निर्माण-कार्य की सम्पूर्ण लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी;

(ख) परादीप पत्तन के निर्माण-कार्य की आधुनिकतम अवस्था क्या है; और

(ग) अब तक किये गये निर्माण-कार्य पर कुल कितनी लागत आई है और क्या कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) परियोजना के विकास पर राज्य सरकार द्वारा निर्वेशित धन को, उसे लिये जाने तक, पत्तन परियोजना को ऋण के रूप में दिया गया माना गया है। इसकी अदायगी यथासमय की जायगी जब वह आर्थिकरूप से इस स्थिति में होगा कि इस तरह की अदायगी कर सके।

(ख) केवल छोटे अवशिष्ट निर्माण कार्यों के अतिरिक्त पत्तन के विकास की प्रथम अवस्था निकटतः सम्पूर्ण हो गई है। जैसे ही निर्माणाधीन दो टग प्राप्त हो जायेंगे पत्तन चालू हो जायेगा।

(ग) केन्द्र द्वारा परियोजना लिये जाने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 19.9 करोड़ रुपये के परियोजना प्राक्कलन के विपरीत पत्तन की प्रथम अवस्था के विकास की लागत अब 20.5 करोड़ रूपया प्राक्कलित की जाती है।

चावल का आश्चर्यजनक बीज

14. **श्री महेश्वर नायक** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था में चावल के ऐसे आश्चर्यजनक बीज का पता लगाया गया है, जिसके द्वारा धान की उपज दुगुनी होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीज को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) तथा (ख) : किसी आश्चर्यजनक बीज का पता नहीं लगा है। यह सम्भवतः ताइचुंग नेटिव के लिये कहा गया है जो धान की भारी उपज करता है और जो विदेश से लिया गया है। इस समय इस बीज की किस्म को लगभग 12,000 एकड़ भूमि पर बढ़ाया जा रहा है ताकि खरीफ 1966 के दौरान लगभग 20 लाख एकड़ भूमि में बोए जाने के लिए पर्याप्त बीज पैदा हो सके।

दिल्ली में हरिजन बस्तियों में राशन की दुकानें

15. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की हरिजन बस्तियों में अभी तक राशन की एक भी दुकान नहीं खोली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हरिजन बस्तियों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं। राशन की दुकानें सभी क्षेत्रों में जिन में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां हरिजन रहते हैं, स्थित हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत में लकड़ी का मूल्य

16. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों की तुलना में भारत में लकड़ी का मूल्य कितना अधिक है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लकड़ी के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) अन्य देशों में लकड़ी के मूल्यों का तुलनात्मक दित्ता उपलब्ध नहीं है ।

(ख) भारत में लकड़ी के ऊंच मूल्य होने का यह कारण है कि यहां उपलब्ध संभरण की तुलना में मांग अधिक है ।

(ग) 'वन' राज्य सरकारों का विषय है । राज्य सरकारें निरन्तर रूप से वनारोपण करके और दुर्गम वन क्षेत्रों को काम में लाकर लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं ।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने की योजना

17. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित 7 योजनाएं बनाई हैं :—

1. अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार योजना

यह परियोजना पांच वर्ष की अवधि के लिए 1 अप्रैल 1965 से बनाई गई है । 1966-67 से इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है । परियोजना जिसका उद्देश्य किस्मों तथा उत्पादन सम्बन्धी विकास में, उर्वरक तथा पौद संरक्षण तरीके जो उपज बढ़ाने वाले हैं के विकास में तेज़ी से प्रगति करना है, ने एक संयुक्त परियोजना समन्वयकर्ता तथा सहायक स्टाफ की सहायता प्राप्त एक परियोजना समन्वयकर्त्ता की अधीनता में केन्द्रीय समन्वय केन्द्र, हैदराबाद में कार्य करना शुरू कर दिया है । सी० आर० आर० आई०, कटक, कोयम्बेटोर, रायपुर, पटना, कपूरथला और पालमपुर में क्षेत्रीय समन्वय केन्द्र हैं । यह योजना राफेफलर फाउन्डेशन के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है जिन्होंने संयुक्त परियोजना समन्वयकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए पहले ही एक विशेषज्ञ की सेवायें प्रदान कर दी है ।

2. अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार योजना

यह योजना गहूं की उन सुधरी हुई किस्मों को बढ़ाने के लिए बनाई गई है जो अच्छी किस्मों की भारी उपज करती है और जो रोग प्रतिरोधी हैं। यह योजना कोआर्डीनेटिड कीट रस्ट कन्ट्रोल स्कीम को बदल देगी जो पहली पंचवर्षीय योजना से चलाई जा रही है। प्रस्तावित योजना में एक उच्च व्हीट ब्रीडर-कम-कोआर्डीनेटर और प्रत्येक गहूं के क्षेत्र में पांच क्षेत्रीय समन्वयकर्त्ताओं की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में नौ बड़ केन्द्र और 9 उप-केन्द्र होंगे। राकफैलर फाउन्डेशन को इस परियोजना के साथ सम्बद्ध किया गया है। उन्होंने एक विशेषज्ञ की सेवायें प्रदान की है जो संयुक्त परियोजना समन्वयकर्त्ता के रूप में काम कर रहा है। 1966-67 से चल रही चौथी योजना के दौरान इस समन्वित योजना को शुरू करने के लिए कार्यवाही की गई है।

3. अखिल भारतीय समन्वित जौ सुधार योजना

इस योजना का उद्देश्य एसी अच्छी किस्मों का विस्तार करना है जौ विभिन्न जो उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में फले हुए कीटों तथा अन्य रोग प्रतिरोधी हों। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के प्रधान कार्यालयो में एक कोआर्डीनेशन सैल और उस संस्थान के अधीन चार बड़े केन्द्र हैं। राकफेलर फाउन्डेशन ने एक गहूं विशेषज्ञ दिया है जो जौ परियोजना में भी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

4. अखिल भारतीय समन्वित मोटे अनाज सुधार योजना

यह योजना भी राकफैलर फाउन्डेशन की सहायता से बनाई गई है। इसका उद्देश्य मोटे अनाजों के सुधार पर अनुसन्धान करके अनाज का उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में 6 मुख्य केन्द्र तथा आठ उप-केन्द्रों की स्थापना करना है। योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करना स्वीकार कर लिया गया है और इसे 1966–67 से शुरू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। राकफैलर फाउन्डेशन ने खाद्यान्न सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ का सेवाएं प्रदान की है जो इस परियोजना को भी समन्वित कर रहा है।

5. अखिल भारतीय समन्वित सौरधुम सुधार योजना

यह परियोजना सोरधम के सुधार सम्बन्धो अनुसन्धान को तीव्र करने और भारत के विभिन्न भागों में 8 केन्द्र तथा सात उप-केन्द्रो की स्थापना के लिए बनाई गई है। इस परियोजना में हैदराबाद, कोयम्बटोर तथा कानपुर के केन्द्रों से उपलब्ध सहायता का भी उपयोग किया जाएगा। यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी और राज्य सरकारें भूमि, भवन आदि मुफ्त प्रदान करेंगी।

6. अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार योजना

भारत में विभिन्न कृष्य जलवायु परिस्थितियों में उपयुक्त हाइब्रिड मक्का की अच्छी उपज वाली किस्मों का विस्तार करने की दृष्टि से "कोआर्डीनेटिड मेज़ ब्रीडिंग स्कीम" नामक एक योजना गत कई वर्षो से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत पाच मुख्य केन्द्र तथा दस उप-केन्द्र देश के वि न्न भागों में स्थापित किये गए हैं। यह योजना चौथी योजना में विस्तृत आधारपर चलती रहेगी। इस योजना के अधीन जो अनुसंधान किया गया उसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में हाइब्रिडस का विकास किया गया है। नौ हाइब्रिडस को देश के विभिन्न प्रदेशों में बड़े पैमाने पर खेती के लिए दे दिया गया है। ये हाइब्रिडस स्थानीय किस्मो के मुकाबले 20 से 50 प्रतिशत तक उपजमें वृद्धि कर सकते है। इनमें से कई तो अधिक मांड होता है और वाणिज्य सम्बन्धी सम्भाव्य साधन है। अन्य हाइब्रिडस को देने का भविष्य ब त उज्वल हैं।

7. **समन्वित दाल सुधार योजना**

उपरोक्त के अतिरिक्त दालों के सुधारहेतु समन्वित अनुसन्धान के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई है। इस योजना की अवधि पांच वर्ष होगी और उस पर यू०एस०एड० के सहयोग से 35 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है। यह योजना भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान केन्द्र में दिसम्बर, 1965 से शुरू कर दी गई है। इस योजना का काम पन्त नगर (यू०पी०), लुधियाना (पंजाब) और राजेन्द्र-नगर (ए०पी०) के कृषि विश्वविद्यालयों के अन्य तीन मुख्य केन्द्रों में भी चलाया जाएगा। अमरीकी सरकार ने प्लान्ट ब्रीडिंग, प्लान्ट पैथोलोजी, एन्टोमोलोजी, एग्रोनोमी के क्षेत्रों में आवश्यक सहायक कर्मचारियों सहित वैज्ञानिकों की सेवाएं प्रदान करना स्वीकार कर लिया है। विभिन्न मुख्य केन्द्रों तथा अनुभागों का कार्य एक परियोजना समन्वयकर्ता द्वारा समन्वित किया जाएगा।

कृषि अधिकारी कालिज (ऐग्रीकल्चरल स्टाफ कालिज)

18. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित इम्पीरियल स्टाफ कालिज के समान भारत में एक कृषिअधिकारी कालिज (ऐग्रीकल्चरल स्टाफ कालिज) स्थापित करने का विचार है, जिसके बारे में योजना आयोग के सदस्य, डा० वी० के० आर० वी० राव ने हाल में एक वक्तव्य में सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) तथा (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में केन्द्रीय स्टाफ कालिज स्थापित करने का प्रस्ताव सिद्धान्तरूप से स्वीकार हो चुका है किन्तु परियोजना द्वारा का विवरण अभी विचाराधिन है।

व्यापारिक फसलों का क्षेत्रफल

19. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पिछले एक वर्ष में कितनी अतिरिक्त भूमि में व्यापारिक फसलें बोई गई हैं, इसका निश्चय करने के लिए क्या सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : फसलों के अन्तिम अनुमान प्रषित होने के पश्चात ही नकदी की फसलों के क्षेत्र के आंकड़ उपलब्ध होते ह। आंकड़े इकट्ठ करने की वर्त्तमान प्रणाली में एसी कोई व्यवस्था मौजूद नही है जिसे यह पता चले कि कितना क्षेत्र नया है और कितना पुराना।

जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद्

20. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवाहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद काम कर रही है,

(ख) यदि हां, तो उस में कौन-कौन सदस्य है,

(ग) परिषद की स्थापना से लेकर अब तक उसकी कितनी बैठकें हुई हैं, और

(घ) परिषद में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई है तथा सरकार से क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) परिषद के सदस्यों की एक सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या टी० एल० 5429/66**]

(ग) अब तक परिषद की केवल एक बैठक हुई है।

(घ) परिषद में सामान्य तौर पर पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योगों की समस्याओं पर और विशेष कर जरूरी कच्चे सामान और उपस्करों की कमी पर विचार विमर्श किया गया।

परिषद ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) जितना शीघ्र हो सके एक पोत डिजाइन केंद्र की स्थापना की जानी चाहिये।

(2) सरकार को कलकत्ता पत्तन और विशाखापत्तनम पत्तन के अधिकारियों को इस बात के लिये मनाना चाहिये कि मरम्मत के लिये अलग बर्थें रखा जाय।

Mormugao Port

21. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Sigh Siddhanti :
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state:

(a) whether any programme has been formulated for the development of Marmugao Port;

(b) if so, the time by which the programme will be completed; and

(c) whether any amount has been earmarked for this purpose?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Yes. Mormugao Port will be developed primarily to load iron ore vessels of 45,000 dwt and 38 feet draft at a rate of about 4000 tons per hour. The annual quantity to be handled will be about 8 million tons initially.

(b) The work will take about three years.

(c) Necessary provision is being made in the Fourth Five Year Plan for Major Ports which is at present being finalised. A provision of Rs. 100 lakhs has been made in the meanwhile in the Plan for the year 1966-67 for the development o Mormugao Port.

Joint Programme for Food Production

22. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether any proposal regarding the joint programme for food production by Punjab and Rajasthan has been received and considered by Government;

(b) whether any discussion in this regard was held between the Chief Ministers and Food Ministers of the States concerned; and

(c) if so, the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Shinde): (a) to (c). This Ministry is not aware of either any proposal regarding the joint programme for food production by Punjab and Rajasthan nor of any discussion held between the Chief Ministers and Food Ministers of States concerned.

Long Air Travels

25. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the research conducted by the U. S. Federal Aviation Agency that air travellers after long distance flights showed psychological disruption and confusion for 24 hours and abnormal body functions for three to five days;

(b) whether Government are aware that U. S. Government are reported to be considering ordering its diplomats to rest for 24 hours before beginning important negotiations abroad; and

(c) whether Government have got conducted any such resreach here and if so, the results thereof?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b). Government are aware of the research being carried out by certain Western Countries, including the U.S.A. regarding pshychological changes observed in air crew and passengers on long distant flights which involve time cycle changes. A Press report has also come to the notice of the Government according to which the State Department in U.S.A. is expected to formally instruct its diplomats to rest for at least a day before beginning important negotiations abroad.

(c) Government have not conducted any such research in India.

Food for Visitors to Delhi

26. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta:
Shri P. C. Borooah:
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be plesed to state:

(a) the estimated number of persons who come to Delhi every day for a few days stay and the nature of catering arrangements provided for them by the Rationing Department; and

(b) the reasons for not making arrangements prior to the introduction of rationing for those people who do not stay in hotels or take food in public eating houses?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) No estimate has been made of the number of persons visiting Delhi for brief periods. Temporary Ration Cards can be obtained by or for the visitors whose stay in Delhi is likely to be not less than three days. For persons whose stay is likely to be less than three days there are a large number of catering establishments who have been granted ration permits on the basis of their past consumption. Ration permits have also been issued in favour of associations/business houses which maintain kitchen of their own for serving meals to guests and/or customers coming from outstations.

(b) Does not arise.

भारतीय तथा पाकिस्तानी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्वदेश लौटना

27. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुये हाल के संघर्ष में नजरबन्द किये गये सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दोनों देशों ने अपने देश को लौटा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को लौटाया गया है और अब भारत और पाकिस्तान में कितने ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों शेष रह गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) यह सच है कि समुद्र में चलने वाले तथा अंतर्देशीय जल परिवहन के जहाजों के सभी अधिकारियों तथा अर्मीदल को प्रत्यावर्तन करने का निर्णय किया गया है और उसे कार्यान्वित कर लिया गया है ।

(ख) (1) पाकिस्तानी जहाजों के 154 अधिकारियों और कर्मचारियों का, जिन्हें भारत में रोका गया था, प्रत्यावर्तन किया गया है ।

(2) समुद्रगामी जहाजों के सब भारतीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों, जिनकी संख्या 171 थी, का प्रत्यावर्तन कर लिया गया है । मालुम हुआ है कि अंतर्देशीय जल परिवहन के 259 कर्मचारियों, जो पूर्वी पाकिस्तान में नजरबन्द थे, जैसे 16 कर्मचारी वापस लौट आये हैं । अन्य कर्मचारियों के बाबत पूछताछ चल रही है ।

Branch Secretariat of Law Ministry at Madras

28. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhvaiya :

Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarrred Question No. 500 on the 24th August, 1965 and state :

(a) whether a final decision has been taken for the opening of a Branch Secretariat of the Ministry at Madras; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Minister in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) The proposal for the opening of a Branch Secretariat of the Mnistry of Law (Department of Legal Affairs) at Madras has been deferred for the present.

(b) Does not arise.

Bridge at Pali Ghat

29. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) when the work of construction of the bridge over the Chambal river at Pali Ghat between Sheopur (Madhya Pradesh) and Sawai Madhopur (Rajasthan) is likely to be undertaken; and

(b) the steps taken so far in regard to the construction of the said bridge?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b). The proposed bridge over the river Chambal at Pali Ghat on the Sawai Madhopur-Sheopur road is a State Project as it falls on a State road. Its construction is, therefore, primarily the responsiblity of the State Governments concerned. However, with a view to promoting inter-State communication facilities, it was agreed in June 1964 to provide in the Third Five Year Plan, Central aid for preliminary investigations like survey, collection of hydraulic data, fixation of the site, etc. in respect of certain inter-Statal bridges including, *inter alia*, the proposed bridge over the river Chambal at Pali Ghat at the Rajasthan/Madhya Pradesh border. The question of the provision of funds for the actual construction of these bridges was to be considered in the Fourth Five-Year Plan. An estimate amounting to Rs. 1,21,600 was accordingly sanctioned in November 1965 for the survey work in respect of the proposed bridge over the river Chambal at Palighat and two other bridges in Rajasthan. After these preliminary investigations have been completed, the question of providing funds for the construction of these and similar other bridges will be examined in the light of the availability of funds for such projects in the Fourth Five-Year Plan.

Price of Coal

30. **Shri Bade:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to refer to the reply given to a supplmentary question on Starred Question No. 684 on the 7th December, 1965 and state :

(a) the rate at which coal was purchased from the coal mines and the rate at which it was sold to the public by the Delhi State Central Cooperative Store; and

(b) the profit thus made?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) A Statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. L. T. 5430/60]**

(b) The Store sustained a loss.

Production of Sugarcane

31. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme under consideration for agriculturists which may induce them to reduce the acerage of sugarcane production keeping in view "Grow More Food" Scheme;

(b) whether any suggestions in this regard have also been received;

(c) if so, its salient features and increase in production of foodgrains likely to be made by reducing the production of sugarcane; and

(d) when it is likely to be implemented?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b). No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Grow More Food Campaign

32. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that "Grow More Food" campaign has been launched by going from village to village by the workers of the organisations attached to the All India Congress Committee, like Congress Sevadal, Yuvak Congress, Mahila Congress;

(b) whether any other organisations have also launched such a campaign; and

(c) if so, their names and the manner in which Government have helped or propose to help them in their campaign ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community De-velopment & Co-operation (Shri Shinde) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

"Miss-A-Meal" Campaign

33. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Food, Agricu ture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2007 on the 7th December, 1965 and state :

(a) whether any political and cultural organisations have also extended their support for "Miss-a-Meal" Campaign; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govind Menon) : (a) Not known.

(b) Does not arise.

अमरीकी उर्वरक परामर्शदाता

34. **श्री वारियर :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री प्रभात कार : **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी उर्वरक परामर्शदाताओं के चार सदस्यों वाले दल ने, जिसने अभी हाल में हुई उर्वरक गोष्ठी में भाग लिया था, यह सुझाव दिया है कि भारत सरकार और अमरीकी सहायता को खेती सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये आर्थिक तथा तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता को मिलाना चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो उस का मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) दल की सिफारिशों की एक प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 5431/66**]

(ग) तथा (घ) : सिफारिशों पर विचार हो रहा है।

हल्दिया पत्तन

35. **श्री वारियर :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री प्रभात कार : **डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री च० का० भट्टाचार्य : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पत्तैन की कलकत्ता के सहायक पत्तन के रूप में विकसित करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हल्दिया पर नये ाक तंत्र के विकास के प्रथम क्रम का सारा प्रारंभिक कार्य ूरा हो गया है।

हल्दिया पर एक तेल जेटी के निर्माण के लिये ठेका दे दिया गया है।

डाक की मजदूरों द्वारा 80 लाख रुपये लागत से खुदाई करने के काम की मंजूरी जनवरी, 1966 में दे दी गयी थी।

कलकत्ता पत्तन कमिशनरों ने डाक और लाक प्रवेश द्वारों के निर्माण के लिये टेंडर दस्तावेज तैयार कर लिये हैं।

हल्दिया परियोजना के विदेशी मुद्रा के व्यय को पूरा करने के लिये ऋण लेने के लिये विश्व बैंक के एक दल के साथ विचार विमर्श किया गया है।

हल्दिया तक रेल लाइन के निर्माण का काम जारी है। हल्दिया को सड़क द्वारा जोड़ने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार आवश्यक भूमि लेने का प्रबन्ध कर रही है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलाघाट के ग्रिड से आवश्यक विद्युत शक्ति प्रदाय करने का प्रबन्ध कर लिया है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1965 तक इस परियोजना पर कुल 391 लाख रुपया व्यय किया गया है।

खाद्यान्नों का आयात

36. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० के० देव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में अब तक कितना चावल और गेहूँ पी०एल० 480 करार के समेत दूसरे देशों से आयात किया गया और इसका देश-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) आयात किन शर्तों पर किया गया है; और

(ग) इस से कितनी मात्रा में कमी की पूर्ति होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) विभिन्न देशों से गत तीन महीनों (नवम्बर, 1965, से जनवरी, 1966) की अवधि में गेहूँ और चावल की निम्नलिखित मात्राएं आयात की गयी थी :—

(हजार मीट्रिक टन)

देश	गेहूं	चावल	जोड़
संयुक्त राज्य अमेरिका			
(1) पीएल० 480 . . .	1524.2	..	1619.6
(2) वाणिज्यिक खरीद . . .	95.4	..	
कनाडा . . .	40.1	..	40.1
बर्मा	..	9.5	9.5
थाईलैण्ड	..	67.4	67.4
संयुक्त अरब गण राज्य . .	..	7.6	7.6
जोड़ . .	1659.7	84.5	1744.2

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका से पी०एल० 480 करार के अधीन आयातित गेहूं की लागत का सारा भुगतान भारतीय रुपयों में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से वाणिज्यिक आधार पर खरीदे गये गेहूं की लागत का भुगतान डालरों में किया गया है। कनाडा से गेहूं का आयात उस देश द्वारा अपने अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता कार्यक्रम में की गयी व्यवस्था के प्रति किया गया है।

बर्मा और थाईलैण्ड से आयात किये गये चावल का भुगतान पौण्ड स्टर्लिंग में किया जाता है। संयुक्त अरब गण राज्य से जो चावल आयात किया गया था उसके मूल्य की अदायगी अविनिमेय भारतीय रुपयों में की गयी थी। संयुक्त अरब गण राज्य इस राशि का उपयोग भारत से विशिष्ट वस्तुएं खरीदने में करेगा।

(ग) इस वर्ष में खाद्यान्नों की कमी का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका से पी०एल० 480 के अधीन खाद्यान्नों का आयात कर पूरा करने की सम्भावना है। चूंकि अमरीका सरकार ने अभी तक कोई दीर्घकालीन वायदा नहीं किया है, अतः इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि किस सीमा तक यह कमी पूरी की जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य कुछ देशों ने जो पहले वायदे किये हैं उनसे आगामी तीन महीनों में हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

उड्डयन (फ्लाइंग तथा ग्लाईडिंग) क्लबों द्वारा विमान चालकों को प्रशिक्षण

37. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री लाटन चौधरी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में उड्डयन (फ्लाइंग तथा ग्लाईडिंग) क्लबों के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए भूतपूर्व केन्द्रीय परिवहन मंत्री ने उड्डयन क्लबों से यह अनुरोध किया था कि वे बड़ी संख्या में वाणिज्यिक विमान चालकों को प्रशिक्षण देने में सहायता करें, ताकि उनको संकट काल में काम पर लगाया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो देश में अधिक संख्या में विमान चालकों को प्रशिक्षण देने तथा उनको प्रतिरक्षा कार्यों के लिए भी प्रशिक्षित करने के हेतु इन क्लबों की सहायता करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) दिसम्बर, 1965 में फ्लाइंग क्लबों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भूतपूर्व परिवहन मंत्री ने फ्लाइंग क्लबों से अनुरोध किया था कि वे प्राइवेट पायलट के लाइसेंस की स्टेज तक पायलटों को प्रशिक्षण देने और एन०सी०सी० कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए अपना कार्य प्रभावी रूप से करें ताकि भविष्य में ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध हो सकें जो आगे प्रशिक्षण पाकर कमर्शियल पायलट या वायुसेना पायलट बन सकें।

(ख) देश में सहायित दरों पर उड़ान की सुविधाएं कई फ्लाइंग क्लबों में पहले से उपलब्ध हैं। उन क्लबों को जो पात्रता की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, सरकार, निर्धारित वार्षिक उपदान और क्लबों द्वारा की गयी उड़ान के घण्टों की संख्या से सम्बद्ध मासिक आर्थिक सहायता के रूप में सहायता अनुदान देती है। आगे, सरकार ने सहायता देने की योजना के अधीन घण्टों की संख्या पर विद्यमान पाबन्दी में कुछ छूट दी है ताकि प्रशिक्षणार्थी चार वर्षों में 250 घण्टों की उड़ान पूरी कर सके जो कि कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए आगे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मूल आवश्यकता है।

दिल्ली में राशन व्यवस्था

38. **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री द्वा० ना तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन व्यवस्था दिसम्बर, 1965 के दूसरे सप्ताह में शुरू हो गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधूरी व्यवस्था होने के कारण अधिकतर लोगों को राशन कार्ड न मिलने और राशन की दुकानों में अनाज उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई उठानी पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और उसका क्या परिणाम क्या निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । शहर के उन क्षेत्रों में भी जहां लोगों ने राशन व्यवस्था लागू होने से पूर्व अपने राशन कार्ड नहीं लिये थे, उनसे आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उन्हें तुरन्त राशन कार्य बिना राशन की किसी हानि के जारी कर दिये गये थे । राशन की दुकानों का चुनाव बहुत पहले कर लिया गया था और राशन व्यवस्था लागू होने से पूर्व सप्ताह में इन दुकानों को आटा, चावल और चीनी दे दी गयी थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब की उर्वरकों सम्बन्धी मांग

39. **श्री गुलशन : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 1965 में केन्द्रीय सरकार से दो लाख टन उर्वरक की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितनी मात्रा मे उर्वरक दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) तथा (ख) : मांग सम्बन्धी जानकारी निम्न प्रकार है :–

(आंकड़े टोन्ज़ में)

उर्वरक की किस्म	अप्रैल 65 से मार्च 66 तक मांगी गई मात्रा	अप्रैल 65 से मार्च 66 तक अलाट की गई मात्रा	31-1-66 तक सप्लाई की गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया . .	78,500	59,200	57,000
यूरिया . . .	5,500	2,635	131
कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट .	5,55,540	2,11,072	1,93,654

मांग के मुकाबले में अखिल भारतीय सम्भरण की औसत 45 प्रतिशत है । जहां तक पंजाब का संबंध है वहां सम्भरण मांग के मुकाबले के 49 प्रतिशत है ।

पंजाब को पम्पिग सैटों का सम्भरण

40. **श्री गुलशन :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल ही में पंम्पिग सेटों के संभरण के लिए केन्द्र सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को उनके संभरण के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया गया है;

(ग) क्या वह मांग पूरी की जा चुकी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (घ): पंजाब सरकार ने हाल ही में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत पम्पिग सैटों की कुल आवश्यकताओं के बारे में सूचना भेजी थी। राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि आवश्यकता हो तो वह पम्प सैटों के देसी विनिर्माताओं के साथ तय हुए रेट-कट्रैक्ट के अन्तर्गत विभागीय आधार पर बहुसंख्या में सैटों का क्रय करने की व्यवस्था करे ताकि कृषकों को समय पर और उचित मूल्यों पर सेटों का वितरण हो सके।

कानपुर में राशन व्यवस्था

41. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कानपुर में कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू किये जाने से पहले पर्याप्त मात्र के अनाज दिये जाने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो कानपुर के लिए उत्तर प्रदेश को कितने अनाज की आवश्यकता थी तथा केन्द्रीय सरकार ने कितना अनाज दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार, कानपुर को प्रतिमास 10,000 मीट्रिक टन गेहू की आवश्यकता है जोकि सप्लाई की जा रही है।

Programmes of States for Famine-Stricken Areas

42. **Shri Kishan Pattnayak :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shri Lahtan Chaudhry :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of States which have already formulated programmes for relief and assistance to the famine-stricken areas;

(b) whether they have also asked for Central assistance for the said programmes; and

(c) the action so far taken by the Central Government in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govind Menon) : (a) All the affected States, namely, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Mysore, Orissa and Andhra Pradesh have formulated programmes for relief and assistance to the people in the affected areas.

(b) and (c). The assistance to the States which have asked, or will ask, for it will be provided by the Central Government according to the principles laid down by the Ministry of Finance.

Land Development Corporation

43. **Shri Kishan Pattanayak :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shri Narayan Reddy :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri M. S. Murti :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have finalised the proposal to set up a Land Development Corporation for the reclamation of fallow lands;

(b) if so, the details regarding the administration of the same and also its field of activity; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) and (b). The proposal for setting up of a Land Development Corporation for reclamation and cultivation of waste lands primarily for growing export oriented crops is still under consideration.

(c) There is a demand for large blocks of land for certain Plan schemes, e.g. large seed farms, which will take priority over Land Development Corporation. After State Govts. offers are received, it will be examined whether the magnitude of the remaining problem is so vast as to warrant setting up of a Land Development Corporation. The possibilities of irrigation of land at reasonable cost and economics of the scheme also will have to be fully assessed before it is started.

Meals to Children in Drought Stricken Areas

44. **Shri Kishan Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether any scheme for providing meals to the children in the drought-striken areas has been formulated by Government;

(b) the amount allocated for that purpose; and

(c) the particulars of the children who will be benefited by the same?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govind Menon) : (a) A scheme for providing nutritive food to children in the drought affected areas is under consideration.

(b) and (c). The scheme will largely be worked with aid received from other countries and the particulars of the scheme including those of the children who will be benefited by it, will be decided after the full extent of aid likely to be available is known.

Uncleared Cargo at Major Ports

45. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Maheshwar Naik :
Shri Warior :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Prabhat Kar :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to auction the uncleared cargo lying in the country's major ports;

(b) the quantity of the uncleared cargo, its value and the ports where it is lying; and

(c) the number of years after which the cargo is to be treated as uncleared?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) No, Sir. Under the law, the Port Trust Board or the Port Commission concerned has the power to sell by public auction any goods placed in the custody of the Board or Commission upon the landing thereof, if they are not removed by the owner or other person entitled thereto from the premises of the Board or Commission within the prescribed time limit.

(b) and (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha due course

Increase in Production of Foodgrains

46. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme to give loans to those farmers who show increase in the production of foodgrains;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the time by which the scheme will be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) No such scheme has been formulated. However, the system of crop loans envisages full production finance

to cultivator-members of the Cooperative Societies. It has been indicated that the short-term credit needs should be determined chiefly with reference to the prevalent scale of production expenditure in respect of different crops. It has also been suggested to State Governments to encourage Cooperative Marketing by providing an incentive in the form of additional loans to those members who sell their produce through the cooperative marketing structure.

(b) and (c). Do not arise.

S. S. "Govinda Jayanti"

47. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri D. N. Tiwary : Shri Bade :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a foreign shipping company sent a radio message in December, 1965 that an Indian ship 'Govinda Jayanti' was in danger on the Norwegian coast and be rendered immediate assistance ;

(b) whether any assistance was rendered ; and

(c) if so, by whom and the nature thereof ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) S. S. "Govind Jayanti" hereself sent a distress message while she was off the Norwegian coast on the 20th December, 1965.

(b) and (c). The vessel was out of danger soon thereafter and the distress message was withdrawn. As such no assistance was required.

फसलों का बीमा

48. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामत : श्री किशन पटनायक :
श्री भागवत झा आज़ाद : श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री दे० जी० नायक :
श्री भानु प्रकाश सिंह : श्री रा० बरुआ :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागड़ी : श्री दे० द० पुरी :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राम सेवक यादव : श्री मा० ल० जाधव :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी तौर पर फस्लों के बीमों की योजना सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और यह कब लागू की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार ने केवल विधान बनाने का निर्णय किया है ताकि इच्छुक राज्य फसलों की बीमा योजना लागू कर सकें।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

भारत पर्यटन होटल निगम (इंडिया टूरिज्म होटल कार्पोरेशन)

49. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन,** उड्डयन, **नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन होटल निगम ने 1967 तक देश के विभिन्न भागों में 9 भव्य होटेल खोलने का निश्चय किया है,

(ख) यदि हां, तो ये होटल किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे,

(ग) इन होटलों पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है, और

(घ) क्या इनके लिये विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होगी और यदि हां, तो कितनी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : पर्यटक हितों के विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त होटल स्थान के लिये आवश्यकता संबंधी रिपोर्टों और शक्यता सर्वेक्षण के आधार पर भारत पर्यटन होटल निगम का बंबई, मद्रास, आगरा, बंगलौर, हैदराबाद, कलकत्ता और वाराणसी पर 9 होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) : होटलों की प्राक्कलित लागत लगभग 6 करोड़ रुपया है। विदेशी मुद्रा का अंश होटलों की लागत का 10 प्र०श० से 15 प्र०श० तक होगा।

बागबानी गवेषणा संस्था

50. श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
डॉ० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1945 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेस्साराघाट (मैसूर राज्य) में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की बागबानी संस्था स्थापना के लिए इस बीच कोई धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ख) यदि नही, तो धनराशि कब आवंटित की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख) : संस्थान की स्थापना करने के प्रस्ताव को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है और 1966-67 के बजट अनुमानों में 2 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

उर्वरकों का वितरण

51. श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री रामचंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री 16 नवम्बर और 7 दिसम्बर 1965 के क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या 250 और अतारांकित प्रश्न संख्या 1920 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक समिति तथा उर्वरक नीति दल की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) तथा (ख): दो विवरण जिनमें (1) उर्वरक विषयक समिति तथा (2) उर्वरक नीति दल की सिफारिशें दी गई हैं, तथा उनके विषय में किये गये निर्णय संलग्न हैं (अनुबन्ध 1 तथा 2) **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल. टी. 5432/66]**

बच्चों को गोद लेने के सम्बन्ध में कानून

52. श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **विधि** मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 720 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों को गोद लेने से संबंधित कानून को आद्यतन बताने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे. रा० पट्टाभिरामन) : यह विषय अभी विचाराधीन है।

औद्योगिक उपक्रमों में कर्मचारियों की उपभोक्ता सहकारी संस्थायें

53. **श्री दाजी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविहित राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों में कर्मचारियों की उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के लिए सम्भरण करने के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किए गए है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख) : राज्य सरकारों को सभी उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को सम्भरण करने के सम्बन्धमें दिया गया परामर्श निम्न प्रकार है :—

(1) उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को सप्लाई करने के लिये थोक सहकारी भण्डारों के साथ सम्बद्ध करना चाहिये और गैर सरकारी थोक व्यापारियों के साथ नहीं। जहां कोई सहकारी भण्डार विशेष फसले की दूरी के कारण अपनी सप्लाई नजदीक के गैर-सरकारी थोक व्यापारी से प्राप्त करना चाहे उसे यह छूटी दी जा सकती है; और

(2) सरकारी भण्डारों से उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को राशन वाली वस्तुएं प्रेषण के आधार पर दी जाएं।

यदि कोई वैकल्पिक तरीका बताने के बारे में अन्य विचार हैं, तो राज्य सरकारों को इस मामले में अपने निर्णय करने होंगे।

ग्राम स्वयंसेवक दल

54. **श्री शिव चरण माथुर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 में स्थापित किये गये ग्राम स्वयंसेवक दल का देश में कृषि उत्पादन को बढाने के आन्दोलन को और आगे बढाने की दिशा में प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान स्थिति में खाद्य उत्पादन को बढाने के लिये उक्त दल का भी लाभ उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) व (ख): ग्राम स्वयंसेवक दल की योजना, उत्पादन, जन-शिक्षा तथा ग्राम सुरक्षा के त्रिसूत्री कार्यक्रम को लेकर जनवरी, 1963 में शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त श्रम तथा धन को मुख्य रूप से कृषि उपज बढाने वाले कार्यों की कार्यान्विति पर खर्च किया गया, जैसे लघु सिंचाई कार्यों का निर्माण तथा मरम्मत, कम्पोस्ट के गड्ढे बनाना, भूमि संरक्षण कार्य, जल-निकास तथा बाढ़ बचाव उपाय, वृक्षारोपण और गांव की सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत। प्राप्त सूचना अनुसार मई, 1964 के अन्त तक 252.56 लाख श्रम दिनों का उपयोग किया गया तथा 27.25 लाख रुपए प्राप्त हुए।

(ग) व (घ) : वर्तमान संदर्भ में, मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राम स्वयंसेवक दल की गतिविधियों में सुधार किया गया है। विशेष रूप से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, राज्य सहकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे ग्राम स्वयंसेवक दल के सदस्यों को कम्पोस्ट बनाने, "फील्ड चैनल" खोदने तथा बनाये रखने, पौध संरक्षण उपायों फल तथा सब्जियां उगाने तथा मुर्गीपालन जैसी गतिविधियों के बारे में विशिष्ट कार्य सौंपें।

भरतपुर और महुआ के बीज राष्ट्रीय राजपथ

55. **श्री शिव चरणमाथुर :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भरतपुर और महुआ के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11 पर काफी लम्बी अवधि से बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य चल रहा है,

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया गया था और इसके पूरा होने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण है, और

(ग) कब तक यह कार्य पूरा होने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय मुख्यमार्ग सं० 11 के भरतपुर-जयपुर भाग के 87/0 और 106/0 मीलों को सुधारने, चौड़ा और उंचा करने से संबंधित काम को मार्च, 1963 में मंजुरी दी गई थी। अप्रैल, 1963 में यह निर्माणकार्य भारत सेवक समाज और एक दूसरे ठेकेदार को दिया गया था। परन्तु जो भाग भारत सेवक समाज को सौंपा गया था उसकी मंद प्रगति रही। इसलिये उनसे यह काम वापस ले लिया गया था, और विभागीय तौर पर शुरू किया गया। अब इस काम की संतोषजनक प्रगति हो रही है।

(ग) इस काम के जून, 1966 तक पूरे होने की संभावना है।

निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन लड़ा जाना

56. श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

श्री बड़े :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर-दिसम्बर, 1965 में निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ में इस आशय का एक वक्तव्य दिया था कि उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में निर्वाचन नहीं लड़ना चाहिये और क्या तृतीय साधारण निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्ट में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के वक्तव्य देना तथा मत व्यक्त करना उनके कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं है; और

(ग) क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि आगामी साधारण निर्वाचन में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ उचित और निष्पक्ष बर्ताव नहीं किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) यह कथन कि निर्वाचन-आयुक्त ने ऐसा कहा है सही नहीं है। इन विषय पर उनके विचार भारत में ततीय साधारण निर्वाचन 1962 से सम्बद्ध रिपोर्ट की जिल्द 1 के पृष्ठ 88-90 में अन्तर्विष्ट हैं। यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है।

(ख) और (ग) : इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करने का निर्वाचन आयोग को वैसा ही अधिकार है तथा ऐसा करना उसका वैसा ही कर्तव्य है जैसा कि निर्वाचन सम्बन्धी अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में है। इस आशंका में कोई औचित्य नहीं है कि निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ आगामी साधारण निर्वाचन मे न्यायसंगत और निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया जायेगा।

उर्वरकों को सम्बन्धी गोष्ठी

57. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री कोल्ला वेंकैया : **श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1965 के उत्तरार्ध में दिल्ली में हुई द्विदिवसीय उर्वरक गोष्ठी की चर्चाओं की और ध्यान दिया है; और

(ख) गोष्ठी में कौन सी प्रमुख बातें तय हुई तथा किस प्रकार उर्वरकों के उपयोग के सम्बन्ध में अधिक गहन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) फर्टीलाइज़र एसोसिएशन आफ इण्डिया, दिल्ली जिसने दिसम्बर, 1965 में उर्वरक विषयक एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया था, सरकार को गोष्ठी की संक्षिप्त रिपोर्ट तथा सिफारिशें भेजी हैं। अनुबन्ध 1 में दी गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। एक प्रति सभापटल पर रखी गयी। **[देखिये संख्या एल० टी० 5433/66]**

कृषि उत्पादन की नई पद्धति का अभिप्राय कुछ चुने हुए क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा नकदी की फसलों की नई संकर किस्मों की खेती को बढ़ावा देना है। ये नई किस्में उर्वरकों के अधिक प्रयोग के अनुकूल हैं और उनकी खेती से उर्वरकों के सघन प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार सितम्बर, 1965 में प्रस्तुत हुई उर्वरक विषयक समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने के बारे में भी अनेक कदम उठा रही है।

वर्जिनिया तम्बाकू का उत्पादन

58. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मीदास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 की फसल में विभिन्न किस्मों के धूम्र शोधित वर्जिनिया तम्बाकू के उत्पादन का प्रारम्भिक अनुमान कितना है; और

(ख) इसके बिकने की सम्भावना क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) फसल का प्रारंभिक अनुमान 1600 लाख पौंड है। परन्तु इन अनुमानों से वर्जिनिया तथा अन्य प्रकर के तम्बाकू की विभिन्न मात्राओं का पता नहीं लगता।

(ख) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि पिछले वर्ष के फालतू स्टाक प्रायः बिक चुके है, और कि दक्षिणी रोडेशिया से व्यापार करने पर भी प्रतिबन्ध लगने के कारण विदेशी मण्डियों, और विशेषकर इगलैंड में मांग के बढ़ जाने की सभावना है, विपणन की सम्भावनायें अच्छी समझी जा सकती हैं ।

पंचायती राज संस्थायें

59. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मीदास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय साधनों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशों पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या समिति ने अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) व (ख): पंचायतीराज संस्थाओं के वित्तीय साधनों की बलवंतराय मेहता समिति की अंतरिम रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर सरकार ने जुलाई, 1965 में श्रीनगर में हुए सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के वार्षिक सम्मेलन तथा सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के परामर्श से विचार किया था। स्वीकृत सिफारिशें राज्य सरकारों को कार्यान्विति के लिए भेज दी गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) व (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय मछली विपणन निगम

60. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री 16 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय मछली विपणन निगम की अब तक की गतिविधिया क्या रही हैं ;

(ख) इसने अब तक कुल कितनी मात्रा में बाजार में मछली बेची है; और

(ग) क्या इसका कलकते के बाजार में मछली के सम्भरण और इसके खुदरा मूल्यों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पंजीकरण के होने से अबतक केन्द्रीय मात्स्यकी निगम ने कलकता के बाजारों में मछली बेचने के लिये स्टाल लगाने, उपकरण, गाड़ियां आदि खरीदने और स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। कलकत्ता में एक कार्यालय और डिपो स्थापित किये गये हैं। निगम ने मछली की सप्लाई के लिये मच्छीमारों और उनके संगठनों, मछली व्यापारियों और राज्य मात्स्य की प्राधिकारियों के साथ प्रबन्ध किये हैं। निगम ने 3 दिसम्बर, 1965 से मछली की बिक्री प्रारम्भ कर दी है।

(ख) अद्यतन जानकारी सभा के पटल पर रखी जाएगी।

(ग) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम द्वारा मछली की सप्लाई से कलकत्ता के बाज़ार में सप्लाई और परचून कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह बताना बहुत जल्द बाज़ी होगी।

सधन खेती कार्यक्रम सम्बन्धी सम्मेलन

62. **श्री राम हरख यादव :**
श्री नारायण रेड्डी :
श्री लाटन चौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिसम्बर के मध्य में दिल्ली में सघन खती कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन किन संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने भाग लिया था और सम्मेलन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० 5533/66**]

(क) जी हां। 15 से 18 दिसम्बर, 1965 तक नई दिल्ली में सघन खेती कार्यक्रम की क्रियान्विति से सम्बन्ध रखने वाले राज्य अधिकारियों का चार दिन का सम्मेलन हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में कृषि उत्पादन आयुक्तों/विकास आयुक्तों, कृषि सचिवों, कृषि निदेशकों, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों तथा समस्त राज्यों के सघन कृषि कार्यक्रमों के राज्य-स्तरों के कार्यभारी अधिकारियों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा पान्डीचेरी के संघ क्षेत्रों के अधिकारी उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त इस सम्मेलन में खाद्य और कृषि मन्त्रालय, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय, योजना आयोग, रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया, फोर्ड संस्थान, यू० एस० ऐड तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

सम्मेलन ने अब तक हुई प्रगति का पुनर्विलोकन किया। सम्मेलन में इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया कि सघन कृषि कार्यक्रमों की क्रियान्विति के मार्ग में आने वाली क्या अड़चनें है और उनका समाधान कैसे किया जाये। सम्मेलन द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें अनुबन्ध में दी गई हैं।

(ग) ये सिफारिशें पुनरोक्षण हेतु राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय विभागों को भेज दी गई थीं और उनसे प्रार्थना की गई थी कि उन पर अग्रता के आधार पर उचित कार्यवाही करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे की गई कायवाही के बारे में प्रति मास रिपोर्ट भेजे।

वनों का विकास

163. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री ऊंटिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनों के विकास के लिये अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) संविधान के अनुसार "वन" राज्य सरकारों का विषय है, फिर भी भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की हुई वन सम्बन्धी विकास की योजनाओं की क्रियान्विति में हर तरह से सम्भव सहायता प्रदान करती है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में विकास की कुछ योजनायें शुरू की गई थीं। आर्थिक दृष्टि से महत्व की तथा उजड़े वनों को फीर से ठीक-ठाक करने की योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 75,000 एकड़ भूमि को लाया गया। दूसरी योजना की अवधि में अधिक विभिन्नता की योजनाओं को बड़े स्तर पर शुरू किया गया। टीक, साल और ब्लूगम आदि के पेड़ लगाने पर विशेष ज़ोर दिया गया। लगभग 4,70,000 एकड़ भूमि में आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि के महत्व के वृक्ष लगाये गये और 3,20,000 एकड़ भूमि में उजड़े वनों को फिर से ठीक-ठाक किया गया। इस अवधि में वनों में 6,800 मील लम्बी सड़कें तैयार की गईं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उन

कार्यों पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया है जिनसे कि देश की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 7,00,000 लाख एकड़ भूमि में वनारोपण करने के अतिरिक्त चालू योजना की अवधि में लगभग 1,70,000 एकड़ भूमि को शीघ्र उगने वाली किस्मों के पौधे लगाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका होगा। इस योजना का अभिप्राय लकड़ी के उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की विशेष निधि की सहायता से लकड़ी के लठ्टे बनाने में प्रशिक्षण देने की एक परियोजना को कार्य रूप दिया जा रहा है।

(ख) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि का वन विकास सम्बन्धी व्यय निम्न प्रकार है :—

	(रुपए करोड़ों में)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	9.50
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	19.30
तृतीय पंचवर्षीय योजना	48.00 (प्रायाशित)

धान और गेहूं की दो-दो फसलें

64. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में धान की दो फसलें उगाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं की दो फसलें उगाने के बारे में भी ऐसे प्रयोग करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) बिहार में धान की दो फसलें उगाने के सम्बन्ध में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है। रबी मौसम के दौरान अधिक गर्म प्रदेशों के क्षेत्रों को पानी सप्लाई करके इस कार्य के लिए निरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) गेहूं की दो फसले उगाना सम्भव नहीं है। किस्मों का विकास करने तथा शुद्धता को तीव्र करने के लिए और ग्रीष्म काल में दूसरी फसल प्राप्त करने हेतु इन्हें पहाड़ों पर ले जाया जाता है। इस प्रकार सामान्य फसल उत्पादन से एक वर्ष में एक फसल होने के मुकाबले एक वर्ष में दो फसलें प्राप्त करने की दृष्टि से गेहूं की दो फसलें उगाना सम्भव नहीं है। फिर भी धान और गेहूं की दो फसलों का कार्यक्रम कई राज्यों में बहुत लोकप्रिय है।

चीनी का निर्यात

65. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में अब तक विदेशों को कितनी चीनी का निर्यात किया गया; और

(ख) आगामी एक वर्ष में कितनी चीनी का उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) शर्करा वर्ष 1965-66 (पहली नवम्बर से 31 अक्तूबर, 1966 तक) में अब तक 16,140 मीट्रिक टन शर्करा का निर्यात किया गया है।

(ख) चालू शर्करा वर्ष 1965-66 में लगभग 33 लाख मीट्रिक टन शर्करा का उत्पादन होने की सम्भावना है ।

व्यापारिक फसलों की खेती

66. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनाज की कमी को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक फसलों की खेती पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : व्यापारिक फसलों तथा खाद्य फसलों के सम्बन्ध में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार खेती पर सर्वोपरि दृष्टि रखती है। बहु-फसलों के नए तरीके के कारण एक फसल का दूसरी के आधार पर होना कम सम्भव है।

कृषकों के लिये ऋण की व्यवस्था

67. **श्री कृष्णपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न तथा अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु कृषकों को उधार उर्वरक तथा उपकरण देने तथा अन्य ऋण सुविधाएं देने की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है ;

(ख) क्या वास्तविक उत्पादकों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया है और क्या सरकार का विचार एक केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्यों में तत्समान बोर्ड बनाने का है, जिनमें कृषि वैज्ञानिक, कृषक और खाद्य तथा कृषि एवं सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालयों के अधिकारी हों, और

(ग) प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने तथा उसे भ्रष्टाचार एवं सरल बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं, या किये जा रहे हैं ताकि यह सुविधायें कृषकों को ठीक समय पर और बिना अनावश्यक कठिनाई उपलब्ध हो सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) फसल ऋण पद्धति जिसे समस्त राज्यों ने क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है, का उद्देश्य उत्पादन आवश्यकताओं के आधार पर कृषकों को ऋण देना है। इसके अतिरिक्त उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशक औषधियों की खरीद तथा वितरण के लिए तकावी ऋण और अल्पकालीन ऋण भी कृषकों को दिये जाते हैं। 1965 में सरकार द्वारा नियुक्त की गई उर्वरक सम्बन्धी समिति ने 1970-71 में उर्वरकों की खरीद के लिए कोआपरेटिव सक्टर से 280.00 करोड रुपय तक कृषकों को ऋण देने की सिफारिश की है। समिति की उपरोक्त सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) सरकार ने पहले ही एक पैनल स्थापित कर दिया है जिसमें देश के विभिन्न भागों से 26 उन्नतशील कृषक-सदस्य शामिल है जो कृषि उत्पादन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने पर सरकार को सलाह देगा।

(ग) ये सुविधाय अब कृषकों को सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की जा रही है। कृषकों के तिनिधियों सहित जिला विकास / समन्वय समितियां स्थापित कर दी गई हैं ताकि वे कृषि उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने में मार्ग प्रदर्शन कर सकें।

तीसरे आम चुनाव सम्बन्धी रिपोर्ट

68. **श्री हेम राज :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बड़े :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन में से कौनसी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) से (ग) : तृतीय साधारण निर्वाचन से सम्बद्ध निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा पड़ताल की जा रही है।

खाद्य विभाग के कर्मचारी

70. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प० ह० भील :
श्री प्र० के० देव :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री काजरोलकर :
श्री धर्मलिंगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य विभाग तथा उससे संबद्ध कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों से यह कहा जा रहा है कि वे भारत के खाद्य निगम में काम करने की इच्छा व्यक्त करें अथवा उनकी नौकरी की स्थिति अनिश्चित रहेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाद्य विभाग के कर्मचारी निगम में अपनी वरिष्ठता तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में और केन्द्रीय सरकार की अपनी सेवा से वंचित होने के बारे में असंतुष्ट हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

6—18 Lok Sabha/66

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) खाद्य विभाग के कर्मचारियों को नौकरी की शर्तों का प्रश्न जोकि भारतीय खाद्य निगम में चल गए हैं या बाद में जाएंगे, इस समय सरकार के विचाराधीन है। इस संदर्भ में एक यह भी प्रस्ताव विचाराधीन है कि ऐसे कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में जाने या खाद्य विभाग या उसके कार्यालयों से जिनके काम को भारतीय खाद्य निगम धीरे धीरे ले रहा है, कार्य करते रहने, में से किसी को चुनने का अधिकार दिया जाए।

(ख) इस बारे में कुछ अभ्यावेदन भी आए है।

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, इस संदर्भ में प्रक्रिया और नौकरी की शर्तों पर इस समय सरकार विचार कर रही है और इस प्रश्न के सभी पहलओं पर पूरी तरह से विचार करने के केवल बाद ही सरकार अंतिम निर्णय करेगी।

एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा नियमों के अनुसार कार्य करने का आन्दोलन

71. **श्री काजरोलकर :**

श्री मधु लिमये :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों ने, जिन्होंने लगभग एक महीने से नियमों के अनुसार ही काम करने का आन्दोलन कर रखा था, उसे समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासन और कर्मचारियों के बीच कोई समझौता हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा **पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :** (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : एयर कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन ने अपना आन्दोलन, प्रबन्धकवर्ग की नेशनल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के प्रेज़ाइडिंग अफसर और यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ प्रबन्धकवर्ग के अनुरोध से हुई बैठक के पश्चात् समाप्त कर दिया।]

एयर इंडिया के इंजीनियरों की हड़ताल

72. **श्री काजरोलकर :**

श्री मधु लिमये :

श्री यशपाल सिंह :

श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्लाइट इंजीनियरों द्वारा अकस्मात् हड़ताल कर देने के कारण एयर इंडिया ने 25 दिसम्बर, 1965 को सुबह को सभी उड़ानें बन्द कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : अवैध हड़ताल का कथित कारण 24 दिसम्बर, 1965 को फ्लाईट इंजीनियर का उड़ान संख्या AI/109 की ड्यूटी पर से अलग होना था; क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने जानबूझ कर यात्रियों को, जोकि विमान में बैठ गये थे, अपनी उड़ान से पर्व यूटी को पूरा करने में आवश्यकता से बहुत अधिक समय लगाने के कारण इंतजार में रखा।]

प्रबन्धकवर्ग ने फ्लाइट इंजीनियर्स एसोसियेशन को हड़ताल की अवैधता के बारे में बताया। हड़ताल उसी दिन रात 8.00 बजे एसोसियेशन के अध्यक्ष के साथ जो उस दिन मख्यालय में देरी से वापस पहुंचे थे, प्रबन्धकवर्ग की बातचीत के पश्चात् समाप्त कर दी गई।

अमरीका से गेहूं का आयात

73. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दीर्घकालीन समझौते के अन्तर्गत अमरिका से गेहूं का आयात करने के लिये उसे कोई ठोस कृषि उत्पादन कार्यक्रम भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन कार्यक्रम को व्यावाहारिक रूप देने के लिये, क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिंदे) : (क) जी नहीं। परन्तु भारत सरकार ने अमरीकी सरकार को ऐसे आदानों की मात्राओं तथा किस्मों के बारे में कुछ अनमान भेज थे जिनकी आगामी पांच वर्षों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यकता थी। इसका अभिप्राय इन आदानों की प्राप्ति के लिए सहायता लेना है।

(ख) इसका विवरण "कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों का नवीकरण" नामक इस पुस्तिका में दिया गया है, जोकि नवम्बर, 1965 संसद सदस्यों में बांटी गई थी।

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की एक कठिनतम मद होगी। प्रथम वर्ष (1966-67) के कार्यक्रम के बारे में प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है और राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के परामर्श से उचित उपबन्ध कर दिये गये हैं।

समुद्र-पत्तनों पर चोरियां

74. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र पत्तनों पर हाल में चोरी की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं, और मीटर-पुर्जों तथा कीमती मशीनों के पुर्जों की चोरी के मामलों के समाचार मिले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन चोरियों के कारण मशीनें तथा कारखाने लगाने में काफी विलम्ब हो जाता है क्योंकि ऐसे पुर्जों के लिये नये सिरे से आदेश देने पड़ते हैं और आयात के लिये नये लाइसेंस लेने में काफी समय लग जाता है; और

(ग) पत्तनों पर इन चोरियों को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

मछुओं की क्षतिपूर्ति

75. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने की मशीन चालित नौकाओं के उन मालिकों की, जिनको तूफान के कारण क्षति पहुंची है, क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो नौका मालिकों को किस प्रकार सहायता दी जाएगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कालीकट हवाई अड्डा

76. श्री अ० व० राघवन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट हवाई अड्डा केरल में करीपुर गांव में बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के लिये प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ग) निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निर्माण कार्य के चौथी योजना के दौरान आरम्भ होने की संभावना है।

केरल में मछली पकड़ने के मशीनचालित जलयानों के लिए फालतू पुर्जे

77. श्री अ० व० राघवन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल के मछली पकड़ने के मशीनचालित जलयानों के मालिकों को समुद्री डीज़ल इंजिनों के फालतू पुर्जे प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों से अवगत है,

(ख) यदि हां, तो समुद्री डीज़ल इंजिनों के फालतू पुर्जों का आयात करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) वर्ष 1966-67 में इस कार्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क), (ख) और (ग) : केरल सरकार से या उसके द्वारा समुद्री डीज़ल इंजनों के फालतू पुर्जे आयात करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब कभी भी इस प्रकार के आयात के लिये आयात लाइसेंस के आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं उन पर पृथक पृथक कार्यवाही की जाती है।

बड़े बन्दरगाहों का विकास

78. श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रा० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में मुख्य बन्दरगाहों का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस बारे में दिसम्बर, 1965 के उत्तरार्ध में कलकत्ता में राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की बैठक में बातचीत हुई थीं; और

(ग) यदि हां, बोर्ड की बैठक में कौन से मुख्य निर्णय किये गये और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) चौथी पंचवर्षीय आयोजना में अन्य बातों के साथ साथ बडे पत्तनों का सुधार और विकास भी शामिल होगा।

(ख) कलकत्ता में दिसम्बर 1965 में हुई राष्ट्रीय हारबर बोर्ड की बैठक में जिन मदों पर विचार विमर्श हुआ उन में से एक मद बड़े पत्तनों के लिए चौथी पंचवर्षीय आयोजना भी थी।

(ग) बड़े पत्तनों के लिए चौथी पंचवर्षीय आयोजना पर सामान्य विचारविमर्श हुआ था। विचारविमर्श के दौरान में यह बताया गया था कि आयोजना को जो अभी मसौदे के रूप में थी, शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा। इस बात की सहमति दी गयी कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कम कर के न्यूनतम कर दी जाय और बड़े पत्तनों पर अतिरिक्त आ-रक्षित क्षमता का सुनिश्चयन करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये। इस बात पर भी बल दिया गया कि चालन दक्षता के सुधार पर विशेष विचार किया जाना चाहिए। इस पर भी सहमति हुई कि चौथी आयोजना के अन्तर्गत आने वाले निर्माण कार्यों का क्रमिक ब्यौरा आयोजना आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही को जा रही है।

जापानी नाविकों द्वारा हड़ताल

79. **श्री उमानाथ :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी नाविक संघ ने दिसम्बर के उत्तरार्ध में अपनी हड़ताल के दौरान भारत को सहायता तथा अत्यावश्यक माल के जाने वाले जहाजों को इस आधार पर छूट देने की सहमति प्रकट की थी कि भारत सरकार उस संघ को जापान सरकार द्वारा इस बारे में सरकारी रूप से प्रार्थना करे;

(ख) क्या भारत सरकार ने ऐसी प्रार्थना की थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) दिसम्बर 1965 में इस तरह की रिपोर्ट समाचार पत्र में छपी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस प्रकार की प्रार्थना करने का कोई अवसर नहीं हुआ।

सीमा-सड़क

80. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री हिंमत सिंहका :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार तथा पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए अन्य राज्यों की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त सीमा-सड़कों की मरम्मत तथा सीमा-सड़क पद्धति का और अधिक विकास करने के लिए केन्द्र को पर्याप्त वित्तीय अंशदान करना चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने उनके इस अनुरोध पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने पंजाब में क्षतिग्रस्त सीमा-सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में कोई वित्तीय दायित्व स्वीकार किया है और यदि हां, तो किस हद तक।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : जी हां। हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष में पंजाब राज्य के सीमान्त क्षेत्र की जो सड़कें टूट फूट गयी थी उनकी मरम्मत के लिए और उस क्षेत्र की कुछ अन्य सड़कों को और विकसित करने के लिए पंजाब सरकार से केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग प्राप्ति हुई है। भारत सरकार ने मांग की जांच कर ली है और टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को 44 लाख रुपये का सहायता अनुदान देना स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय की सूचना भी राज्य सरकार को दे दी गयी है। परन्तु नयी सड़कों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश की आपातिक खाद्य उत्पादन योजना

81. श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री वाडीवा :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 704 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार की आपातिक खाद्य उत्पादन योजना को मंजूर करने की दिशा में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : भारत सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान में लघु सिंचाई तथा कुक्कुट विकास योजनाओं के लिए क्रमशः 25 लाख और 3.60 लाख रुपये के उपबन्ध की स्वीकृति दी है।

परिसीमन आयोग

82. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री एम० बी० रामास्वामी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसीमन आयोग ने सभी राज्यों में संसद् तथा विधान-सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) भारत के परिसीमन आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है और नीचे विनिर्दिष्ट 8 राज्यों तथा 3 संघ-राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपने अंतिम आदेश प्रकाशित कर दिए हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. केरल
3. मध्य प्रदेश
4. मद्रास
5. महाराष्ट्र
6. मैसूर
7. उड़ीसा
8. पंजाब
9. गोआ, दमन, दीव
10. हिमाचल प्रदेश
11. पाण्डिचेरी

आयोग ने आसाम, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्यों की बाबत भी अपना कार्य पूर्ण कर लिया है और आदेश शीघ्र ही प्रकाशित कर दिए जायंगे।

आयोग ने बिहार के सम्बन्ध में अपनी सार्वजनिक बैठकें तिरहुत और भागलपुर डिविजनों में कर ली हैं और शेष दो डिवीजनों अर्थात् पटना और छोटा नागपुर में सार्वजनिक बैठकें इस महीने के अंतिम सप्ताह के लिए नियत कर दी गई हैं। यह उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अपनी सार्वजनिक बैठकें मार्च की 3, 4, 11, 12, 14, 16 और 17 तारीख को पांच स्थानों में करेगा।

आयोग ने मनिपुर और त्रिपुरा संघ राज्य-क्षेत्रों की बाबत ड्राफ्ट प्रस्थापनाओं पर सहयुक्त सदस्यों से विचार-विमर्श भी कर लिया है और ड्राफ्ट प्रस्थापनाएं परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 9(2) के अधीन शासकीय राजपत्रों में प्रकाशित की जा रही हैं। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की बाबत प्रस्थापनाएं तैयार की जा रही हैं।

(ख) परिसीमन आयोग से विधि के अधीन यह अपेक्षित नहीं है कि वह भारत सरकार को या किसी राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन का विकास

83. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में केन्द्र और राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गई थी और कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त अवधि में राज्यों को अतिरिक्त अनुदान तथा राज सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(ग) उक्त अवधि में गैर-सरकारी होटलों तथा रेस्टोरेन्टों को केन्द्रीय क्षेत्र की निधि में से कितनी राशि ऋण तथा सहायता के रूप में दी गई ?

परिवहन तथा उड्डयन, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) 1965-66 में केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिये 51.38 लाख रुपये और राज्य क्षेत्र में 131.78 लाख रुपये आवंटित किये गये थे। 1965-66 में केन्द्रीय क्षेत्र में 25.44 लाख रुपये और राज्य क्षेत्र में 111.64 लाख रुपये का प्रत्याशित व्यय प्राक्कलित किया जाता है।

(ख) 1965-66 में केवल पश्चिम बंगाल की सरकार के मामले में 1.75 लाख रुपये का अतिरिक्त उपदान स्वीकृत किया गया है।

(ग) शून्य। सरकार होटल उद्योग को ऋण नहीं देती है। ये औद्योगिक वित्तीय निगम और राज्य वित्त निगमों द्वारा दिये जाते हैं।

राज्यों में अनाज की कमी

84. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री मोहन स्वरुप :**
श्री रामचंद्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस समय अनाज की कितनी कमी है;

(ख) पिछले तीन महीनों में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र से कितना अनाज मांगा है; और

(ग) केन्द्र ने कितना अनाज आवंटित किया है और वास्तव में कितना अनाज भेजा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख) और (ग) : उत्पादन में गंभीर कमी से हुई उत्पन्न स्थिति का अभी पूरा प्रभाव ात नहीं हो सका है। राज्यों द्वारा प्रतिवर्ष खाद्यान्नों की मांग को, भारत सरकार के पास कुल उपलब्ध राशि की तुलना में आंका जाता है। तथा कुल मांग, तथा कुल उपलब्धि को ध्यान में रख कर समान वितरण किया जाता है। अंतिम तीन महीने, यथा नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में कुल 19 लाख टन गेहूं तथा 6 लाख टन चावल की मांग थी। तथा उस समय कुल 14 लाख टन गेहूं तथा 4 लाख टन चावल की मात्रा उपलब्ध थी।

बम्बई पत्तन में आयातित चावल की बर्बादी

85. **श्री काजरोलकर :** **श्री रामसेवक यादव :**
श्री बागड़ी : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाईलैण्ड से आयात किया गया चावल बड़ी मात्रा में बम्बई पत्तन में खराब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और : (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

86. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 1965 में अतिरिक्त विमान प्राप्त किये है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे किस किस्म के हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरुप कितने डकोटा विमान बदले जा सके हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) एक कारवेल विमान दिसम्बर, 1965 में मिल गया था और दो फोकर फ्रेण्डशिप विमान नवम्बर, 1965 और अप्रैल, 1966 के बीच परिचालन के लिए चार्टर पर ले लिए गए थे ।

(ग) अतिरिक्त विमानों के मिल जाने पर कारपोरेशन के लिए, ऐसे कुछ मार्गों पर फ्रेण्डशिप सेवाएं चलाना संभव हो सका है जिन पर पहले डकोटा विमान चलते थे।

आसाम में राष्ट्रीय राजपथ

87. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **परिवहन उड्डयन नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 37 पर बहुत से पुलों को फिर से बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 37 पर 26 बड़े पुल है जिनका 3.89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पुर्ननिर्माण करना है। इन सब पुलों के ठेके विभिन्न ठेकेदारों को दे दिये गये हैं और उनमें से अधिकांश पुलों पर काम शुरू हो गया है। इस कार्य को 1967 की वर्षाऋतु से पहले तयार करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

26 बड़े पुलों के अलावा अनेक छोटे और संकरे पुल है जिनमें से प्रत्येक की 100 फूट से कम लम्बाई है । कार्यक्रम के प्रथम क्रम के रूप में इन पुलों को 18 लोडिंग वर्ग के लिए मजबूत किया गया है। दूसरे क्रम के अन्तर्गत इन छोटे पुलों का निर्माण हाल ही में शुरू किया गया है ।

दिल्ली में पशु चिकित्सकों के वेतन-क्रम

88. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में पशु चिकित्सकों के वेतन-क्रम क्या हैं ;

(ख) पशु चिकित्सकों के विभिन्न वेतन-मानों में समानता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय वेतन आयोग ने मैसूर के पशु चिकित्सा स्नातकों की नियुक्ति 350-800 रुपये के वेतन-मान में करने की सिफारिश की है;

(घ) क्या मैसूर में 19 नवम्बर, 1965 से, पशु चिकित्सा विद्यार्थियों द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई हड़ताल तथा चिकित्सकों द्वारा उक्त वेतन-मान को लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये आन्दोलन की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ) : राज्यों में पशु चिकित्सकों के वेतन के निर्धारण तथा संशोधन के लिये राज्य सरकारें स्वयं ज़िम्मेदार हैं । दूसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की अधिकार सीमा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रखी गई थी। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए पशु चिकित्सकों के वेतन-मान एक राज्य से दूसरे राज्य के वेतन-मानों से भिन्न होते ह। यथा सम्भव इन वेतन-मानों में समानता लाने के लिए अगस्त, 1961 में राज्य सरकारों को जिनमें मैसूर भी शामिल है सलाह दी गई थी कि कृषि प्रशासन समिति (नालागढ़ समिति) की सिफारिशें जिनमें अन्य बातों के अलावा कृषि सम्बन्धी सेवाओं के लिए वेतन-मानों में संशोधन करना भी है, पशुपालन सेवाओं के लिए भी लागू की जानी चाहिए।

मैसूर में पशु-चिकित्सकों आदि के प्रदर्शन के बारे में भारत सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

Food Zones

89. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether there is any fresh rethinking in the matter of doing away with the food zones ;

(b) if so, the time by which a decision is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). The necessity or otherwise of continuing the existing food zones is reviewed periodically in consultation with the Chief Ministers of the States. The date for the next review has not yet been fixed. It is therefore not possible to indicate at present when a fresh decision, if any, in the matter is likely to be taken.

आसाम में आटा मिल

90. डा० सरोजिनी महिषी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पिछले वर्ष स्थापित किये गये उन आटा मिलों का ब्यौरा क्या है जो अब उत्पादन आरम्भ करने वाले हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उनको परीक्षण के तौर पर कार्य आरम्भ करने और आटा पीसने के लिये अभी तक गेहूं का अभ्यंश मंजूर नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्रतापूर्वक करवाने और बेकार पड़ी क्षमता को प्रयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :
(क) (1) मेसर्स ज्योति फ्लोर मिल्स, नवगोंग और
(2) मैसर्स विश्वनाथ फ्लोर मिल्स, तिनसुकिया।

(ख) और (ग) : गेहूं रोलर फ्लोर मिल्स (लाइसेंसिंग और कन्ट्रोल) आदेश, 1957 के अधीन इन दो आटा मिलों को मिलिंग लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं। इन मिलों द्वारा आयातित गेहूं की बिक्री सम्बन्धी शर्तों और निबन्धनों के स्वीकार किये जाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद परीक्षण के तौर पर पीसने के लिये गेहूं का तदर्थ कोटा जारी किया जाएगा।

Cultivation of Rabi Crops in States

91. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the acreage of land in different States in which rabi crops were cultivated during 1964-65 ;

(b) the acreage of land in which rabi crops have been cultivated this year; and

(c) the nature of the direct help given to farmers by the Central and State Governments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Shinde) : (a) A statement is enclosed (Annexure I). **[Placed in Library. See No. L. T. 5434/66.]**

(b) It is too early to give estimates acreage under rabi crops during 1965-66. However, according to reports received from the State Governments, it is anticipated that an area of 3.8 million acres (1.55 million hectares) will be brought under additional crops in irrigated areas during the rabi and summar seasons in 1965-66, under the Emergency Production Programme.

(c) A note is enclosed (Annexure II). **[Placed in Library. See No. L. T. 5434/66.]**

Import of Fertilizers

92. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the quantity of fertilizers imported from foreign countries during 1965-66 so far ;

(b) the names of countries from which imported ; and

(c) the basis on which the farmers are given fertilizers in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) and (b). A statement giving information regarding quantities of nitrogenous fertilisers imported during 1965-66 (upto 31-1-66) and the names of countries from which these were imported, is attached. **[Placed in the Library. See L. T. No. 5435/66.]**

(c) Allocations of nitrogenous fertilizers included in the Central Fertilizer Pool are made by this Ministry mainly on the following basis :—

(i) demands received from the States,

(ii) total supplies available from indigenous production and imports ;

(iii) carry-over stocks already available with the states ;

(iv) past performance of the states in lifting quotas allotted to them ; and

(v) need for popularisation of fertilisers planned for production in the States.

The State Governments are responsible to distribute the stocks received by them to the farmers under their own arrangements.

पश्चिम बंगाल में जिग्रापुर में अनाज का सड़ जाना

93. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के एक दैनिक समाचारपत्र दिनांक, 10 दिसम्बर, 1965 में प्रकाशित यह समाचार सच है कि 1964 में पश्चिम बंगाल में जिग्रापुर में केन्द्रीय सरकार के गोदामों में 1350 मन चावल सड़ गया था;

(ख) क्या इस चावल को पशुओं की खुराक के रूप में बेचने का निश्चय किया गया था;

(ग) क्या 1965 के अन्त में यही चावल राशन में बिकने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया था, और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को यह चावल 56 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचा गया था?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चावल और धान का समाहार

94. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपनी नई समाहार नीति के अन्तर्गत कुल कितनी मात्रा में चावल और धान का समाहार किया है, और

(ख) इनका ग्रामीण तथा नागरीय क्षेत्रों मे वितरण करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने 1-11-65 से 5-2-66 तक की अवधि में लगभग 92,000 मीट्रिक टन चावल और 192,000 मीट्रीक टन धान की अधिप्राप्ति की थी।

(ख) कमी वाले जिलों में अधिप्राप्त की गयी मात्राओं को जिला में विभिन्न वर्गों के उप-भोक्ताओं में संशोधित राशन व्यवस्था द्वारा वितरित किया जाएगा। अधिशेष जिलों में की गयी अधिप्राप्ति की मात्रा का उपयोग अंशत: स्थानीय जनसंख्या की संशोधित राशन व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने, अंशत: सांविधिक राशन के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने और अंशत: कमी वाले जिलों की कमी को पूरा करने के लिये किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियां

95. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में धान तथा चावल की वसूली में सहकारी संस्थाओं को सहयोग दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियों के साथ धान और चावल की अधिप्राप्ति के लिये किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं किया है क्योंकि पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार अधिप्राप्ति करती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो प्रबन्धक

96. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के उन कुछ डिपो प्रबन्धकों को, जिन्होंने गत चार और पांच वर्षों में नौकरी से त्यागपत्र दिया है, उनकी जमानत की राशि वापस नहीं की गई है;

(ख) क्या उक्त जमानत राशि को लौटाने की कोई अवधि निश्चित है; और

(ग) यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि में जमानत की राशि न लौटाये जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : दिल्ली दुग्ध योजना डिपो प्रबन्धकों द्वारा नौकरी छोड़ने के कम से कम 6 मास पश्चात तक जमानत राशि अपने पास रखती है। यह राशि उस समय वापिस की जाती है जबकि उनके डिपुओं की लेखा-परीक्षा पूरी हो जाय और यदि कोई त्रुटियां हों तो उनका समाधान हो जाये। जमानत की राशि लौटाने की कोई अवधि निश्चित नहीं है। कुछ मामलों में जमानत की राशियां वापिस नहीं की गई हैं क्योंकि सम्बन्धित डिपुओं की लेखा-परीक्षा तथा समाधान सम्बन्धी कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

Nutrition Food for Children

97. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Dharmalingam :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Government of U. S. A. have decided to provide nutritious food to the children in the drought affected areas in India ;

(b) if so, the names of States which would get the same ; and

(c) the number of Children likely to benefit therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) The question of providing nutritive food to children in the drought affected areas through U.S. aid is under consideration.

(b) The aid, if available, will be shared by all the States which are affected by drought.

(c) Depending upon the quantity of aid available, the number and categories of children who are to benefit by the scheme would be decided.

मैसूर राज्य में अधिवक्ता

98. **श्री काजरोलकर** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की विधिज्ञ परिषद् (बार कौंसिल) द्वारा बनाये गये नियमों के फलस्वरूप मैसूर राज्यों में 400 अधिवक्ताओं के नाम अधिवक्ता सूची से निकाल दिय गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अधिवक्ताओं को इस से उबारने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन कर के छूट की अवधि को कम से कम 10 वर्ष के लिये बढ़ाने का विचार है, और

(घ) क्या उच्च न्यायालयों में वकालत करने से पूर्व, आरम्भ में नीचे के न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति देकर शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की वर्तमान समस्या को हल किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, नहीं। भारत की विधिज्ञ परिषद् ने अपने संकल्प के जरिए मैसूर की विधिज्ञ परिषद् (बार कौंसिल) द्वारा किए गए 174 व्यक्तियों के नामांकन को शून्य घोषित कर दिया है और उक्त व्यक्तियों के नाम राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली से हटाने का निदेश दिया है।

(ख) भारत की विधिज्ञ-परिषद् के संकल्प पर मैसूर के उच्च न्यायालय में प्रतिवाद किया गया है। उच्च न्यायालय के विनिश्चय की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

उड़ीसा में सामुदायिक विकास खंड

99. **श्री रामचन्द्र उलाका** :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा सरकार ने केन्द्र से वर्ष 1966-67 में राज्य के सामुदायिक विकास खण्डों के लिये दी जाने वाली धन राशि में वृद्धि करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ

100. **श्री घुलेश्वर मीना** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर 1965 को राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ कुल कितने मील लम्बे थे, और

(ख) इन राजपथों के क्या नाम है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 782 मील।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

15 फरवरी 1966 को लोक सभा में लिखित प्रश्न संख्या 100 के भाग (ख) में पूछी गई सूचना देने वाला विवरण।

राजस्थान से होकर जाने वाले राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के नाम

क्रम संख्या	राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या	राष्ट्रीय मुख्य मार्ग का नाम	राजस्थान में मील दूरी
1	3	अगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इन्दौर, धूलिया, नासिक, थाना और बंबई मिलाने वाला मुख्य मार्ग।	20
2	8	दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बरौदा और बंबई मिलाने वाला मुख्य मार्ग।	430
3	11	आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर मिलाने वाला मुख्य मार्ग।	332
			782

राजस्थान में भाण्डागार

101. **श्री घुलेश्वर मीना** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने भाण्डागार हैं; और

(ख) 1966-67 में उक्त राज्य में कितने भाण्डागार खोलने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगम के राजस्थान में इस समय 36 भाण्डागार हैं।

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम का राज्य में 1966-67 में एक और भाण्डागार खोलने का विचार है।

राजस्थान में कृषि अनुसन्धान परियोजनायें

102. **श्री घुलेश्वर मीना** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितनी कृषि अनुसन्धान परियोजनाएं चल रही हैं; और

(ख) 1965–66 में अब तक राजस्थान में उन पर कितनी रकम खर्च की जा चुकी है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) तथा (ख) : पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

"एक समय का भोजन बचाओ" योजना

103. **श्री केप्पन :**

श्रीमती अकम्मा देवी :

श्री बादशाह गुप्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एक समय का भोजन बचाओं" योजना सभी राज्यों में अपना ली गई है, और

(ख) खाद्य स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अधिकांश राज्यों ने योजना की भावना को या तो स्वैच्छिक आधार पर या उनके द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत अंगीकार किया है।

(ख) कमी के वर्तमान वातावरण में इस योजना का नैतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है ।

कलकत्ता को मछली का सम्भरण

104. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम द्वारा कलकत्ता की मंडी में प्रतिदिन वास्तव में कितनी मात्रा में मछली का संभरण किया जाता है और निगम प्रतिदिन कितनी मछली का सम्भरण कर सकेगा इस बारे में कितने लक्ष्य की घोषणा की गई थी ;

(ख) लक्ष्य की तुलना में संभरण में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निगम को यह आशा है कि वह वर्तमान कमी को पूरा कर सकेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम द्वारा कलकत्ता के बाजार में सप्लाई की गयी मछली की मात्रा अब एक दिन में 150 और 225 मन के बीच में है। निगम ने दैनिक सप्लाई के किसी लक्ष्य की घोषणा नहीं की थी।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न ही नहीं उठते। तथापि सप्लाई में धीरे धीरे वृद्धि की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में चावल का अभाव

105. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल से संविहित राशन वाले क्षेत्रों को छोड़ कर अभाव वाले सभी जिलों तथा क्षेत्रों में चावल के अत्याधिक दामों तथा अत्याधिक अभाव के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है, ज्यों अत्यावश्यक पण्य अधिनियम तथा तदान्तर्गत आदेशों के अन्तर्गत राज्य के बहुलता वाले चावल क्षेत्रों से राज्य के अभाव वाले क्षेत्रों में धान और चावल के लाने ले जाने पर रोक लगाये जाने के परिणामस्वरुप उत्पन्न हुई है,

(ख) क्या सरकार को चावल और गेहू के लिये पश्चिम बंगाल सरकार की प्रार्थना प्राप्त हुई है ताकि राज्य के अभाव वाले क्षेत्रों की राशन संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पश्चिमी बंगाल में चावल के भाव सांविधिक रूप से नियन्त्रित कर दिये गये हैं और राज्य सरकार अधिक से अधिक जनसंख्या को संशोधित राशन-व्यवस्था के अधीन ला रही है। कुछ लोग राशन से असंतुष्ट हैं और चोर-बाजार में खरीद कर इसकी पूर्त्ति करते हैं जिससे कमी की भावना पैदा होती है और चोर-बाजार में भाव बढ़ जाते हैं।

(ख) चावल के बारे में केन्द्रीय सरकार की स्थिति जानते हुये पश्चिमी बंगाल सरकार ने चावल की किसी विशिष्ट मात्रा की मांग नहीं की है। भारत सरकार अपने पास खाद्यान्नों की समस्त उपलब्धि और अन्य कमी वाले राज्यों की मांग को देखते हुये पश्चिमी बंगाल का गेहूं का कोटा सम्भव सीमा तक बढ़ा रही है।

विदेशी विमान कम्पनियां

106. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1953-54 में किन-किन विदेशी विमान कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था; और

(ख) उसके बाद कलकत्ता सिलीगुडी तथा अन्य मार्गों पर कौन-कौन सी नयी विदेशी कम्पनियां अपनी विमान सेवायें चलाने लगी हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : 1953 में भारत में अनुसूचित विमान यातायात के राष्ट्रीयकरण हो जाने से राष्ट्रीयकरण की गयी दो कम्पनियों— इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने भूतपूर्व भारतीय विमान कम्पनियों का परिचालन हाथ में ले लिया। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने भारत के भीतर तथा पड़ोसी देशों को सेवाएं परिचालित करने वाली 8 भारतीय विमान कम्पनियों का परिचालन हाथ में लिया जबकि एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने विदेशों को सेवाएं चलाने वाली एयर इंडिया इन्टरनेशनल लिमिटेड का परिचालन संभाला। उस समय किसी विदेशी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। अनुसूचित सेवाओं का परिचालन राष्ट्रीयकरण की गयी एयरलाइनों के लिए आरक्षित है; राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोई विदेशी कम्पनियां भारत में नहीं बनी हैं।

अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये ब्रिटेन से सहायता

107. **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री धर्मलिंगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत को खाद्य संकट का मुकाबला करने के लिये 10 करोड़ रुपये का व्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव किया है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी वास्तविक शर्तें क्या हैं, और

(ग) इस ऋण से कौन कौन सी वस्तुएं अथवा पदार्थ खरीदे जायेंगे और उन में से कौन कौन सी वस्तुओं का कितना कितना आयात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग) : ब्रिटिश सरकार ने 75 लाख पौण्ड का व्याज-मुक्त ऋण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये देने की पेशकश की है :—

(1) अन्य राष्ट्र मण्डलीय देशों से गेहूं और या अन्य खाद्य सम्भरणों के नौवहन पर विदेशी मुद्रा संबंधी व्यय की अदायगी के लिये।

(2) भारतीय बन्दरगाहों के लिये बन्दरगाह हैण्डलिंग उपकरणों की व्यवस्था

(3) भारत में वर्तमान खाद्य कमी से सीधी सम्बन्धित वस्तुओं और आवश्यक भारतीय औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने के लिये अपेक्षित वस्तुओं की खरीद के लिये।

उपर्युक्त राशि में से 10 लाख पौण्ड मद (1) उपर्युक्त पर खर्च करने हैं। शेष मदों के लिये ठीक ठीक आवंटन अभी नहीं किया गया है। तथापि इस ऋण से बन्दरगाह हैण्डलिंग उपकरण खरीदने के लिये ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। इस ऋण की वापसी 25 वर्षों में जिसमें 7 वर्षों की अनुग्रहावधि भी शामिल हैं, की जाएगी।

भव्य होटल

108. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 30 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 541 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिल्टन्स फर्म के साथ सहयोग करने के लिये प्रार्थी भारतीय फर्म ने भारत में भव्य होटलों की प्रस्तावित श्रृंखला स्थापित करने के लिये अन्तिम प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या ये प्रस्ताव इस प्रकार के सहयोग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम शर्तों को पूरा करते हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी नहीं। भारतीय पार्टी ने भारत में एक होटल स्थापित करने के लिए केवल एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) जब तक भारतीय पार्टी से अंतिम प्रस्ताव नहीं मिल जाते हैं और सरकार उन की जांच नहीं कर लेती है तब तक इन प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है।

कृषि योग्य भूमि

109. श्री मलाइछामी :

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

श्री दे० द० पुरी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि योग्य कुल कितनी भूमि ऐसी पड़ी है जिस पर खेती नहीं की जाती ;

(ख) खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु ऐसी भूमि को भूमिहीन किसानों के नाम कर देने अथवा उनको पट्टे पर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसी भूमि पर खेती करने की दिशा में राज्यवार क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 1962-63 वर्ष के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार देश में कृषि योग्य बेकार भूमि 430 लाख एकड़ है।

(ख) कृषि योग्य बेकार भूमि का बड़ा भाग तो सुधार पर अधिक लागत आने के कारण कृषि के लिए उपलब्ध नहीं होता। भारत सरकार द्वारा नियुक्त बेकार भूमि सवक्षण तथा सुधार समिति ने सुधार और कृषि के लिए 250 एकड़ से अधिक के खण्डों में लगभग 12.2 लाख एकड़ भूमि की सिफारिश की। केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के अधीन भूमिहीन कृषि परिवारों को अलाट करने हेतु 250 एकड़ से कम के खण्डों में उपयुक्त भूमि का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस योजना के अधीन अब तक लगभग 41 लाख एकड़ भूमि का पता लगा लिया गया है। यह योजना देश के अन्य जिलों में चल रही है। केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि व्यक्तिगत तथा उपनिवेशन के आधार पर भूमिहीन परिवारों को वितरित की जाती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक बसे हुए परिवार को सुधार तथा खेती के अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें अपने दिन प्रति दिन के प्रशासन के अन्तर्गत भूमि सुधारने और उन पर भूमिहीन परिवारों को बसाने के कार्यक्रम बनाती है।

	(ग) राज्य	प्रथम तीन योजनाओं की अवधि के दौरान भूमिहीन मजदूरों को वितरित की गई भूमि की मात्रा। (000 एकड़)
1	आन्ध्र प्रदेश	13.09
2	आसाम	3.02
3	बिहार	उपलब्ध नहीं
4	गुजरात	2.73
5	जम्मू और काश्मीर	उपलब्ध नहीं
6	केरल	.42
7	मध्य प्रदेश	23.13
8	मद्रास	3.11
9	महाराष्ट्र	5.72
10	मैसूर	उपलब्ध नहीं
11	उड़ीसा	उपलब्ध नहीं
12	पंजाब	1.70
13	राजस्थान	28.35
14	उत्तर प्रदेश	8.08
15	पश्चिम बंगाल	1.22

Lawyers' Panels

110. Shrimati Renu Chakravartty : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) Whether there is any proposal under consideration to set up lawyers' panels who will fight cases of social oppression of women and also explain the laws relating to marriage, inheritance and maintenance passed recently and advise them about the protection given to them by the law; and

(b) if so, when it is likely to be finalised?

The Minister in the Ministry of Law (Shri C.R. Pattabhi Raman) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिये बोइंग विमान

112. **श्री बसुमतारी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौहवन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया इंटरनेशनल को दिसम्बर 1966 में मिलने वाला दसवां विमान बोइन्ग 707-320 बदला हुआ रूप होगा; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या अच्छाइयां हैं और इसके क्या लाभ हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) एयर इण्डिया का दसवां विमान, जोकि दिसम्बर, 1966 में मिलनेवाला है, बोइंग 707-320 सी विमान का भारवाही अथवा यात्री विमान के रूप में बदला हुआ रूप होगा।

(ख) यह विमान (क) पूर्णरूप से सवारी विमान के रूप में या (ख) पूर्ण रूप से भारवाही विमान के रूप में या (ग) सम्मिलित रूप से भारवाही अथवा यात्री विमान के रूप में परिचालित किया जा सकता है। 320-सी विमान में परिवर्तन किये जाने की सुविधाएं मौजूद हैं और इसे, जब कभी आवश्यकता हो, भारवाही विमान के रूप में बदला जा सकता है।

मध्य प्रदेश की आपातकालीन खाद्य उत्पादन योजना

113. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आपातकालीन खाद्य उत्पादन योजना का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना स्वीकृत हो गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क), से (ग) : कोई "ब्ल्यू प्रिंट" प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु आपातकालीन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार से लघु सिंचाई (जिसमें उठाव सिंचाई भी शामिल है) और कुक्कुट विकास के लिए 209 लाख पए की लागत के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन पर भलीभांति विचार किया गया और उनकी उपयुक्तता व चालू वर्ष के दौरान में कार्यक्रम को कार्यरूप देने की राज्य की क्षमता और केन्द्र के पास धन की उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए राज्य को लघु सिंचाई व कुक्कुट विकास की योजनाओं के लिए उस राज्य को क्रमशः 25 लाख और 3.60 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

सहकारी दुग्धशाला तथा पशुपालन

114. **श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी दुग्धशाला तथा पशुपालन, अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) इस मन्त्रालय ने योजना आयोग, सहकारिता विभाग, वित्त मन्त्रालय आदि के परामर्श से डेरी, सहकारी संस्थाओं एवं पशुपालन विषयक अध्ययन दल को रिपोर्ट के आधार पर कुछ गाइड लाईन तैयार की हैं और उचित क्रियान्विति हेतु उन्हें राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

सेतुसमुद्रम परियोजना

115. **श्री मुथिया :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की

(क) सेतुसमुद्रम परियोजना की क्रियान्विति इस समय किस चरण में है ;

(ख) क्या तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

(घ) नहर पर कितनी लागत आयेगी तथा वह किस स्थान पर बनाई जायेगा; और

(ङ) क्या इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) परियोजना के वास्तविक प्राक्कलन पर पहुंचने के लिये, भूमि और समुद्र दोनों में विस्तृत सर्वेक्षण परिक्षण बोरिंग और अनुरेखक अध्ययन किये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिये मुख्य इंजानियर के अधीन एक अलग संगठन स्थापित किया जा रहा है जिस का मुख्य कार्यालय मद्रास में होगा। एक परियोजना अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है।

(ख) इस परियोजना से संबंधित समस्त विषयों की देख भाल के लिये और परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्य निर्धारण के लिये परिवहन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई है। प्राक्कलन की जांच करने के लिय और सरकार से सिफारिश करने के लिये एक तकनीकी उप-समिति भी स्थापित की गई है। तकनीकी समिति की राय थी कि वास्तविक प्राक्कलन के लिये परियोजना अधिकारियों द्वारा पहले विस्तुत अध्ययन किया जाना चाहिये और इसके बाद ही परियोजना के प्राक्कलन पर तकनीकी समिति सरकार को सिफारिश कर सकेगी। इस लिये मौजूदा तकनीकी उप-समिति समाप्त कर दी गई है और उसे अनुकूल समय पर पुनः चाल करने का विचार है। यह परियोजना अधिकारियों द्वारा चालू अध्ययनों पर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद किया जायेगा।

(ग) और (घ) : प्रश्न नही उठता।

(ङ) परियोजना के प्राक्कलन और तकनीकी रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद परियोजना पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

परादीप पत्तन

116. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन जहाजों के खड़े होने के लिये तैयार हो चुका है;

(ख) क्या परादीप पत्तन पर अमरीका से अनाज लाने वाले जहाजों से अनाज उतारने की कोई व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब आरंभ होने की संभावना है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां। 20 लाख टन कच्चे लोहे को धरने उठाने के लिये परादीप पत्तन परियोजना के विकास की पहली अवस्था पूरी हो रही है।

(ख) और (ग) : परादीप पत्तन में खाद्यान्न जहाजों को लाये जाने का प्रबन्ध विचाराधीन है। पत्तन में खाद्यान्न जहाजों को मार्ग दिखलाने के लिये दो समुद्र में चलनें वाले टगों को प्राप्त करना जरुरी है। परादीप पत्तन के लिये जिन टगों के बनाने का आदेश दिया गया है वे अभी तक बन कर तैयार नहीं हुये हैं। वे वर्ष के अन्त तक ही बन कर तैयार हो सकेंगे। अतएव, कुछ अन्तरिम प्रबन्धों पर विचार किया जा रहा है। टगों के उपलब्ध होते ही पत्तन खाद्यान्न के जहाजों के लिये व्यवहृत किया जायेगा।

परादीप पत्तन

117. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन के मुख्य इंजीनियर द्वारा श्रम विधियों का उल्लंघन किये जाने तथा परादीप पत्तन के कर्मचारियों को नौकरी से अनियमित रूप से निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच अच्छे और स्वस्थ सम्बन्ध बताने की दृष्टि से पत्तन में किसी श्रमिक संघ को मान्यता दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : परादीप पत्तन परियोजना की प्रथम अवस्था पूर्ण हो जाने पर, परियोजना के फालतू कर्मचारियों की छंटनी करना जरुरी हो गया। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि फालतू कर्मचारियों को छटनी का नोटिस देते समय परियोजना अधिकारियों द्वारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 की व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया गया था। परियोजना अधिकारियों के संदर्भ पर इस मामले की जांच की गई थी और उन्हें उचित सलाह दे दी गई है।

(ग) और (घ) : अब परादीप पत्तन परियोजना एक केन्द्रीय सरकारी विभाग है। पत्तन परियोजना के कर्मचारियों के संघ को मान्यता देने के प्रश्न की भारत सरकार के संबद्ध नियमों के संदर्भ में परीक्षा की जा रही है।

खाद्यान्न का आयात

118. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में प्रति वर्ष खाद्यान्नों का कितना आयात किया गया;

(ख) खाद्यान्नों के वितरण के लिये सरकार प्रति वर्ष कितनी आर्थिक सहायता देती रही है, और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में कितनी आर्थिक सहायता दी गई थी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि के प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया गया है :—

वर्ष	मात्रा हज़ार मीट्रिक टन में
1961–62	3199.4
1962–63	3888.3
1963–64	4721.9
1964–65	6689.4
1965–66 (31-1-66 तक)	6398.0
फरवरी और मार्च, 1966 तक की अवधि में सम्भावित आयात	1950.0

(ख) और (ग) : देश में खाद्यान्नों की कीमतों को स्थिर करने और समाज के जरूरतमन्द वर्गों को उचित भावों पर खाद्यान्न उपलब्ध करने की दृष्टि से आयातित खाद्यान्नों को उनकी इकनामिक्स लागत से कम कीमत पर बेचा गया था। इस उद्देश्य के लिये खाद्यान्नों की खरीद की एक योजना चल रही है और सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्नों की बिक्री से जो हानि होती है वह इस योजना के लेखों में हानि के अंतर्गत दिखायी जाती है। इस आधार पर यह सहायता दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से प्रारम्भ हो कर पांच वर्षों में निम्न प्रकार रही है :—

वर्ष	सहायता की राशि करोड़ रूपयों में
1960–61	18.68
1961–62	19.25
1962–63	27.15
1963–64	33.87
1964–65	33.94

वर्ष 1965–66 का हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ है।

दुग्धशाला योजनायें

119. **श्री मानसिंह पु० पटेल:** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दुग्धशाला योजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई थी; और

(ख) मार्च, 1966 के अन्त तक कितना व्यय हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 36.66 करोड़ रुपये।

(ख) लगभग 34.67 करोड़ रुपये।

परिसीमन आयोग के सदस्यों द्वारा अगरतला की यात्रा

120. **श्री दशरथ देव :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में परिसीमन आयोग के सदस्य अगरतला, त्रिपुरा गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें त्रिपुरा के सह-सदस्य से, जो इस समय भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत नजरबन्द हैं, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें त्रिपुरा के विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग द्वारा दिये गये प्रस्ताव में संशोधन के सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आयोग की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) त्रिपुरा में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के सम्बन्ध में अपनी प्रस्थापनाएं तैयार करते समय आयोग ने सहयुक्त सदस्य श्री दशरथ देव के अभ्यावेदन पर सम्यक रूप से विचार किया था। ये प्रस्थापनाएं श्री दशरथ देव के पास उनके विचारों के लिए और यदि उनकी कोई असहमति प्रस्थापनाएं हों तो उनके लिए, भेजी गई थीं। अभी तक आयोग को असहमति की कोई प्रस्थापनाएं उनसे प्राप्त नहीं हुई हैं। आयोग की प्रस्थापनाएं शीघ्र राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी और जनता की आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

कलकत्ता-अगरताला विमान सेवा

121. **श्री दशरथ देव :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की वायुसीमा पार करके कलकत्ता से अगरतला जाने वाली इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन की सीधी उड्डानों के कब से आरम्भ होने की संभावना है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच कोई बातचीत हो रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार युद्ध आरम्भ होने से पहले की तरह एक दूसरे के प्रदेशों के ऊपर फिर से उड्डाने शुरू करने के बारे में रजामन्द हो गयी हैं। इसके परिणामस्वरुप, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के ऊपर से होकर उड्डान करने वाली कलकत्ता से अगरतला की अपनी अनु-सूचित सेवाएं 10 फरवरी, 1966 से फिर से चलाना आरम्भ कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानों के किरायें

122. **श्री बासप्पा :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एयर इण्डिया विमानों के किराये कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय विमान किरायों का विनियमन अन्तर्राष्ट्रीय विमान मातायात एसोसियेशन द्वारा किया जाता है। एयर इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात एसोसियेशन का एक सदस्य है और नये बढ़े हुए किरायों को लागू करने के प्रयोजन से विद्यमान बढ़ हुए किरायों को कम करने के लिये हमेशा दबाव डालता

रहा है। हाल में सितम्बर-अक्टूबर, 1965 में किरायों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए उत्तरी अटलांटिक यातायात सम्मेलन की बरमूडा में बुलायी गयी बैठक में एयर इंडिया ने भारत के लिये किरायों में जो कमी करवायी, वह निम्न प्रकार है :—

(i) यू० एस० ए०, कनाडा और मेक्सिको से भारत के लिए चालू विद्यमान मनोरंजन यात्रा के किरायों के स्तर में 31.90 यू० एस० ए० डालर से लेकर 44.30 यू० एस० ए० डालर तक की कमी।

(ii) यू० एस० ए०, कनाडा और मेक्सिको से भारत के लिए लगभग 29% डिस्काउण्ट पर समस्त व्यय सहित व्यक्तिगत यात्रा के किरायों का लागू किया जाना।

ये करार, सम्बद्ध सरकारों द्वारा अनुमोदन किये जाने की शर्त पर पहली अप्रैल, 1966 से लागू किये जायेंगे।

पर्यटन के लिये संयुक्त प्रचार

123. **श्री रामपुरे : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन यातायात को प्रोत्साहन देने के लिए एशिया के पड़ौसी देशों के साथ कोई संयुक्त प्रचार व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : अप्रैल/मई 1965 में भूतपूर्व परिवहन मंत्री की थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा के दौरान में इन देशों के साथ संयुक्त प्रचार कार्यक्रम की संभावना पर अनौपचारिक तौर से विचार विमर्श हुआ था। इस विचार विमर्श के फलस्वरुप कोई औपचारिक प्रबन्ध नहीं किया गया।

भारत-पोलैंड नौवहन सेवा

124. **धर्मलिंगम :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **परिवहन, उडड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैंड के बीच नौवहन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्यों से कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) इस समझौते से भारत की नौवहन सेवाओं के विकास मे क्या सहायता मिलेगी ?

परिवहन, उड्डयन' नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां, अभी हाल ही में भारत और पोलैंड के बीच 28 जनवरी, 1966 को एक समझौते पर दस्तखत किये गये हैं।

(ख) इस समझौते के मुख्य लक्ष्य ये हैं—1960 में हुये मुख्य भारत-पोलिश नौवहन समझौते के कामकाज का पुनर्विलोकन करना, भाड़े की दरों का पुनरीक्षण करना, खतरनाक माल को ले जाने और आपसी हितों के अन्य मामलों संबंधी प्रश्नों पर निश्चय करना है।

(ग) आशा की जाती है कि भारतीय और पोलिश जहाजों द्वारा लादे जाने वाले माल की मात्रा के मामले में समानता सुरक्षित कराने में, यह समझौता, जैसा मूल समझौते में सोचा गया था, सहायक होगा।

23 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1169 का शुध्दि पत्र

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : वर्तमान मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति यह है कि वहां केवल एक फ्लाईंग क्लब है जिसका नाम है, 'मध्य प्रदेश फ्लाईंग क्लब, इन्दौर'। उसकी एक शाखा भोपाल में भी है। नागपुर फ्लाईंग क्लब अब महाराष्ट्र में चला गया है।

उपमंत्री का परिचय

INTRODUCTION OF DEPUTY MINISTERS

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं आप से तथा आप के द्वारा सभा से श्री सयैद अहमद मेहदी का जिन्हे खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री नियुक्त किया गया है, परिचय कराता हूं। दूसरी उप मंत्री जिन्हे नियुक्त किया गया है, श्रीमती जयपाल सिंह हैं, वह इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

केरल मे खाद्य स्थिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे केरल में खाद्य स्थिति के बारे में विभिन्न दलों के विभिन्न सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव के दस नोटिस प्राप्त हुये हैं। क्या मंत्री महोदय कहना चाहेंगे कि सरकार असफल नहीं रही है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सरकार अपने प्रयत्नों में असफल नहीं रही है। (अंतर्बाधाए) बन्ध और प्रदर्शन ऐसी बातें है जिन को सरकार के पूर्ण प्रयत्नों के बाद भी किया जाता है। ये इस बात का द्योतक नहीं है कि सरकार अपने प्रयत्नों में असफल रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री का नाम सब से ऊपर है। वह इस बारे में क्या कहना चाहते है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Speaker, Sir, there is acute shortage of food in Kerala and starvation conditions prevail there. All the educational institutions and other institutions have stopped working. Life there had come to a standstill The grave and alarming situation that has paralysed the education and other institutions all over the State cannot be alleviated merely by asserting that there is a hand of a particular political party behind this agitation. The fact is that all the political parties including the ruling party have joined the agitation. It is an uprising of the people and the situation has arisen due to the reduction of ration for rice from 160 grams per head per day to 120 grams of rice per head per day, while in the adjoining states of Madras and Andhra it is 200 grams and 240 grams per head per day. It is a total failure on the part of Central Government that they are not able to provide sufficient food to the people even after 18 years of independence and they have to face lathi charge when they ask for bread. I, therefore, seek the permission of the House to consider this matter.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"केरल राज्य में 9 जनवरी, 1966 से चावल के राशन में की गई कमी को बहाल करने की मांग करते हुए केरल बान्ध से उत्पन्न स्थिति और प्रशासन की ओर असफलता।"

जो सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

बहुत से सदस्य खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या पचास से अधिक है इसलीये अनुमति दी जाती है। स्थगन प्रस्ताव को आज दोपहर 4 बजे बाद लिया जायेगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) **:** मेरा निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव के साथ अन्य स्थगन प्रस्ताव भी है। मैंने सारे देश में संकटमय खाद्यस्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पर भी इस स्थगन प्रस्ताव के साथ ही चर्चा की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उस की अनुमति नहीं दी है। यह एक साधारण समस्या है और इस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय चर्चा की जा सकती है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : प्रश्न यह है कि देश में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। प्रश्न नं० 4 के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि पांच राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है कि वहां खाद्य संकट पैदा हो गया है और अकाल की सी परिस्थितियां विद्यमान हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन में केवल एक स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जा सकती है और एक स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी गई है। इस पर किसी अन्य प्रकार से विचार किया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव के रुप में इस पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः मैं अन्य कार्य को लेता हूं, स्थगन प्रस्ताव पर चार बजे विचार किया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) **:** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम 61 की ओर आकृष्ट करता हूं। सभा ने केरल में खाद्य स्थिति पर विचार करने की अनुमति दी है। यह स्पष्ट है कि केरल में खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर है अतः इस पर विचार करने के लिये $2\frac{1}{2}$ घण्टे का समय बहुत कम है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर तभी विचार किया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : यह निश्चित बात है कि सभा को अधिक समय की आवश्यकता होगी। अतः नियम 61 के अधीन मैं सुझाव देता हूं कि चर्चा एक घण्टा पहले आरम्भ की जाये। रेलवे मंत्री द्वारा रेलवे बजट प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद चर्चा आरम्भ की जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक कितने बजे तक होगी, इस पर उस समय विचार किया जा सकता है। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरि विष्णु कामत : नियमों के अधीन हम 6.30 तक बैठेंगे। मेरा सुझाव है कि रेलवे बजट पेश किये जाने के तुरन्त बाद इस पर विचार किया जाये।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): यह अच्छा होगा, यदि इसे एक घण्टे पहले लिया जाये, क्योंकि इस के लिये कम से कम $2\frac{1}{2}$ घण्टे की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा नेता सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस सुझाव से भी सहमत हैं कि रेलवे बजट पेश किये जाने के तुरन्त बाद इस पर विचार किया जाये।

श्री सत्य नारायण सिंह : तीन बजे से पहले नहीं।

श्री वासुदेव नायर (अम्बलपुजा) : साधारणत: ऐसी चर्चा में दलों के आधार पर सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाता है, परन्तु यह अच्छा होगा कि इस विशेष मामले में केरल के सदस्यों को अधिक अवसर दिया जाये ताकि ....

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री रंगा (चित्तुर) : आप ने कहा है कि अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा क्यों कि एक स्थगन प्रस्ताव के बारे में अनुमति दी जा चुकी है । मैं समजता हूं कि अन्य प्रस्तावों को बाद के दिनों में जब कभी आवश्यक हो तथा अवसर मिल सके लिया जा सकता है तथा उन पर विचार करने के बारे में सभा की राय ली जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी की बात सुनने के बाद उत्तर दूंगा, श्री बनर्जी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे आप का यह कथन की एक दिन में केवल एक ही स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जा सकती है मान्य है । चूंकि श्री प्रकाशवीर शास्त्री के स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दी गई है, अन्य स्थगन प्रस्तावों को अनुमति नहीं दी जा सकती । मेरा निवेदन है कि आप इस बात की आज्ञा दें कि केरल की संकटमय खाद्य स्थिति का उल्लेख करते हुये, अन्य राज्यों की खाद्य स्थिति तथा पुलिस की ज्यादातियों के बारे में भी जिनका अन्य स्थगन प्रस्तावों में उल्लेख है जिकर किया जा सके, अन्यथा हमारे लिये उनके बारे में उल्लेख करना असंभव होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी आज्ञा दी जायेगी ।

Mr. Ram Sewak Yadav (Bara Banki): Mr. Speaker, I have given a notice of breach of privilage against the Daily Statesman.

Mr. Speaker : That has been received late. I will see to that.

मुझे श्री रंगा के प्रश्न का उत्तर देना है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों पर विचार करते रहे हैं अर्थात एक दिन में यदि एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों के नोटिस प्राप्त होते हैं तो पहले दिन प्राप्त हुये स्थगनो प्रस्तावों पर दूसरे दिन विचार किया जाता है । परन्तु मैं समझता हूं कि यह नियमानुकुल नहीं है क्योंकि इस से अगले दिन प्राप्त होने वाले स्थगन प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर समाप्त होता है । यदि मैं एक के बाद दूसरे प्रस्ताव को लेता हूं तो इस के लिये सारा महीना लगेगा और आगे आने वाले स्थगन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। इस लिये केवल एक स्थगन प्रस्ताव पर जिसकी सभा अनुमति दे, चर्चा की जा सकेगी तथा अन्य प्रस्तावों पर किसी अन्य रुप में चर्चा की जा सकेगी, स्थगन प्रस्ताव के रुप में नहीं । इस के लिए जब सभा चाहेगी अवसर प्राप्त हो सकेंगे परन्तु स्थगन प्रस्ताओं के रुप में उन्हें नहीं लिया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अध्यक्ष महोदय : श्री मनुभाई शाह प्रशुल्क आयोग आदि के प्रतिवेदन ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : श्री मनुभाई शाह की ओर से प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951, की धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बॉल बियरिंग उद्योग को संरक्षण जारी रखने तथा अन्य रॉलिंग बियरिंग उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1965) ।

(2) दिनांक 31 दिसम्बर, 1965 का सरकारी संकल्प संख्या 7(1)—स्टार।65 [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 5395/66**]

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अध्यादेश 1965 आदि आदि

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं यह पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्न अध्यादेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1965 को प्रख्यापित भारतीय प्रशुल्क(संशोधन) अध्यादेश, 1965 (1965 का संख्या 7) । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5396/66]**

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 1 फरवरी, 1966 को प्रख्यापित भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 1) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5397/66]**

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 5 फरवरी, 1966 को प्रख्यापित दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 2) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5398/66]**

(2) तीसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों के दौरान, मंत्रीयों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1, तेरहवां अधिवेशन, 1965 **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5399/66]**

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 4, बारहवां अधिवेशन, 1965 **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5400/66]**

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 8, ग्यारहवां अधिवेशन, 1965 **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5401/66]**

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 11, दसवां अधिवेशन, 1964 **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5402/66]**

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 13, नवां अधिवेशन, 1964 **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5403/66]**

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 18, सातवां अधिवेशन, 1964 **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5404/66]**

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 16, पांचवां अधिवेशन, 1963 **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5405/66]**

(आठ) अनपूरक विवरण संख्या 22, दूसरा अधिवेशन, 1962 **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5406/66]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : विवरण में उपरोक्त आश्वासनों में संख्या दो पर दिये गये आश्वासनों के बारे में सभा इस बात को बहुत गम्भीर समझती है कि यह आश्वासन चार वर्ष पूर्व 1962 में दिये गये थे और अभी तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इस संबंध में मैं आप का ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम 323 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति एक संसदीय समिति है तथा उसे यह जांच करने का पूर्ण अधिकार है कि सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहां तक परिपालन किया गया है तथा जहां परिपालन किया गया हो तो ऐसे परिपालन उस प्रयोजनों के लिये आवश्यक **न्यूनतम** समय के भीतर हुआ है या नहीं ।]

श्री रंगा : यह बड़ी शर्म की बात है कि चार वर्ष पहले दिये गये आश्वासनों पर अभी तक कार्यवाही नही की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : इस कारण मैंने समिति को इस मामले पर विचार करने को कहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यद्यपि इस लोक सभा को चार वर्ष हो चुके है परन्तु यह बड़े दु:ख की बात है कि उस न्यूनतम समय का निर्धारण नहीं किया जा सका है जिसके अन्दर नियम 323 के अन्तर्गत सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का परिपालन किया जाना चाहिये । इस बारे में मैं इस मंत्री विशेष पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं ।

मुझे ज्ञात है कि लोक सभा सचिवालय इस बारे में कार्यवाही कर रहा है और सत्रावसान अवधि में सचिव महोदय ने विभिन्न मंत्रालयों को नोट भज है परन्तु यह केवल लोक सभा सचिवालय की जिम्मेदारी नहीं है, मंत्रालयों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । संसद-कार्य मंत्री को चाहिये कि वह अपने अन्य कार्यों के साथ साथ इस पर भी विशेष ध्यान दें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : आश्वासन क्रियान्वित करने के लिये दिये जाते है । क्रियान्विती के बिना आश्वासन अर्थहीन हैं । यह एक असाधारण बात है कि आठ वर्ष पहले दिय गये आश्वासनों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई । यदि सरकार किन्ही भौतिक कारणों तथा अन्य कारणोंवश किसी आश्वासन को क्रियान्वित नहीं कर सकती, तो वह समिति के सामने वह कारण रख सकती है जिन के आधार पर वह आश्वासनों को क्रियान्वित करने में असमर्थ है । यह बड़ा अनुचित बात है तथा इतने लम्बे समय तक किसा आश्वासन को क्रियान्वित न करके सरकार सभा के अधिकारों की अवहेलना कर रही है । संसद-कार्य मंत्री को इस बारे में क्या कहना है ?

संसद-कार्य मंत्री महोदय की सहायतार्थ उनके मंत्रालय में एक राज्य मंत्री है, और वह न केवल कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक ही हैं तथा सभा नेता भी है अत: उन के पद की शोभा इस में है कि आश्वासनों की क्रियान्विती में इतना विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

श्री उ० मु० त्रिवेदी (मंदसौर) : सरकार की यह प्रवृत्ति होती जा रही है कि वह लोक महत्व में जो प्रश्न पुछे जाते हैं उनका उत्तर नहीं देती है । प्रजातंत्र पद्धति में सरकार को न केवल आश्वासनों की क्रियान्वित करना होता है बल्कि यह भी उसका उत्तरदायित्व है कि वह सभा को उन की कार्यान्विति के बारे में सूचित करें । सरकार अपने आश्वासनों का पांच पांच तथा छ: छ: वर्ष तक परिपालन नहीं करती हैं । स्थिति यही हालात तक पहुंच गई है कि वर्षो तक महालेखपाल की अपत्तियों का भी उत्तर नहीं दिया जाता । सभा की कार्यावधि पांच वर्ष की होती है तथा सभा की कार्यावधि समाप्त हो जाती है परन्तु सरकार से कोई उत्तर नहीं मिलता । मंत्री महोदय को अभी उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह अभी उत्तर देंगे ।

श्री सत्यनारायण सिंह : आश्वासनों को कार्यान्वित करने का यथासंभव प्रयत्न किया जाता है। लोक सभा के तेरहवां सत्र की अवधि में लम्बित आश्वासनों का पुनर्विलोकन किया गया था तथा सब लम्बित आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिये विशेष प्रयत्न किया गया था । इस प्रयत्न के फलस्वरुप दो आश्वासनों को छोड़कर दूसरी लोक सभा में दिये गय सब आश्वासनों को क्रियान्वित किया गया है । मैं तथ्यों को ज्यों का त्यों सभा के सामने रख रहा हूं तथा इन्हें छुपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । इन दो आश्वासनो का इस लिये परिपालन नहीं किया गया क्योंकि इन में से एक तो न्यायाधीन है तथा दूसरा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदम जातियों की सूचि में संशोधन करने के बारे में है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदीम जातियों का सूचि का वर्गिकरण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

तीसरी लोक सभा में बारहवें सत्र के अन्त तक दिये गये 2366 आश्वासनों में से 2133 आश्वासनों को क्रियान्वित किया गया है । हमारे प्रयत्नों के फलस्वरुप बारहवें सत्र के अन्त में बहुत से आश्वासनों की क्रियान्विति के विवरण मिले है जिन्हे सुविधानुसार सभा पटल पर रखा जायगा । अब तक प्राप्त क्रियान्विति प्रतिवेदनों के अनुसार तीसरी लोक सभा के बारहवें अधिवेशन में दिय गये 94.42% आश्वासनों को क्रियान्वित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रहमण्यम।

केरल सरकारी भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 की धारा 7 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) मैं य पत्र पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निवेदन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सरकारी भूमिअधिन्यास अधिनियम, 1960, की धारा 7 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964, जो दिनांक 25 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 71/64 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सरकारी परती भूमि पर भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने की केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजना के क्रियान्वयन के लिए नियम, जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1963 के केरल राजपत्र में अधिसूचना संख्या 50513/ए3/62/आर० डी० में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने की केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजना के अन्तर्गत एसे श्रमिकों को बसाने के प्रयोजन से सरकारी भूमि के अधिन्यास के लिए नियम जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1963 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 715/1963 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अधिसूचना संख्या 79182/ए3/63 आर० डी०, दिनांक 9 जनवरी, 1964, जिसके द्वारा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजना के अन्तर्गत ऐसे श्रमिकों को बसाने के प्रयोजन से सरकारी भूमि के अधिन्यास के लिये नियमों में कतिपय संशोधन किये गये ।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 30/65 जो दिनांक 26 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकारी भूमि के अधिन्यास के लिए नियमों में एक संशोधन किया गया ।

(छः) एस० आर० ओ० संख्या 117/65 जो दिनांक 23 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्रों में सरकारी भूमि के अधिन्यास के लिए नियम जो दिनांक 14 अप्रैल, 1964 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 97/64 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) एस० आर० ओ० संख्या 231/65 जो दिनांक 1 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया ।

(नौ) एस० आर० ओ० संख्या 303/65 जो दिनांक 3 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तम्बाकु की खेती करने के लिये सरकारी भूमि को पट्टीपर देने के लिए विशेष नियमों में कतिपय संशोधन किये गये ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5331/65]

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए-उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल भूमि अर्जन अधिनियम, 1961 की धारा 61 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 219/64 की एक प्रति जो दिनांक 21 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल भूमि अर्जन नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5332/65]**

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी का गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल वन अधिनियम, 1961 की धारा 77 के अन्तर्गत वन बन्दोबस्त नियम, 1965, की एक प्रति जो दिनांक 11 मई, 1965 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 186/65 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5333/65]**

(4) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल कृषक ऋण अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिन के द्वारा केरल राज्य कृषि ऋण नियमों में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 63/64 जो दिनांक 17 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 209/64 जो दिनांक 7 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 210/64 जो दिनांक 7 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 226/64 जो दिनांक 28 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 297/64 दिनांक 29 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(छः) एस० आर० ओ० संख्या 398/64 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(सात) एस० आर० ओ० संख्या 120/65 जो दिनांक 30 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) एस० आर० ओ० संख्या 194/65 जो दिनांक 11 मई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) एस० आर० ओ० संख्या 227/65 जो दिनांक 1 जन, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5359/65]

(5) राष्ट्रपति कि कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल कृषक ऋण अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० 422/एग्री०/65 की एक प्रति जो दिनांक 10 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रबड़ बागान के विकास के लिए विशेष ऋण नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5360/65]**

(ख) सभा पटल पर रखता हूं :

पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी समिति (प्रशासन) नियम, 1965 की एक प्रति । जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 122 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5407/66]**

दिल्ली (विक्रय कर) नियम आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मैं दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में लागू रूप में, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 29 जुलाई, 1965 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(98)/64–फिन (ई) में प्रकाशित हुए थ, की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5110/65]**

(ख) मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 जेडई की उप-धारा (4) के अन्तर्गत कर प्रत्यय प्रमाण-पत्र (इक्विटी शेयर) योजना, 1965, की एक प्रति, जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1834 में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5408/66]**

(दो) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (संशोधन) नियम 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 13 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 189 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5409/66]**

(तीन) धन-कर अधिनियम, 1957, की धारा 46 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1760 की एक प्रति, जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5410/66]**

(चार) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दसवा संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1789 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 97 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5411/66]

8 –18 Lok Sabhha/66

[श्री ब० रा० भगत]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1898 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 20 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) सीमा-शुल्क बाण्ड के अन्तर्गत निर्माण (सामान्य) पहला संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 21 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) जी० एस० आर० 22 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) जी० एस० आर० 23 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) सीमा-शुल्क बाण्ड के अन्तर्गत निर्माण (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 24 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) जी० एस० आर० 25 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) जी० एस० आर० 53 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) जी० एस० आर० 67 जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दस) जी० एस० आर० 68 जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 69 जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(बारह) जी० एस० आर० 70 जो दिनांक 8 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तेरह) जी० एस० आर० 79–क जो दिनांक 10 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(चौदह) जी० एस० आर० 93 जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(पंद्रह) जी० एस० आर० 94 जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5412/66]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 93वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1785 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 94 वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक, 4 दिसम्बर 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1786 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) पहला संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 26 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क-वापसी (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 27 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 28 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) नवां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 29 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 11वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 30 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 31 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) पांचवां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 32 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्का-वापसी (सामान्य) छटा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 33 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) सातवां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 34 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) आठवां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 35 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शलक निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) दसवां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 36 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 12वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 37 में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) सीमा-शलक तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 13वां संशोधन नियम 1966 का दिनांक 1 जनवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 38 में प्रकाशित हुए थे ।

[श्री ब० रा० भगत]

(सोलह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 14वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 39 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 15वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 40 में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 16वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 41 में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 17वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 42 में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) जी० एस० आर० 51 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इक्कीस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 18वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 52 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 22वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 89 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेईस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 19वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 90 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौबीस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 20वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 91 में प्रकाशित हुए थे ।

(पच्चीस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क-निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 21वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 15 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 92 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5413/66]

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965, को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959, की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 407/65 की एक प्रति, जो दिनांक 16 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5414/66]

खाद्य निगम (चौथा संशोधन) नियम 1966

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964, की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (चौथा संशोधन) नियम, 1966, की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे, जो दिनांक 28 जनवरी, 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 156 में प्रकाशित हुए थे को सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5415/66]**

निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1966

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1966, जो दिनांक 13 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 101 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5416/66**]

(दो) परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 10 जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्धारित किया गया और जो दिनांक 29 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 363 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5417/66**]

(2) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 क की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिवक्ता के रूप में प्रवेश (प्रशिक्षण तथा परीक्षा से छूट) नियम, 1965, जो 15 दिसम्बर, 1965, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3917 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5418/66**]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 620 क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 111 जो दिनांक 22 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5419/66**]

(4) भारत में तीसरे सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन, 1962—खंड 1 (सामान्य)। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5420/66**]

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : मैं वर्ष 1964—65 के लिये रबड बोर्ड के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5421/66**]

केरल पंचायत अधिनियम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (1) मैं इन अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 352/65, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5310/65**]

[श्री शिन्दे]

(दो) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1932 की धारा 65 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 343/65, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केरल सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों में कतिपय संशोधन किये गये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5366/65]**

(2) मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965, की एक प्रति सभापटल पर रखूंगा जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1877 में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5422/66]**

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव महोदय : मैं गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित तीन विधेयक, जिन पर 10 दिसम्बर, 1965 को सभा में पिछलीबार प्रतिवेदन देने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1965

(2) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 1965

(3) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1965

2. मैं गत अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित ग्यारह विधेयकों की, जिन पर 10 दिसम्बर, 1965 की सभा में पिछलीबार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1965

(2) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1965

(3) भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण-कार्य (संशोधन) विधेयक, 1965

(4) रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) विधेयक, 1965

(5) इलायची विधेयक, 1965

(6) मेटल कारपोरेशन आफ़ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1965

(7) कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनाएं (संशोधन) विधेयक, 1965

(8) अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक, 1965

(9) संघ राज्य-क्षेत्र (लोक-सभा के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन) 1965

(10) गोवा, दमण तथा दीव (समाविष्ट कर्मचारी) विधेयक, 1965

(11) सम्पदा-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1965

याचिका—भारतीय डाकघर नियम, 1933, के बारे में

PETITION RE : INDIAN POST OFFICE RULES, 1933

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं भारतीय डाकघर नियम, 1933 के विषय में एक याचिकादाता द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश करता हूं।

वक्तव्य—मौंट ब्लाक, बनिहाल दर्रे और पालम हवाई अड्डे पर हाल की विमान दुर्घटनाओं के बारे में

STATEMENT RE : RECENT AIR ACCIDENTS AT MOUNT BLANC, BANIHAL PASS AND PALAM AIR PORT

अध्यक्ष महोदय : अब हम वक्तव्यों को लेंगें।

श्री संजीव रेड्डी ने एक वक्तव्य देना है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : शायद वह दो दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य देंगे। परन्तु आज प्रात: एक और दुर्घटना हुई है।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं इस बारे में भी सूचना दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या तीसरी दुर्घटना को भी सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वक्तव्य लम्बा है ?

श्री संजीव रेड्डी : लगभग 2 अथवा 3 पृष्ठों का है।

एक माननीय सदस्य : इसे सभा पटल पर रख दिया जाये।

दूसरा माननीय सदस्य : इसे पढ़ा जाये।

अध्यक्ष महोदय : [कृपया वह इसे पढ़ दें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (हमीरपुर) : इसे परिचालित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि पहले इसे सभा पटल पर रखा जाये और फिर सदस्यों में परिचालित किया जाये। बाद में इस पर चर्चा की जायेगी। अब वह इसे सभा पटल पर रख दें।

श्री संजीव रेड्डी : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5423/66**]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम एक वक्तव्य देना चाहते थे।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के समय वक्तव्य दूंगा।

वक्तव्य—ताश्कंद घोषणा के बारे में

STATEMENT RE : TASHKENT DECLARATION

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : ताश्कन्द घोषणा के बारे में मुझे श्री स्वर्ण सिंह की ओर से एक वक्तव्य देना है। यह एक लम्बा वक्तव्य है। यदि आप चाहें तो इसे पढा जाये अथवा सभा पटल पर रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य को भी सभा पटल पर रखा जाये। इस पर चर्चा की जायेगी।

श्री दिनेश सिंह : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5424/66**]

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : जैसा कि सभा को ात है 16 फरवरी से आगे का समय हम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिये नियत किया है। कल विरोधी दलों के नेताओं की प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि ताश्कन्द घोषणा पर लोक सभा में तुरन्त चर्चा होनी चाहिये। सरकार सदस्यों की भावना का आदर करती है। अत: मेरा सुझाव है कि 16 तारीख को ताश्कंद घोषणा पर चर्चा की जाये। वैदेशिक-कार्य मंत्री इस बारे में प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : चूंकि सरकार ने ताश्कन्द घोषणा पर चर्चा के लिये समय निर्धारित कर दिया है, अत: मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने को कहें ताकि हम इस के स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछ सकें।

अध्यक्ष महोदय : इसे परिचालित किया जायेगा। मुझे जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है :

"मैं बुधवार, 16 फरवरी, 1966 को लोक सभा में यह प्रस्ताव पेश करने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं :

'कि ताश्कन्द घोषणा पर विचार किया जाये"।

यह श्री स्वर्ण सिंह के नाम में है। जो माननीय सदस्य संशोधन पेश करना चाहें, वे कर सकते हैं।"

दिल्ली प्रशासन विधेयक

DELHI ADMINISTRATION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना

श्री स० वा० कृष्णमूर्ती राव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन तथा उस से संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय 21 मार्च, 1966 तक बढा दिया जाये।"

श्री स० मो० बनर्जी : मैं समय बढाये जाने के कारण जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संयुक्त समिति के सभापति कारण बतायेंगे।

श्री स० वा० कृष्णमूर्ती राव : यह प्रस्ताव कि दिल्ली प्रशासन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाये लोक सभा ने 7 दिसम्बर, 1965 को स्वीकार किया था। राज्य सभा ने इस प्रस्ताव का 11 दिसम्बर, 1965 को अनुमोदन किया। संयुक्त समिति की पहली बैठक 13 दिसम्बर, 1965

को हुई जिस में निर्णय किया गया कि लिखित साक्ष्य 25 दिसम्बर, 1965 तक मांगा जाये तथा विधेयक में रूची रखने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं का मौखिक साक्ष्य सुनने का भी निर्णय किया गया। अभी तक समिति की 5 बठकें हुई हैं तथा 14 संस्थाओं/व्यक्तियों का साक्ष्य सुना जा चुका है। कुछ सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी, श्री सीतलवाद को भी विधेयक के प्रति अपना मत व्यक्त करने को कहा जाये। अतः वह 19 फरवरी, 1966 को समिति के समक्ष पेश होंगे। इस के बाद समिति विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

इस लिये आवश्यक है कि समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढाया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं समिति की सदस्य हूं और मैंने सत्तारुढ़ दल के कुछ सदस्यों से सुना है कि विधेयक को वापस लिया जाने वाला है। अतः मैं नये मंत्रिमंडल से जानना चाहूंगी कि वे वास्तव में विधेयक वापस लेना चाहते हैं अथवा हमें अपना कार्य जारी रखना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय की बात तो नहीं सुन सका परन्तु जो कुछ श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा यह मैं ने कुछ अन्य सदस्यों से भी सुना है कि इस बारे में कि विधेयक को मंजूर किया जाये, नामंजूर किया अथवा वापस लिया जाये अभी कोई निर्णय नहीं किया गया हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों में से एक ने कहा है कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई है यह अफवा भी हो सकती है.....?.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सत्तारूढ़ दल के समिति के सदस्यों ने बताया है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। अतः मैं स्पष्टीकरण चाहती हूं कि हमें अपना कार्य जारी रखना चाहिये या विधेयक को वापस लिया जायेगा।

श्री सत्यनारायण सिंह : यह बात बिल्कुल गलत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय 21 मार्च, 1966 तक बढ़ा दिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक
DELHI SECONDARY EDUCATION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय का बढ़ाया जाना

श्री सोनावने (पंढ़रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था और विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय 31 मार्च, 1966 तक बढ़ा दिया जाय"

श्री हरि विष्णु कामत : हम इस के कारण भी जानना चाहते हैं।

श्री सोनावने : यह प्रस्ताव कि दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 1964 को समिति को सौंपा जाये 29 नवम्बर, 1964 को लोक सभा ने स्वीकार किया था। राज्य सभा ने 10 दिसम्बर, 1965 को इस का अनुमोदन किया। संयुक्त समिति की पहली बैठक 14 दिसम्बर, 1965 को हुई जिस में निर्णय किया गया कि 27 दिसम्बर, 1965 तक लिखित साक्ष मांगा जाये तथा विधेयक में रूचि रखने वाले व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य भी सुना जाये। 10 जनवरी, 1966 को दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों की कार्यप्रणाली का स्कूलों में जाकर अध्ययन करने के लिये समिति को 7 अध्ययन दलों में विभाजित किया गया अतः अभी तक 42 स्कूलों का दौरा किया जा चुका है। 11 जनवरी, 1966 को समिति ने मौखिक साक्ष्य सुनना निश्चित किया था परन्तु प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के दुःखद और आकस्मिक निधन के कारण समिति की बैठकें स्थगित कर दी गई।

समिति ने अपनी 7 से 9 फरवरी तक की बैठकों में अभी तक 15 संस्थाओं/व्यक्तियों का साक्ष्य सुना है। अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायगा। अतः यह आवश्यक है कि समिति का प्रतिवेदन पेश करने का समय बढ़ा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था और विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय 31 मार्च, 1966 तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

रेलवे आयव्ययक, 1966-67

RAILWAY BUDGET, 1966-67

अध्यक्ष महोदय : रेलवे मंत्री, श्री स० का० पाटील।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटील) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 1966-67 के लिए भारत की सरकारी रेलों का बजट पेश करने के लिए खड़ा हूं। इस सिलसिले में मैं रेलों के प्रशासन और कार्य सम्बन्धी कुछ मोटे परिणामों का भी उल्लेख करूंगा।

1964-65 के लेखे

1964–65 के वित्तीय परिणाम

2. सब से पहले मैं विगत समाप्त वर्ष 1964-65 के लेखों का उल्लेख करूंगा। इस वर्ष के वित्तीय परिणाम बहुत कुछ संशोधित अनुमानों के निकट, किन्तु उपान्ततः कुछ अच्छे निकले। यातायात से कुल प्राप्ति 660.85 करोड़ रुपये रही जब कि इसका संशोधित अनुमान 660 करोड़ रुपए था ; 1/8 प्रतिशत अन्तर का कारण यह है कि माल और अन्य फुटकर मदों से जितनी आमदनी का अन्दाजा लगाया गया था, उसको अपेक्षा कुछ, अधिक आमदनी हुई। इससे यात्री तथा कोचिंग यातायात की आमदनी में जो मामूली कमी हुई थी, वह न केवल पूरी हो गयी बल्कि कुछ बच भी रहा। आमदनी में इस उपान्त सुधार के फलस्वरूप कुछ अधिक बचत हुई है जिसका उल्लेख मैं आगे करूंगा।

संशोधित अनुमान की तुलना में साधारण संचालन व्यय 0.77 करोड़ रुपए अधिक और लाभांश 0.41 करोड़ रुपये अधिक रहा, लेकिन विविध व्यय और राजस्व लेख में प्रभृत चालू लाइन सम्बन्धी

कामों में कुछ बचत के कारण साधारण संचालन व्यय में यह वृद्धि बहुत कुछ संतुलित हो गयी। इस वर्ष वास्तविक बचत 13.18 करोड़ रुपये रही जब कि संशोधित अनुमान में 12.49 करोड़ रुपये बचत का अन्दाजा लगाया गया था। बचत की पूरी रकम विकास निधि में डाल दी गयी।

1965-66 के संशोधित अनुमान

1965-66 में यातायात से कुल प्राप्ति

3. विगत वर्ष प्रायः इसी समय जब चालू वर्ष को बजट अनुमान पेश किया गया था, तो यह अन्दाज़ा लगाया गया था कि 1965-66 में प्रारंभिक राजस्व यातायात लगभग 100 लाख मीटरिक टन अधिक होगा। आशा है कि यातायात में वृद्धि का यह पूर्वानुमान इस वर्ष मार्च तक न केवल बहुत कुछ पूरा हो जायेगा, वरन् लदान में और वृद्धि होगी क्योंकि दिसम्बर, 1965 के अन्त तक जितना लदान हुआ है, वह 1964-65 की इसी अवधि के लदान से 103.5 लाख मैटरिक टन अधिक है। लदान में यह वृद्धि स्वयं अपने में योजनाबद्ध विकास और हमारी आर्थिक व्यवस्था की आधारभूत शक्ति की द्योतक है। यह बात विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है कि विगत वर्ष आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और उसे पूरी तरह सम्हालने में रेलवे की क्षमता का जो अनुमान लगाया गया था, वह सितम्बर, 1965 की घटनाओं के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त भार के बावजूद, न केवल पूरा हो गया है, वरन् स्थिति में कुछ और सुधार हुआ है।

रेलों द्वारा ढोये गये प्रारंभिक माल यातायात में जो अभिनन्दनीय वृद्धि हुई है, उसके अतिरिक्त वर्तमान संकेतों के अनुसार यातायात की औसत वहन-दूरी भी कुछ बढ़ गयी है। इसके अलावा, वर्ष के पहले 9 महीनों के लिए माल यातायात का जो समानुपातिक लक्ष्य रखा गया था, उसकी अपेक्षा इस अवधि में कुछ ऊंची दर वाले माल, जैसे विविध सामान्य माल का अधिक लदान हुआ। इसका भी माल यातायात की आमदनी पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इन परिस्थितियों में यह आशा की जाती है कि माल यातायात की आमदनी 462.00 करोड़ रुपये होगी जबकि इसका बजट अनुमान 441.90 करोड़ रुपये है। 1964-65 की अपेक्षा चालू वर्ष के बजट में यात्री यातायात की आमदनी में कम वृद्धि का अनुमान लगया गया था, लेकिन अगस्त/सितम्बर, 1965 के संघर्ष और संभवतः असन्तोष-जनक फसली मौसम के कारण वृद्धि की दर में कुछ अधिक रुकावट आ गयी है। अतः बजट में यात्री यातायात की आमदनी का जो अन्दाजा लगाया गया था, उसमें लगभग 1 करोड़ रुपये की उपान्त गिरावट की संभावना है। अन्य कोचिंग आमदनी और फुटकर आमदनी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सब मिला कर यातायात से कुल प्राप्ति का अनुमान अब 741.80 करोड़ रुपये है जो बजट अनुमान से लगभग 25.80 करोड़ या लगभग 3.6 प्रतिशत अधिक है।

संचालन व्यय 1965–66

4. लेकिन कुछ स्पष्टतः अभिज्ञात कारणों से आमदनी में यह वृद्धि प्रायः कुल की कुल संचालन व्यय की वृद्धि में खप जाती है। संचालन व्यय में वृद्धि की सबसे बड़ी मद कर्मचारियों की लागत में हुई है जिसका एक कारण यह है कि पहली जुलाई 1965 से मकान भाड़ा भत्ता देने का आधार विस्तृत कर दिया गया (इसकी वजह से इस वर्ष संचालन व्यय में लगभग 1.76 करोड़ की वृद्धि हुई) और दूसरा कारण यह है कि बजट के बाद महंगाई भत्ते में दो बार और वृद्धि करने का निर्णय किया गया पहले अप्रैल 1965 में और फिर इस महीने के आरम्भ में। महंगाई भत्ते में वृद्धियां क्रमशः 1 मार्च, 1965 और 1 दिसम्बर, 1965 से लागू हुई। परिणामस्वरूप इस वर्ष संचालन व्यय लगभग 15 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा। इस वर्ष ईंधन की लागत में 4 करोड़ रुपये की वृद्धि बजट के बाद की एक दूसरी महत्वपूर्ण मद है जो कोयले और डीज़ल तेल की कीमत बढ़ जाने के कारण है। डीज़ल तेल कि कीमत में वृद्धि फरवरी 1965 और फिर अगस्त 1965 में शुल्क बढ़ जाने के कारण है। यद्यपि इस वर्ष सभी परिहार्य खर्चों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की गयी फिर भी सामान की कीमत में ऊपर बतायी गयी और अन्य वृद्धियों के कारण और अनुमान से अधिक माल और कोचिंग यातायात की ढुलाई पर अधिक लागत आयी जिसके कारण संचालन व्यय लगभग 24 करोड़ बढ़ गया है। संचालन व्यय में इस वृद्धि को पूरा करने के लिए पूरक मांगे पेश की जा रही हैं।

[श्री स० का० पाटील]

अन्य प्रभार और बचत 1965-66

5. अन्य मदों में बजट अनुमान से केवल कुछ उपान्त घटा-बढ़ी हुई है। इस प्रकार बढ़ी हुई आमदनी बढ़े हुए खर्च में खप जाने के बाद आशा यह है कि रेलों को लगभग 29.99 करोड़ रुपये की बचत होगी जो 29.24 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से कुछ अधिक है।

1965-66 के निर्माण कार्यों पर व्यय

6. बदलाव और परिवर्धन दोनों उद्देश्यों के लिए निर्माण-कार्यों और चलस्टाक पर पूँजीगत व्यय के लिए बजट में 345 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें राजस्व लेखेमें प्रभृत कुछ छोट-मोटे काम का खर्च भी शामिल है। लेकिन बजट के बाद होने वाले परिवर्तनों जैसे, अतिरिक्त कर, इस्पात की कीमत में वृद्धि आदि के कारण चालू वर्ष में समूची निर्माण कार्यों की लागत और अन्य पूँजीगत व्यय में लगभग 16 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। फिर भी, खर्च में बहुत किफायत करने की आवश्यकता है और इसे देखते हुए काम की गति को कुछ धीमा करके पूँजीगत व्यय की वृद्धि को लगभग 9.8 करोड़ रूपये तक सीमित रखने का विचार है। चालू वर्ष में इस प्रकार के सभी पूँजीगत व्यय का संशोधित अनुमान 354.8 करोड़ रुपये रखा गया है। इस प्रकार के खर्च के लिए भी पूरक मांगें पेश की जायेंगी।

रेलों की तीसरी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा

रेलें और आपात

7. यहां संक्षेप में रेलों की तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति की समीक्षा करना उपयुक्त जान पड़ता है। भारतीय रेलों के इतिहास में यह अवधि अपूर्व रही है। ऐसे समय में जब हम अपनी रेल परिवहन प्रणाली का अभी विकास कर रहे हैं, हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अतिक्रमण के कारण उत्पन्न आपात में इसकी दो बार परीक्षा हुई है--पहली बार 1962 में हमारे पूर्वी क्षेत्र में अतिक्रमण के समय और दूसरी बार 1965 में हमारी पश्चिमी सीमाओं पर, अतिक्रमण के समय। मुझे यह कहने में गर्व है कि इन दोनों अवसरों पर रेलों ने तत्परता के साथ स्थिति का मुकाबला किया और नागरिक माल तथा सेवाओं को गंभीर रूप से अव्यवस्थित किये बिना सैनिक परिवहन की आवश्यकताओं को कारगर ढंग से पूरा किया। देश के आर्थिक विकास और रक्षा में रेलों के योगदान और महत्व के सम्बन्ध में किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इन घटनाओं में यह सिद्ध कर दिया है कि देश में फैली हुई आधारभूत लाइनों का हमारे लिए क्या महत्व है।

माल और यात्री यातायात : रेल योजना के रूप में परिवर्तन

माल यातायात

8. 1963 के अन्तिम महीनों में योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के बाद तीसरी योजना में रेलवे विकास कार्यक्रम में ऐसा परिवर्तन किया गया ताकि रेलें लगभग 2450 लाख मीटरिक टन माल ढो सकें जो 1965-66 के लिए आंका गया था। योजना के पहले तीन वर्षों में माल यातायात के लिए रेल क्षमता बहुत बढ़ायी गयी और वास्तव में जितना माल ढोया गया, वह वार्षिक संचलन दर की तुलना में लगभग 350 लाख मीटरिक टन अधिक था। यह वृद्धि 1963-64 के प्रारम्भिक माल यातायात को लगभग 1910 लाख मीटरिक टन मान कर निकाली गयी है। योजना के दूसरे और तीसरे वर्षों में रेलों का काम लगातार बहुत अच्छा रहा। फलस्वरूप पहले से जो माल रुका पड़ा था, उसकी निकासी की गयी और कोयला तथा कच्चे माल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की मांग की तुलना में रेल परिवहन क्षमता अधिक रही। इसके बाद 1964-65 आया जिसमें देश के इस्पात कारखानों की संस्थापित क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। 1964 के मध्य में रेलों को यातायात के विकास की दर में एक विराम का संकेत मिला। इसका एक कारण यह था कि रेल परिवहन क्षमता अधिक सुलभ होने से उद्योगों, विशेषरूप से कोयले के प्रमुख उपभोक्ताओं, ने कच्चे माल का स्टाक कम करना और कम स्टाक से काम चलाना आरम्भ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1964-65 में भारी

माल यातायात को वृद्धि की दर में जो अवरोध पैदा हुआ था, वह औद्योगिक क्षेत्र में अधिक कार्यक्षम उत्पादन के कारण और भी स्पष्ट हो गया। कई प्रमुख उद्योगों में, जिनमें इस्पात, कोयला धुलाई कारखाने और सीमेंट उद्योग विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं, तयार माल की तुलना में कच्चे माल का अनुपात गिर गया। यातायात में वृद्धि की धीमी गति और बढ़ती हुई लागतों और कीमतों की अवधि में खर्च को घटाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर रेलों ने विकास की कई योजनाओं और लाइन-क्षमता बढ़ाने के दूसरे कामों--प्रधानतः रेल बिजली योजना, नयी लाइनों, दोहरी लाइनें बिछाने के कार्यक्रम में परिवर्तन किया। फलस्वरूप निर्माण के जिन कामों पर अधिक समय लगता है, उन पर ध्यान दिया गया, लेकिन उनको पूरा करने के निर्धारित समय में यातायात की मांग के अनुरूप समंजन किया गया। तीसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों में चल स्टाक प्राप्त करने के कार्यक्रम की भी ब्योरेवार समीक्षा की गयी और फलस्वरूप उसमें कटौती की गयी। अब अनुमान है कि जब रेलें चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करेंगी, तो चल-स्टाक के रूप में माल यातायात की परिवहन क्षमता आमतौर पर मांग की तुलना में कुछ अधिक रहेगीं। कोयला धुलाई कारखानों के लिए कच्चा कोयला, इस्पात कारखानों के लिये धुला कोयला और दूसरे कच्चे माल और विशाखपत्तणम तथा मद्रास के बन्दरगाहों से निर्यात के लिए लोह अयस्क जैसे निर्दिष्ट यातायात के लिए मांग की अपेक्षा रेल परिवहन की उपलब्धता कुछ और अधिक होगी।

दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में प्रारम्भिक माल यातायात कुल 1562 लाख मीटरिक टन हुआ था। यातायात के हाल के रुख को देखते हुए 1965-66 में कुल 2040 लाख मीटरिक टन या इससे कुछ अधिक प्रारंभिक माल यातायात की आशा की जाती है। तीसरी योजना के दौरान मीटरिक किलोमीटर के हिसाब से कुल प्रारंभिक यातायात 880000 लाख से बढ़ कर 1140000 लाख हो गया। तीसरी योजना के अन्त तक योजनाबद्ध विकास के कुल 15 वर्षों में भाड़ा यातायात दुगने से भी अधिक बढ़ गया है और प्रारम्भिक टन यातायात में लगभग 120 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मीटरिक टन किलोमीटर यातायात की मात्रा का अधिक अच्छा सूचक है। इसके हिसाब से प्रारम्भिक माल यातायात में यह वृद्धि लगभग 160 प्रतिशत रही।

यद्यपि वर्तमान संकेतों से ऐसा लगता है कि तीसरी योजना के अन्त तक कुल भाड़ा यातायात का जो पूर्वानुमान कुछ समय पहले लगाया गया था, उसकी तुलना में यातायात कुछ कम होगा, फिर भी सीमित साधनों के अंतर्गत मार्ग और टर्मिनल सम्बन्धी क्षमता के अनिवार्य काम अग्रता के आधार पर किये जा रहे हैं ताकि चौथी योजना के शुरू में यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए पर्याप्त किन्तु उत्तरोत्तर अधिक रेल परिवहन क्षमता सुनिश्चित की जा सके।

योजना परिव्यय और रेलवे का अपना अंशदान

बढ़ती हुई लागतों की तुलना में योजना का खर्च

9. 1963 में मध्यावधि समीक्षा के समय रेलवे योजना के लिए 1582 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया था। रेलों ने पहले चार वर्षों में 1,322 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और पांचवे वर्ष के लिए बजट में 355 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। इस तरह योजना पर कुल परिव्यय 1677 करोड़ अर्थात् 6 प्रतिशत अधिक है। पुरी योजना अवधि में निर्माण और उत्पादन के बुनियादी सामान जसे सीमेंट, इस्पात और अलौह धातुओं की कीमत में लगातार वृद्धि हुई है। सीमाकर, उत्पादन कर जैसे करों और मजदूरों के वतन में भी इसी तरह वृद्धि हुई है। यदि योजना के कार्यक्रम में युक्तिसम्मत परिवर्तन न किया जाता और योजना के अन्तिम वर्षों में रेल परिवहन की मांग में धीमी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चल-स्टाक की खरीद में पर्याप्त कटौती न की जाती, तो मध्यावधि समीक्षा के समय निर्धारित परिव्यय की तुलना में योजना पर आने वाला खर्च 6 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया होता।

[श्री स० का० पाटील]

विदेशी मुद्रा

यद्यपि दूसरी योजना की तुलना में तीसरी योजना स्थूलतः अधिक बड़ी है, फिर भी यह आशा की जाती है कि दूसरी योजना के 320 करोड़ रुपये की तुलना में तीसरी योजना में विदेशी मुद्रा का खर्च केवल 245 करोड़ रुपये होगा। विदेशी मुद्रा के खर्च में कमी का मुख्य कारण यह है कि रेलवे उपस्कर और सामान को देश में बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

रेलवे उपस्कर में आत्म-निर्भरता

तीसरी योजना में माल-डिब्बों और सवारी-डिब्बों के निर्माण तथा यांत्रिक सिगनल उपस्करों में रेलें पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर हो गयी हैं। इसके अलावा डीज़ल और बिजली रेल-इंजनों के उत्पादन की भी नींव डाल दी गयी है। आशा है चौथी योजना में हम मीटर लाइन के कुछ डीज़ल रेल इंजनों को छोड़ कर चल-स्टाक सम्बन्धी अपनी सारी आवश्यकताओं को देश में ही पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ वर्षों तक पुर्जों का आयात जारी रहेगा। रेल पथ के सभी सामान अब देश में ही तैयार किये जा रहे हैं। इस समय माल डिब्बों के निर्माण में हम अंशतः विदेशी इस्पात पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब राउरकेला इस्पात कारखाने का उत्पादन बढ़ जायेगा और बोकारो में नया कारखाना स्थापित हो जायेगा और अधिक मात्रा में चपटा इस्पात मिलने लगेगा, तो इस्पात का आयात यदि पूरी तरह बंद न भी किया जा सका, तो बहुत कम कर दिया जायेगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में रेलों के लिए पहिये और धुरे बनाने की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।

योजना में रेलों का अंशदान

पूंजी परिव्यय कुछ अधिक होने के बावजूद तीसरी योजना के साधनों में रेलों ने महत्वपूर्ण अंशदान किया है। यह अंशदान आरम्भ में निर्धारित समानुपात से भी अधिक और रेलवे योजना के परिव्यय के एक तिहाई से ऊपर है। रेलवे का कुल अंशदान लगभग 638 करोड़ रुपये का होगा। इसमें राजस्व लेखे में प्रभृत चालू लाइन के काम, बदलाव, रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं, कर्मचारियों के लिए मकान और सुविधाओं पर होने वाले खर्च और विभिन्न रेलवे निधियों में जमा की जाने वाली रकम शामिल है। इसके अतिरिक्त रेलों ने ब्याजदेय पूंजी पर सामान्य राजस्व को वर्धमान प्रतिशत दर पर लाभांश दिया है और वास्तव में रेलें इस बात पर गर्व कर सकती हैं कि राज्यों के लिए 12.5 करोड़ रुपये के भुगतान के अतिरिक्त वे अपनी आमदनी में से इस वर्ष 104 करोड़ रुपये का लाभांश दे रही हैं जब कि केवल 5 साल पहले इस मद में वे 56 करोड़ रुपये देती थीं।

वास्तविक उपलब्धियां

नयी लाइनें

10. तीसरी योजना में नयी लाइनें मुख्यतः औद्योगिक, खनिज और बड़े पैमाने पर प्रमुख बन्दरगाहों के विकास की आवश्यकताओं या रक्षा सम्बन्धी निर्दिष्ट उद्देश्यों को पुरा करने के लिए बनायी जा रही हैं। यहां तक कि जिन परियोजनाओं का कार्यक्रम पहले निर्धारित किया जा चुका था, सीमित साधनों के कारण उनमें भी परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन ऐसा करते समय राष्ट्रीय रक्षा की आवश्यकताओं और बुनियादी खनिज तथा औद्योगिक योजनाओं की यातायात सम्बन्धी मांग का पूरा ध्यान रखा गया है। चालू योजना के शुरू में जो लाइनें बनायी जा रही थीं, उन्हें मिलाकर कुल 2,200 किलोमिटर लाइनों का निर्माण पूरा किया गया है जबकि आरम्भ में 2,600 किलोमिटर नयी लाइनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इन महत्वपूर्ण नयी लाइनों में से कुछ लाइनें औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं के लिए बनायी गयी हैं और वे इस प्रकार हैं——रार्बट्सगंज-गढ़वा रोड और बाउरीडांड-करौजी लाइनें कोयला यातायात के लिए और सम्बलपुर-टिटिलागढ़, बिमलगढ़-किरबुरु तथा हटियानवगांव लाइनें लोह अयस्क यातायात के लिए। इस अवधि में रंगापाड़ा नार्थ से मुर्कांगसेलक, सिलीगुड़ी से जोगीघोपा और माधोपुर से कठुआ तक की नयी लाइनों का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। ये लाइनें

सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशाखपत्तणम् बन्दरगाह से लोह अयस्क के निर्यात के लिए बेला-डिल्लाकोट्टवलासा लाइन भी लगभग बन कर तैयार हो चुकी है और खानों के चालू होते ही यह लाइन यातायात के लिए खोल दी जायेगी।

इस समय जो नयी लाइनें बनायी जा रही हैं, उनमें से महत्वपूर्ण लाइनों के नाम इस प्रकार हैं—ओबरा-सिंगरौली, कटनी-सिंगरौली, बेंगलूरु-सेलम, मंगलूर-हसन, हल्दिया बन्दरगाह तक रेल सम्पर्क, झुंड से कांडला बन्दरगाह तक बड़ी लाइन और गुना-मक्सी लाइन। इन लाइनों के कार्यक्रम में इस प्रकार से परिवर्तन किया गया है कि प्रधानतः यातायात की जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से ये लाइनें बनायी जा रही हैं, उनके लिए वे समय पर तैयार हो जाये।

औद्योगिक, खनिज और बन्दरगाहों के विकास की सम्भावित भावी परियोजनाओं का ब्यौरा तैयार करने के लिए अग्रिम अध्ययन के रूप में रेलों ने कई परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया है या कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर दांतेवाड़ा से भद्राचलम रोड तक सम्भावित नयी लाइन के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण का क्षेत्र-कार्य अभी हाल में पूरा किया गया है। मिरज-लोंडा-गोआ-हासपेट मीटर लाइन खण्डों और मिरज-कोल्हापुर तथा अलनावेर-डंडेली शाखा लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कर लिया गया है और इनके लिए आवश्यक परिव्यय की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दण्डकारण्य क्षेत्र में दांतेवाड़ा से ढल्ली राजहरा अम्बागुडा से लांजीगढ़ रोड और भद्राचलम रोड से कोव्वूर तक नयी लाइनें बनाने के लिए साध्यता एवं लागत सम्बन्धी अध्ययन किये जा रहे हैं। बांसपानी क्षेत्र से पारादीप के नये बन्दरगाह तक लाइन के मार्ग का सर्वेक्षण किया गया है और इस सम्बन्ध में कुछ वैकल्पिक मार्गों की भी जांच की जा रही है।

दोहरी लाइन बिछाने का काम

3,150 किलोमिटर में दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाने की आशा है और 1450 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाने का काम जारी रहेगा जिसमें खड़गपुर से वाल्टेर तक पूर्वी तट की लाइन भी शामिल है।

बड़ी लाइन में परिवर्त्तन

विजयवाड़ा के रास्ते उत्तर-दक्षिण के भारी यातायात के लिए गुडिवाडा भीमावरम ओर भीमवरम–मचिलीपट्टणम् मीटर लाइन खण्डों को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है। पूना-मिरज खण्ड को भी बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। इस खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का लक्ष्य यह है कि मुख्य रूप से क्षेत्र में कोयना परियोजना के पूरा होने के कारण यातायात में जो वृद्धि हुई है, उसे पर्याप्त रूप से सम्हाला जा सके। यह बड़ी लाइन सतारा शहर को भी मिलायेगी।

डीज़ल और बिजली कर्षण

जिन लाइनों पर गाड़ियों की अधिक भीड़-भाड़ रहती है, उन पर डीज़ल और बिजली गाड़ी चलाने से रेलों को भारी यातायात सम्हालने में सहायता मिली है। इस दिशा में लगातार प्रगति हो रही है। शुरू में 2,500 मार्ग किलोमीटर से अधिक लम्बी लाइनों पर बिजली गाड़ी चलाने का कार्यक्रम बनाया गया था। इसमें से चालू वर्ष के अन्त तक लगभग 1,700 मार्ग किलोमीटर पर ए० सी० बिजली गाड़ियां चलने लगेंगी। 68 मार्ग किलोमीटर डी० सी० बिजली खण्ड पर ए० सी० बिजली लगाने का पहला चरण भी पूरा हो गया है। इस योजना के अन्त तक बड़ी लाइन के लगभग 374 और मीटर लाइन के 22 बिजली रेल इंजन चलने लगेंगे। ज्यों-ज्यों अधिक डीज़ल रेल इंजन मिल रहे हैं, डीज़ल-कर्षण का क्रमशः विस्तार किया जा रहा है। तीसरी योजना के अन्त में बड़ी लाइन के 6,000 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर 465 डीज़ल रेल इंजन और मीटर लाइन के 2,000 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर 167 डीज़ल रेल इंजन चलने लगेंगे। बिजली और डीज़ल रेल इंजनों द्वारा ढोये गये माल का समानुपात भी 1960-61 के लभगभ 10 प्रतिशत से बढ़ कर लगभग 45 प्रतिशत हो जायेगा।

[श्री स० का० पाटील]

सिगनल प्रणाली का आधुनिकीकरण

सिगनल और गाड़ी नियंत्रण प्रणाली के ओवरहालिंग, सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में बहुत कुछ काम किया गया है। गोरखपुर-छपरा खंड पर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली चालू कर दी गयी है और बंगाईगांव-चंगसारी मार्ग पर यह प्रणाली संस्थापित की जा रही है। भिलाई, बोण्डामुण्डा, टाटानगर, वाल्टेर, निमपुरा और भुसावल में यार्डों का यांत्रिकीकरण किया जा रहा है। मुग़लसराय और अण्डाल में कुछ समय पहले यार्डों का यांत्रिकीकरण किया जा चुका है। स्टेशनों पर एक साथ बहुत सी गाड़ियों को पुश बटन प्रणाली के आधार पर सम्हालने के लिए रूट रिले इन्टरलाकिंग व्यवस्था मद्रास सेण्ट्रल, ताम्बरम, चर्चगेट और कुर्ला स्टेशनों पर चालू है। इसके बाद अब हवड़ा और अहमदाबाद स्टेशनों पर यह प्रणाली शुरू की जायेगी। राजखरसवां-सीनी खण्ड पर स्वचल सिगनल-प्रणाली की व्यवस्था की गयी है।

पुल

ब्रम्हपुत्र पुल निर्धारित समय से पहले बन कर तैयार हो गया। इस पुल के बन जाने से हमारे पूर्वी क्षेत्र की परिवहन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थायी कड़ी उपलब्ध हो गयी है विजयवाड़ा से दक्षिण की ओर जाने वाले यातायात के लिए रेल क्षमता बढ़ाने के उद्द्श्य से कृष्णा नदी पर विजयवाडा के पास एक दूसरा पुल बनाया गया है। इस समय जो महत्वपूर्ण पुल बनाये जा रहे हैं, उनमें राजमुन्दरी के पास गोदावरी पर दूसरा पुल, पूर्वी तट की लाइन पर महानदी पर पुल और दिल्ली के पास जमुना पर दूसरा पुल शामिल हैं।

रेल-पथ का नवीकरण

रेल पथ के बदलाव कार्यक्रम में नवीकरण सम्बन्धी दूसरे कामों के अलावा 12,000 किलोमीटर पटरीयों और 11,600 किलोमीटर स्लीपरों का नवीकरण किया गया है। विदेशों से मंगायी गयी पटरियों और रेल पथ के दूसरे सामान का समानुपात तीसरी योजना में बहुत कम हो गया है और इस प्रकार के सामान में अब हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। देश में लकड़ी और धातु के स्लीपर बनाये जा रहे हैं। स्लीपरों के देशी उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए कांक्रीट के स्लीपर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

चल-स्टाक

तीसरी योजना में रेलों के चल-स्टाक में 1,275 रेल इंजन, लगभग 5,600 सवारी डिब्बे तथा 117,000 माल डिब्बे बढ़ाये गये।

रेल अभिसमय, 1965

11. सदन ने पिछले दिसम्बर में रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करके उन्हें स्वीकार किया था। ये सिफारिश अब पहली अप्रैल, 1966 से लागू की जायेंगी।

मूल्य-ह्रास

माननीय सदस्य जानते होंगे कि मल्य ह्रास के लिए तीसरी योजना के 380 करोड़ रुपये को बढ़ा कर यदि संभव हो तो, चौथी योजना में 650 करोड़ रुपये करना है, अर्थात् तीसरी योजना की अपेक्षा चौथी योजना में मूल्य ह्रास के लिए प्रायः दूनी व्यवस्था करनी है।

लाभांश

लाभांश की दरों में प्रचुर वृद्धि करनी है—31 मार्च, 1964 तक दी गयी पूंजी पर 5.5 प्रतिशत की दर से और उसके बाद दी गयी सभी पूंजी पर 6 प्रतिशत की दर से लाभांश देना है। लाभांश की दर में केवल सबसे बाद के परिवर्तन के कारण इस मद में रेलों की दायिता 1966-67 में लगभग 7 करोड़ रुपये बढ़ जायेगी। इसका अधिकांश लाभ राज्य सरकारों को होगा जो 1965-66 में 12.5 करोड़ रुपये की तुलना में चौथी योजना में हर वर्ष औसतन लगभग 18 करोड़ रुपये पायेंगे।

रेलवे पर लगी हुई पूंजी पर ऋण-परिशोधन आरम्भ करना है। यह परिशोधन अति पूंजीकरण के अंश से आरम्भ किया जायेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना

चौथी योजना का आकार और यातायात का पूर्वानुमान

12. इस वर्ष के उत्तरार्ध से पहले देश की चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप से तैयार होने और स्वीकृत किये जाने की संभावना नहीं है और रेलों के लिए अन्तिम रूप से रकम अभी निर्धारित नहीं की गयी है। संकेत यह है कि विस्तार कार्यक्रम के लिए संभवत: उतना ही पूंजीगत परिव्यय निर्धारित किया जायेगा जितना कि तीसरी योजना में निर्धारित किया गया था, यद्यपि चालू योजना में परिवहन क्षमता में अनुमत विस्तार की अपेक्षा यातायात, विशषरूप से माल यातायात में प्रत्याशित वृद्धि बहुत अधिक है। 1970-71 में 3,200 लाख मीटरिक टन प्रारंभिक माल यातायात के ढोये जाने की आशा है। यह अनुमान अर्थ-व्यवस्था के प्रत्याशित विकास, विशेषरूप से उन क्षेत्रों के विकास के आधार पर लगाया गया है जो रेल परिवहन की अधिकतम मांग करते ह, जैसे लोहा और इस्पात, कोयला और सीमेंट उद्योग, निर्यात के लिए लोह अयस्क, खनन, पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक, अनाज और अन्य सामान जो आम तौर पर पूरे माल डिब्बों या पूरी गाड़ियों में ढोये जाते हैं।

चालू वर्ष में परिवहन कार्य और 1966-67 की सम्भावनाएं

13. जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, 1965-66 के लिए विगत वर्ष प्रारंभिक माल यातायात में कुल 100 लाख मीटरिक टन वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया था। यद्यपि हाल के हफ्तों में, विशेष रूप से कोयले के यातायात में, चढ़ाव-उतार हुआ है, फिर भी यातायात में वृद्धि का यह पूर्वानुमान बहुत कुछ पूरा हो जाने की आशा है।

रेल क्षमता में वृद्धि

रेलों के प्रमुख मार्गों पर परिवहन-क्षमता के विस्तार के फलस्वरूप पिछले बारह महीनों में स्थिर लाभ के प्रमाण मिले हैं। असम जाने वाले मार्ग में जो प्रगति हुई है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गंगानदी पर फरक्का और खजुरियाघाट के बीच माल डिब्बों की 'फेरी' क्षमता में सामयिक वृद्धि, सिलीगुड़ी से बंगाईगांव तक नयी बड़ी लाइन के निर्माण कार्य का रिकार्ड समय में पूरा होना और बंगाईगांव में नये यानान्तरण शेड की व्यवस्था—ये सब मिलकर एक बार फिर अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। यद्यपि विगत सितम्बर में कलकत्ता से नदी का सारा रास्ता अचानक बन्द हो गया था, फिर भी ऊपर बताये गये उपायों और बंगाईगांव-जोगीघोपा धुरी पर रेल, सड़क और नदी परिवहन में कारगर तालमेल के कारण असम को जाने वाले और वहां से आने वाले माल का यातायात अबाधगति से होता रहा। एक दूसरे कठिन और महत्वपूर्ण मार्ग, अर्थात् वाल्टेर होकर विजयवाड़ा जाने वाले पूर्वी तट के मार्ग, पर माल यातायात में 15 प्रतिशत सुधार हुआ। ज्यों ज्यों इस मार्ग के अन्य भाग, जिन पर दोहरी लाइन बिछायी जा रही है, खोले जायेंगे और वाल्टेर और विजयवाडा के यार्डों में विस्तार कार्य पूरा हो जायेगा, तो इस मार्ग की क्षमता और बढ़ जायगी !

अनाज

विदेशों से मंगाये गये और देशी अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता रहा और परिवहन प्रणाली के प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने में रेलों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। मई 1965 में बन्दरगाहों से अनाज की निकासी का एक रिकार्ड कायम किया गया।

9—18 Lok Sabha/66

[श्री स० का० पाटील]

सवारी गाड़ियां

14. विगत वर्ष सवारी गाड़ियों की व्यवस्था में जो सुधार आरम्भ किये गये थे, उन्हें इस वर्ष और सुदृढ़ किया गया। अहमदाबाद और बीरमगाम तथा मेहसाना और ओखा के बीच दो नयी जनता गाड़ियों के अतिरिक्त 83 नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं—49 बड़ी लाइन पर और 34 मीटर लाइन पर। वर्तमान 44 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढाया गया है—14 बड़ी लाइन पर और 30 मीटर लाइन पर। उपनगरी यातायात के लिए 24 नयी गाड़ियां चलायी गयीं और वर्तमान 13 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढाया गया। जो नयी गाड़ियां चलायी गयीं और जिनका चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया, उनसे सवारी गाड़ियों के परिचालन में प्रतिदिन करीब 17,000 गाड़ी किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

तेज़ रफ्तार और अधिक स्थान

माननीय सदस्य जानते हैं कि सवारी गाड़ियों में अधिक स्थान की व्यवस्था करने और डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों को तेज़ करने के प्रश्न पर रेल प्रशासन ध्यान दे रहे हैं। अक्तूबर, 1965 से जो समय सारणी लागू की गयी है, उसमें 185 गाड़ियों के सफर में लगने वाले कुल समय को कम किया गया है। जब तक हमें अपने कारखानों से अधिक बिजली और डीज़ल रेल इंजन नहीं मिलते, तब तक बहुत बड़े पैमाने पर सवारी गाड़ियों को बिजली और डीज़ल इंजन से चलाना संभव न होगा। लेकिन इस दिशा में बहुत छोटे पैमाने पर काम आरम्भ कर दिया गया है। मद्रास-हवड़ा डाक गाड़ी अब दोनों और डीज़ल इंजन से चलायी जाती हैं। इसकी वजह से इसमें तीन से लेकर चार अतिरिक्त डिब्बे लगाये जाते हैं और इसके सफ़र का समय एक दिशा में 4 घंटे से अधिक और दूसरी दिशा में 3 घंटे से अधिक कम हो गया है। हवड़ा-दिल्ली डाक गाड़ी में हवड़ा और मुग़लसराय के बीच अब दो और बोगियां लगायी जाती हैं। हवड़ा और आसनसोल के बीच यह गाड़ी डीज़ल-इंजनों से तथा आसनसोल और मुग़लसराय के बीच बिजली रेल इंजनों से चलायी जाती है। इस प्रकार इन लोकप्रिय गाड़ियों की वहन-क्षमता बहुत बढ़ गयी है और इनके परिचालन में सुधार हुआ है।

1966-67 में माल यातायात की संभावनाएं

15. 1966-67 के प्रत्याशित रेल यातायात के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि प्रारम्भिक भाड़ा यातायात में 1965-66 के प्रत्याशित 2,040 लाख मीटरिक टन की तुलना में इस वर्ष सम्भवतः 120 लाख मीटरिक टन तक की वृद्धि होगी। चालू वर्ष की तरह यह वृद्धि अधिकांश इस्पात कारखानों से सम्बन्धित यातायात, दूसरे उपयोगकर्ताओं के लिए कोयला, निर्यात अयस्क और सीमेंट के यातायात में होगी। बन्दरगाहों से माल की शीघ्र निकासी और अल्प सूचना पर प्रादेशिक असन्तुलन को ठीक करने में रेल परिवहन एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए पर्याप्त क्षमता जुटा कर, विशेषरूप से पर्याप्त चल-स्टाक की व्यवस्था कर के माल की शीघ्र निकासी के लिए रेलों को तैयार रहना पड़ता है। अगले वर्ष विदेशों से अधिक अनाज मंगाया जायेगा, इसलिए अनाज के यातायात में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, यद्यपि देश में उत्पन्न अनाज की कुछ कम सम्भावित उपज से यातायात में यह वृद्धि कुछ सन्तुलित हो जायेगी। पेट्रोलियम पदार्थों सहित दूसरे आम माल के यातायात की मांग भी लगभग 10 लाख मीटरिक टन बढ़ जाने की आशा है।

1966-67 का बजट अनुमान

यातायात से क़ुल प्राप्ति, 1966—67

16. ऊपर माल यातायात में सम्भावित वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है, उसको ध्यान में रखकर और इस बात को देखते हुए कि यातायात में अधिकतर वृद्धि निर्यात के लिए लोह अयस्क, कोयले, इस्पात कारखानों को भेजे जाने वाले कच्चे माल, अनाज जैसी कम दर वाली वस्तुओं के यातायात में होगी, 1966-67 में माल यातायात से 488 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया गया है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में माल यातायात से 462 करोड़ रुपये की आमदनी

का अन्दाज़ा है। यातायात में वृद्धि के वर्तमान रुख और अन्य सम्बन्धित पहलुओं को देखते हुए अन्य कोचिंग और फुटकर मद की आमदनी में 1.70 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। चालू वर्ष में यात्री यातायात की वृद्धि में कुछ रुकावट देखी गयी है और इस वर्ष खेती की उपज और कृषि आय में गम्भीर गिरावट के आसार को देखते हुए यात्री यातायात में स्थिरता की प्रवृत्ति और दृढ होने की सम्भावना है। फिर भी इस आशा के आधार पर कि बजट वर्ष समाप्त होने से पहले स्थिति सम्भवत: सुधर जायेगी, आगामी वर्ष में यात्री यातायात से प्राप्ति का अनुमान 227.20 करोड़ रुपये रखा गया है जबकि चालू वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 220.50 करोड़ है।

खर्च

17. कुल मिलाकर अनुमान यह है कि यातायात से कुल प्राप्ति 741.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 777.23 करोड़ रुपये हो जायगी। सामान्यत: इस अतिरिक्त राजस्व से अतिरिक्त यातायात पर आने वाली लागत, अतिरिक्त मूल्यह्रास और अतिरिक्त पूंजी पर देय अधिक लाभांश का खर्च पूरा किया जाना है और उसके बाद यदि कुछ बच रहे, तो उसी को बचत माना जा सकता है। आमतौर पर यदि संचालन-व्यय और परिचालन अनुपात स्थिर रहें, तो राजस्व में इतनी वृद्धि अतिरिक्त मूल्यन्ह्रास और लाभांश के खर्च के लिए प्राय: पर्याप्त होती, यद्यपि अभिसमय समिति की सिफारिश के अनुसार इस वर्ष की अपेक्षा 1966-67 में मूल्यह्रास के लिए 15 करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ और बातों को ध्यान में रखना है। जैसा कि अभिसमय समिति ने भी स्वीकार किया है, चौथी योजना में लाभांश की दर बढ़ाने की उसकी (समिति की) सिफारिश के फलस्वरूप 1965-66 की दर पर दिये जाने वाले लाभांश की तुलना में रेलों को 1966-67 में लगभग 7 करोड़ रुपये अधिक देने होंगे। बजट के बाद 1965-66 के दौरान एक-एक कर के लागत में जो वृद्धि हुई, (जैसे कोयले की कीमत में उत्तरोत्तर वृद्धि, डीज़ल तेल पर अतिरिक्त शुल्क या अधिक उदार मकान भाड़ा भत्ता आदि) वह अब 1966-67 में पूरे वर्ष लागू रहेगी और उस हद तक स्थिति और बिगड़ जायेगी। इनके अलावा महंगाइ भत्ते में और वृद्धि करने का जो विनिश्चय इसी महीने किया गया है, केवल उस से आगामी वर्ष का साधारण संचालनव्यय लगभग 10.5 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा। इन परिस्थितियों में ऊपर बतायी गयी महत्वपूर्ण मदों के खर्च को सन्तुलित करने के उद्देश्य मात्र से कम से कम लगभग 18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना अपरिहार्य हो गया है, यद्यपि इतनी अतिरिक्त रकम मिलने पर भी इस वर्ष प्रत्याशित बचत फिर भी कम रहेगी। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष कहा था, वर्तमान भाड़ा-दरों और यात्री किरायों को ऐसे स्तर पर निर्धारित नहीं किया गया है कि उनसे नयी वचनबद्धताओं अथवा लागतों में आगे वृद्धि का खर्च निकलता रहे। लेकिन जब रेलों की वित्तीय स्थिति को सुदढ़ रखने के लिए भाड़े की दरों में समंजन करना अनिवार्य हो गया है. तो भी जो समंजन किया जा रहा है. वह न्यूनतम है।

भाड़ादरों के ढांचे में परिवर्तन

सीजन टिकट

18. अब मैं अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं होगी। वास्तव में सीजन टिकट के प्रभारों में थोड़ी कमी करने का विनिश्चय किया गया है। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता नगरों के आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर सीज़न टिकट के प्रभारों में यह कमी सभी क्षेत्रों में 20 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर लागू होगी। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता क्षेत्रों में सीज़न टिकटों का किराया कम है और उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

भाड़ा अधिभार—कोयला और नमक—अन्य समंजन

प्रमुख प्रस्तावित परिवर्तन यह है कि मालभाड़ों पर सामान्यत: 3 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाये। केवल निर्यात लोह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क और वे वस्तुएं इस अधिभार से मुक्त रहेंगी जिन पर इस समय भी सब से उंची माल दरों पर भाड़ा लिया जाता है और जो 100-बी वर्ग से ऊपर के वर्ग में हैं। रक्षा, डाक और तार तथा रेलवे के अपने सामान इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होंगे. क्योंकि उनके लिए विशेष नियम हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि पर साल माल भाड़ की सब दरें आमतौर पर नहीं बढ़ायी गयी थीं और भाड़े में उर्ध्वगामी समंजन केवल कुछ वस्तुओं तक सीमित

[श्री स० का० पाटील]

रखा गया था जो भारी मात्रा में भेजी जाती हैं और अपेक्षाकृत कम दर पर ढोयी जाती हैं। पिछले वर्ष भाड़े में जो समंजन किये गये थे, उनम (i) कोयला और कोक तथा (ii) नमक बिल्कुल अछूते छोड़ दिये गये थे। इस वर्ष इन वस्तुओं पर विचार करना आवश्यक है यद्यपि बुनियादी शुल्क-दर में व्यापक संशोधन करने का विचार नहीं है। स्थिति यह है कि वर्तमान 'टेलिस्कोपिक' दरों में अत्यधिक 'टेपर' के कारण भारी मात्रा में इन वस्तुओं को दूर-दूर जगहों में ले जाने में परिवहन का पूरा खर्च नहीं निकलता है। इसलिए 800 किलोमीटर तक कोयले, कोक और नमक की ढुलाई के लिए वुनियादी शुल्क-दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, लेकिन 800 किलोमीटर से ऊपर वर्तमान 'टेपर' को कम करके इन वस्तुओं के भाड़े में थोड़ी वृद्धि करने का विचार है। इस समंजन से कोयले की वर्तमान भाड़ा-दरों में अधिकतम दूरी के लिए अधिक से अधिक वृद्धि प्रति मीटरिक टन 4 रुपये होगी और 1,860 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लागू होगी। नमक के भाड़े में किसी भी दूरी के लिए अधिकतम वृद्धि प्रति मीटरिक टन 3.50 रुपये होगी। 3 प्रतिशत अधिभार जोड़ने के बाद भी 1,000 किलोमीटर पर प्रति किलोग्राम नमक के भाड़े में केवल 0.18 पसा की वृद्धि होगी और 2,000 किलोमीटर पर भी यह वृद्धि प्रति किलोग्राम 0.53 पैसा मात्र, अर्थात् करीब आधा पैसा होगी। रेल से जो नमक भजा जाता है, उसका प्रायः आधा और कोयले का लगभग 58 प्रतिशत यातायात 800 किलोमीटर या इससे कम दूरी के लिए होता है और संशोधित वर्गीकरण का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 प्रतिशत सामान्य अधिभार और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप लगभग 18.10 करोड़ रुपये की आमदनी होने की आशा है। इसके अलावा कुछ और परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है जिनसे रेल भाड़े की दरें, लागतों के अधिक निकट आ जायेंगी। इन परिवर्तनों से कुछ हालतों में लाभ और कुछ में घाटा होगा और अन्तमें रेलवे राजस्व पर कोइ असर नहीं पड़ेगा। आम इस्तेमाल की बहुतसी वस्तुओं के भाड़े में कमी की जायेगी। यह कमी चीनी, चाय, बिस्कुट, दवाएं, हाइड्रोजनीकृत तेल सहित उपभोक्ता माल की कुछ उन मदों में की जायेगी जिन पर रेल भाड़ कीव र्तमान दरें बहुत ऊंची हैं और जिनमें कमी करने की गुंजाइश है। शुल्क-दर में यह संशोधन पूरे माल डिब्बों में जाने वाले और फुटकर दोनों तरह के परेषणों पर लागू होगा। इसके फलस्वरूप 1964 वर्तमान दरों में अधोगामी समंजन का वह सिलसिला कुछ और आगे बढ़ेगा, जिसकी शुरूआत कुछ में की गयी थी। दूसरी ओर, इस समय बहुत छोटे माल-परेषणों पर 20 मीटरिक प्रतिशत का जो अधिभार लिया जाता है, वह 'बी' वर्ग के अन्तर्गत एक टन से कम और बहुत नीची दरों वाले वर्तमान 'ए' वर्ग के अन्तर्गत 5 मीटरिक से कम के सभी परेषणों पर लागू किया जायेगा। यह समंजन आवश्यक है क्योंकि इस तरह के छोट परेषणों की ढुलाई का खर्च पूरा नहीं हो पाता और पूरे माल डिब्बे और फुटकर माल की दरों में इस समय जो अन्तर है, उससे यह घाटा पूरा नहीं होता।

अतिरिक्त राजस्व और बचत

19. अनुमान है कि भाडे की दरों में प्रस्ताविक सभी समंजनों से कुल 18.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अनिवार्य लाभांश देने के बाद 22.19 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, पिछले कई वर्षों की परिपाटी के अनुसार बचत की कुल रकम विकास निधि में डाली जाती है। तीसरी योजना में विकास निधि से कुल लगभग 134 करोड़ रुपये, अथवा प्रति वर्ष औसतन 26 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया। इसमें यात्रियों और दूसरे रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, कर्मचारियों के लिए मकान, अस्पताल और स्कूल, परिचालन सम्बन्धी अलाभप्रद, किन्तु आवश्यक सुधार-कार्यों आदि पर किया गया पूंजीगत लेखे का खर्च शामिल है। अनुमान है कि चौथी योजना में इसी तरह के खर्च के लिए प्रति वर्ष औसतन 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसे केवल प्रोद्भूत बचत से पूरा किया जा सकता है। हमें औसतन इतनी बचत अर्जित करनी है। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों का पहले उल्लख किया जा चुका है, उनके कारण 1966-67 में रेलवे की बचत 22.20 करोड़ रुपये से अधिक हनेने की आशा नहीं है और इस समय तो मुझे इसी आशा को लकर संतोष करना है कि आगामी वर्षों में यातायात में वृद्धि और खर्च में किफायत के लिए जो जोरदार कोशिशें की जा रही है, उनके फलस्वरूप लागत स्थिर रहगी और बचत में वृद्धि होगी।

निर्माण व्यय, 1966-67

20. सीमित साधनों के कारण पूंजी-निवेश कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करना और पूंजीगत खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित करना (जो कुछ मामलों में चालू वर्ष के लिए निर्धारित खर्च से भी कम है) सरकार के लिए आवश्यक हो गया है। जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, मूल्यह्रास आरक्षित निधि से किये जाने वाले खर्च के अलावा बजट वर्ष में पूंजीगत खर्च का नियतन 225 करोड़ रुपये तक सीमित रखा गया है जबकि 1964-65 और 1965-66 में इस मद में क्रमश: 314.24 और 282.49 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इस कड़े प्रतिबन्ध के कारण बजट वर्ष में नये कामों के कार्यक्रम में भारी कटौती और चालू कामों के कार्यक्रम में समुचित परिवर्तन करना अपरिहार्य हो गया है।

चल-स्टॉक का निर्माण

देश में माल डिब्बों का उत्पादन और उनका निर्यात

21. हमारे देश में माल डिब्बों का उत्पादन 1950 के दर्शक के आरंभिक वर्षों में छोटे पैमाने पर शुरू हुआ था। आज चौपाहिये डिब्बों के हिसाब से प्रतिमास लगभग 2,500 से लेकर 3,000 माल डिब्बे तैयार किये जाते हैं जो हमारी वर्तमान और निकट भविष्य की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं और निर्यात के लिए भी कुछ डिब्बे उपलब्ध रहते हैं। माल डिब्बों के निर्माण की संस्थापित क्षमता अधिकांश निजी क्षेत्र में है। माल डिब्बों की उत्पादन-क्षमता में यह वृद्धि अर्थ व्यवस्था के लिए समग्र रूप से संरचना सम्बन्धी निर्माण-कार्य, वल्डिंग, इस्पाती रचना और उत्पादन लाइन असेम्बली प्रणालियों में नये कौशल और तकनीकी ज्ञान के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण अंशदान की द्योतक है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एक भारतीय निर्माता को 480 माल डिब्बों के निर्यात का आर्डर प्राप्त करने में सफलता मिली है। इन डिब्बों की कीमत 1.6 करोड़ रुपये है। आगे निर्यात के और आर्डर प्राप्त किये जाने की आशा है।

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना

22. चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना अब उत्पादन के 16 वें वर्ष में है। इस कारखाने में अब तक बड़ी लाइन के करीब 2,000 भाप रेल इंजन तयार किये जा चुके हैं। तेजी से बढ़ते हुए यातायात की कर्षण-सम्बन्धी आवश्यकताओं में परिवर्तन हो रहा है। इस संदर्भ में चित्तरंजन में कई तरह के रेल इंजन तयार करने की दिशा में पहला कदम 1961 में उठाया गया जब बड़ी लाइन 21 डी०सी० बिजली रेल इंजनों का निर्माण हाथ में लिया गया और मई, 1963 तक उन्हें पूरा कर लिया गया। उसके बाद इस कारखाने में बिजली रेल इंजनों के निर्माण के लिए क्रमिक सुविधाओं की व्यवस्था का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। शुरू में इस कार्यक्रम में प्रति वर्ष बड़ी लाइन के 72 ए० सी० युनिटों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जो अन्त में बढ़कर सम्भवत: इसका दूना हो जायगा। तीसरी योजना में इस कारखाने में कुल 803 भाप रेल इंजन और 85 बिजली रेल इंजन तयार किये जायेंगे। केवल 1965-66 मे 138 भाप रेल इंजन और 35 ए० सी० बिजली इंजन तैयार होंगे। 1966-67 मे यहां 120 भाप रेल इंजन और 75 बिजली रेल इंजन तयार किये जाने की आशा है। बैलेंसिंग मशीनरी के कुछ और सामान मिलने पर इस कारखाने मे भारी कर्षण मोटर बनाय जा सकगे जिनकी ज़रूरत बिजली रेल इंजनों में होती है। बिजली के दूसरे गियर की सप्लाई अधिकाधिक भोपाल के हेवी इलेक्ट्रिकल कारखाने द्वारा की जायेगी। जुलाई, 1965 में चित्तरंजन की नयी स्टील फाउण्डरी ने प्रतिमास 600 मीटरिक टन इस्पात के ढले सामान तयार करने की क्षमता प्राप्त कर ली। 1966 के अन्त तक यह फाउण्डरी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम करने लगेगी, अर्थात् इसमें प्रतिमास 850 मीटरिक टन ढले सामान तैयार होने लगेंगे। उस समय तक फाउण्डरी के लिए सभी आवश्यक उपस्कर मिल चुके होंगे और कारखाने में लगाये जा चुके होंगे।

डीज़ल रेल इंजन कारखाना

23. जब वाराणसी में डीज़ल रेल इंजन कारखाने की स्थापना की जा रही थी, तभी बड़ी लाइन का पहला डीज़ल रेल इंजन वहां जनवरी, 1964 में तैयार किया गया। आशा है चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले इस कारखाने में लगभग 60 रेल इंजन बना लिये जायेंगे। कारखाने में निर्माणकी

[श्री स० का० पाटील]

सुविधाएं 1966 के उत्तरार्ध में पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जायेंगी। इस समय इस कारखाने में प्रतिमास 4 रेल इंजन तयार किये जाते हैं। उत्पादन की क्षमता बढ़ायी जा रही है और निर्माण कार्य में धीरे-धीरे देशी सामान का अनुपात बढ़ रहा है। डीजल इंजन, और उसके दूसरे पुर्जों आदि के निर्माण के लिए अपेक्षित जो सामान कारखाने में नहीं बनाये जाते हैं और उन्हें खरीदना पड़ता है, उनकी उत्पादन-क्षमता का पता लगाने और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में उसके उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काफी प्रगति की गयी है।

सवारी डिब्बा कारखाना

24. सवारी डिब्बा कारखाने में उत्पादन कार्य 1955 में आरम्भ हुआ था। इसमें अब तक लगभग 4,700 सवारी डिब्बे तैयार किये जा चुके हैं। इस कारखाने की फ़िनिशिंग यूनिट करीब आठ वर्ष बाद बनायी गयी। इस यूनिट में अब तक 2,700 डिब्बों में साज-सामान लगाया गया है। कारखाने में अब कई प्रकार के डिब्बे तयार किये जा रहे हैं। बड़ी और मीटर लाइनों के सभी दर्जों के कई किस्म के सवारी डिब्बों के अतिरिक्त, यहां अब उपनगरी बिजली गाड़ी के डिब्बे भी तैयार किये जा रहे हैं जिनके बिजली उपस्कर भोपाल के हैवी इलेक्ट्रीकल कारखाने में बनाये जाते हैं। इसके अलावा इस कारखाने में हाल मे मीटर लाइन के प्रोटोटाइप डीजल रेल कारें भी बनायी गयी हैं।

सवारी डिब्बा कारखाने मे बनाये गये डिब्बों के अतिरिक्त बेंगलूर में रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के रेल कोच यूनिट और निजी क्षेत्र में भी सवारी डिब्बे तैयार किये जा रहे हैं। योजनाओं की अवधि में यातायात में जो सामान्य वृद्धि हुई है, उसकी तुलना में सवारी डिब्बों का उत्पादन अधिक तेज़ रहा है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में पुराने डिब्बे बदल दिये गये हैं और सवारी गाड़ियों में उत्तरोत्तर भीड़ कम करने की दिशा में भी बहुत उपयोगी काम किया गया है।

उपनगरी यातायात

25. 13 वर्षों के अन्तराल में रेल यात्रियों की संख्या लगभग 65 प्रतिशत बढ़ गयी है। उपनगरी यातायात, विशेषरूप से मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में यातायात की वृद्धि इस औसत वृद्धि से कहीं अधिक रही। उपनगरी यातायात अधिकांश बिजली रेल गाडियों में ढोया गया। बिजली गाड़ी के डिब्बों की व्यवस्था में बड़ी लाइन पर 114 प्रतिशत और मीटर लाइन पर 33.3 प्रतिशत वृद्धि की गयी। अभी मीटर लाइन के केवल एक खण्ड पर बिजली गाड़ी चलायी जा रही है जो मद्रास में है।

उत्पादकता

26. पिछले वर्ष बजट पेश करते समय मैंने कहा था कि रेल कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ सफल उपाय किये गये हैं। इस विषय पर जनशक्ति और लागत नियंत्रण, दोनों दृष्टि से बराबर ध्यान दिया जा रहा है। प्रोत्साहन योजनाएं जो अभी तक यांत्रिक मरम्मत कारखानों में सफलतापूर्वक लागू की गयी हैं, अब बिजली मरम्मत कारखानों और सिविल इंजीनियरिंग, सिगनलिंग और दूरसंचार कारखानों में भी लागू की जा रही हैं।

कार्य अध्ययन

27. उत्पादकता और कार्य कुशलता बढ़ाने तथा खर्च में अधिक से अधिक किफायत करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने रेलवे में कार्य अध्ययन तकनीक आरम्भ करने का भी विनिश्चय किया है। जहां कहीं सम्भव है, कार्य प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्तमान कार्य प्रणालियों का सक्रिय विश्लेषण किया जायेगा।

आरम्भ में प्रशिक्षित कार्य अध्ययन टोलियों द्वारा परिचालन के विभिन्न वर्गों के परिनिरीक्षण के लिए यह योजना तीन क्षेत्रीय रेलों में शुरू की जायेगी। रेलों ने भी कार्य अध्ययन में प्रशिक्षण के लिए अपने पाठ्यक्रम निर्धारित किये हैं। यह प्रशिक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों के लिए है। निर्दिष्ट अध्ययनों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने के अलावा इस योजना के माध्यम से रेल प्रबन्ध और परिचालन के प्रति कर्मचारियों में विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति जगाने की भी आशा की जाती है।

संरक्षा

28. संरक्षा के प्रति कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें अधिक अच्छे औजार देने तथा काम की दशाओं में सुधार करने के लिए जो उपाय किये गये, उनकी अनुक्रिया उत्साहवर्धक रही है। गाड़ियों के संचालन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित 50,000 से अधिक रेल कर्मचारियों ने संरक्षा शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये शिविर 'समर स्कूलों' के नमूने पर संगठित किये जाते हैं। संरक्षा अधिकारी और परामर्शदाता हर महीने औसतन लगभग 40,000 परिचालन कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित करते हैं और दिन-प्रतिदिन के काम में संरक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर उनसे विचार-विमर्श करते तथा उन्हें शिक्षित करते हैं। दुर्घटनाओं के निवारण में जो कर्मचारी विशेष सतर्कता प्रदर्शित करते हैं या संरक्षा के सम्बन्ध में जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें समुचित पुरस्कार दिया जाता है। यार्डों, स्टेशनों और मण्डलों में सबसे अच्छे काम के लिए समय-समय पर संरक्षा 'शील्ड' दिये जा रहे ह। मैंने एक अन्तर रेलवे संरक्षा 'शील्ड' भी संस्थापित किया है। जो उस रेलवे को दिया जाता है जिसका काम वर्ष में सबसे अच्छा होता है। रेलवे बोर्ड के संरक्षा निदेशालय में एक मनोविज्ञान तकनीकी कक्ष संगठित किया गया है जिसमें उन वैयक्तिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जो कर्मचारियों को दुर्घटना की ओर प्रवृत्त करती हैं। अब तक कांटेवाले, कैबिनमैन, ड्राइवर और मोटरमैन के वर्ग में इस प्रकार के अध्ययन किये गये हैं। यह जानने के लिए भी अध्ययन किया जा रहा है कि कार्य-सम्पादन पर थकान का क्या प्रभाव पड़ता है।

संरक्षा सम्बन्धी कामों के लिए आर्थिक सहायता

दिसम्बर, 1965 में सभापटल पर एक पुस्तिका रखी गयी थी जिसमें यह बताया गया था कि कुंजरू समिति की दो रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गयी है। 462 सिफारिशों में से चार को छोड़कर अन्य सभी पर निर्णय कर लिया गया था। बाकी चार सिफारिशें दूरगामी परिणाम की थीं और उनके बारे में अन्य संगठनों से परामर्श करना अपेक्षित था। तब से एक और सुझाव भी मान लिया गया है। अभिसमय समिति और संसद् ने रेल मंत्रालय का यह प्रस्ताव मान लिया है कि चौथी योजना की अवधि में रेलें सामान्य राजस्व में प्रतिवर्ष औसतन लगभग दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त अंशदान करें। यह रकम राज्य सरकारों को सहायतार्थ दी जायेगी ताकि वे संरक्षासम्बन्धी काम, जैसे चौकीदारवाले समपार और रेलवे लाइनों के ऊपर और नीचे पुल के खर्च पर अपने हिस्से की रकम के लिए आवश्यक साधन जुटा सकें।

विभागीय खान-पान व्यवस्था

29. 1963-64 में करीब 4 करोड़ रुपये की बिक्री हुई और विभागीय खान-पान व्यवस्था में पहली बार कुछ थोड़ा सा लाभ हुआ। यद्यपि 1964-65 में कुल बिक्री बढ़कर 4.45 करोड़ रुपये रही लेकिन कीमतों और लागतों में वृद्धि के कारण इस वर्ष विभागीय खान-पान में लगभग 3 लाख रुपये का घाटा हुआ जो कल बिक्री के एक प्रतिशत से भी कम है। सेवा के स्तर और भोजन की किस्म में सुधार के उद्देश्य से अच्छे किस्म के उपस्करों के अधिक उपयोग की ओर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बढ़ती हुई लागतों को रोकने का भी प्रयास जारी है।

रेलवे सुरक्षा दल

30. 1962 के बाद रेलवे सुरक्षा दल के जो विषेश आपातिक दस्ते संगठित किये थे, उन्होंने एक बार फिर अपनी उपयोगिता और कार्य-क्षमता प्रदर्शित की है। पिछले साल मद्रास और बिहार में नागरिक उपद्रवों के समय और सितम्बर की आपातिक घटनाओं के दौरान देश की पश्चिमी सीमाओं पर इन दस्तों ने रेल सम्पत्ति और भेद्य संस्थापनों की रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया। रेल सम्पत्ति को चोरी से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल ने 1965 में आत्म रक्षा के लिए माल डिब्बों के संगठित लुटेरों पर 18 अवसरों पर गोलियां चलायी। 1963-64 में रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम के अधीन गिरफ्तारियों की संख्या 3,972 थीं। 1964-65 में यह बढ़कर 5,630 हो गयी।

[श्री स० का० पाटील]

कर्मचारी

कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध

31. कर्मचारियों और प्रशासन के बीच पूरे वर्ष अच्छे सम्बन्ध कायम रहे। प्रशासन के उच्चतम स्तर पर विभिन्न समस्याओं के उत्तरदायित्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सुलझाने में स्थायी वार्ता तंत्र आमतौर पर एक उपयोगी माध्यम सिद्ध हुआ है। परिचालनिक और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त समितियां और कुछ चुने हुए कारखानों में स्थापित उत्पादन समितियां, जिनमें प्रशासन के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी रखे जाते हैं, संतोषजनक काम करती रहीं।

सुविधाएं

रेलों के पास 21 अवकाश गृह हैं, जो पहाड़ों या अन्य रमणीक स्थानों में स्थित हैं। 1965-66 में श्रीनगर में एक नया अवकाश-गृह खोला गया। 1964-65 में 2,500 से अधिक कर्मचारियों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया।

1964-65 में कर्मचारियों के लिए 14,130 मकान बनाये गये और आशा है चालू वर्ष में भी लगभग इतने और मकान बनाये जायेंगे।

शिक्षा

यद्यपि शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है फिर भी रेल प्रशासन बहुत से प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेण्डरी स्कूल चला रहे हैं और आवश्यकता तथा साध्यता के अनुसार उन्होंने शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार भी किया है। इस समय 755 रेलवे स्कूल हैं जिनमें 45 हायर सेकेण्डरी, 23 मिडिल और 687 प्राइमरी स्कूल हैं। 1964-65 में दो हायर सेकेण्डरी स्कूल और 18 प्राइमरी स्कूल खोले गये और दो मिडिल स्कूलों को बढ़ाकर हायर सेकेण्डरी स्तर का बनाया गया। बहुत से गैर-रेलवे स्कूलों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है जिनमें रेल कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। रेल कर्मचारियों के बच्चों की तकनीकी शिक्षा के लिए कर्मचारी हित निधि से छात्रवृत्ति देने के लिए 10 वर्ष पहले जो योजना आरम्भ की गयी थी, उसके अधीन प्रति वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या हाल में 1,000 से बढ़ाकर 1,142 कर दी गयी है। 1964-65 में इस योजना के अधीन दी जा रही 2,801 छात्रवृत्तियों पर करीब 11 लाख रुपये का परिव्यय आया। इनमें वे छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं जो इस वर्ष दी गयीं।

अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन

32. अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन रेलों के तकनीकी परामर्शदाता की हैसियत से कारगर ढंग पर काम कर सके, इस उद्देश्य से इस संगठन को सुदृढ़ करने की दशा में काफी प्रगति हुई है। इस संगठन की अनुसंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियों का भी विस्तार किया गया है। पिछले एक वर्ष में इसके तकनीकी संवर्ग में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। रासायनिक और धातुकर्म स्कंधों को छोड़कर जो चित्तरंजन में हैं, पूरा संगठन अब लखनऊ में केन्द्रित कर दिया गया है।

रेल पथ अनुसंधान

विकास अनुसंधान के क्षेत्र में रेल पथ के सम्बन्ध में उपयोगी काम किया गया है। यद्यपि इन अनुसंधान कार्यों के पूरा होने में अभी अधिक समय लगेगा, फिर भी उनसे उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई है जिसका भारतीय रेलें उपयोग कर रही हैं। सम्भव है यह जानकारी इस विषय पर सारे संसार के ज्ञानकोष में महत्वपूर्ण अंशदान सिद्ध हो।

उपसंहार

33. मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करूंगा। एक वर्ष पहले मैंने इस तथ्य की ओर सदन का ध्यान दिलाया था कि रेलों ने जितने अतिरिक्त यातायात की योजना बनायी, थी उस स्तर तक यातायात न पहुंचने के कारण रेलें एक कठिन अवधि से गजर रही हैं। लेकिन स्थिति अब सुधार गयी है और चालू वर्ष में यातायात में वृद्धि की सामान्य दर फिर आरम्भ हो गयी है और यातायात का स्तर बहुत कुछ हमारे पूर्वानमान के निकट है। इस बीच रेलवे के विकास-कार्यक्रम का रूप बदल कर उसकी गति में थोड़ा समंजन कर दिया गया है। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद जिनमें करों, कीमतों और वेतनों में वृद्धि भी शामिल है, यह वर्ष सामान्यतः सन्तोषजनक रहा है।

दस लाख से अधिक कर्मचारी रात-दिन काम करके रेलों का संचालन करते हैं। छोटे या बड़े किसी भी आपात में रेल प्रणाली के एक छोर से दूसरे छोर तक रेल कर्मचारियों ने बड़ा शानदार काम किया है। उनके लिए यह बड़े सन्तोष की बात है कि कर्तव्य-सीमा से परे जान तक की बाजी लगा देने की जो तत्परता उन्होंने दिखायी है, उससे राष्ट्र अनभिज्ञ नहीं है। हम आशा करते हैं कि आगामी वर्षों में अपने परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा के बल पर रेल कर्मचारी राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाओं के महत्व को और ऊंचा उठायेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक---जारी

DELHI HIGH COURT BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 9 दिसम्बर, 1965 को श्री हाथी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि दिल्ली के संघ राज-क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार तथा उनसे-संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री हाथी अपना भाषण जारी रखें।

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : विधेयक पर चर्चा के दौरान रचनात्मक सुझाव दिये गये, इसके लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। श्री कामत ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन रखा है। माननीय सदस्यों के विभिन्न सुझावों का हम आदर करते हैं। यद्यपि विधेयक हमें जटिल मालूम नहीं होता फिर भी हम संशोधन को स्वीकार करेंगे।

[**श्रीमती रेणू चक्रवर्ती पीठासीन हुई।**
SHRIMATI RENU CHAKRAVARTI *in the Chair*]

पिछली बार हुई चर्चा संविधान के अनुच्छेद 214 का उल्लेख करते हुए डा० सिंघवी ने कहा था कि अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित किये जा सकते हैं। उन्होंने अनुच्छेद 230 का उल्लेख करते हुये आगे कहा था कि इस के अन्तर्गत संघ क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है अथवा उस के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा सकता है। परन्तु उस आपत्ति का संविधान के अनुच्छेद 241 में सुझाव दिया गया है और इस अनुच्छेद के अन्तर्गत सरकार को संघ राज्य-क्षेत्र में उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार है। इसलिये डा० सिंघवी द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर संविधान के अनुच्छेद 241 में दिया हुआ है।

[श्री हाथी]

उच्च न्यायालय के दिल्ली में होने के कारण डा० सिंघवी तथा अन्य सदस्यों में आपत्ति की थी कि हिमाचल प्रदेश के निवासियों को दिल्ली आने में कठिनाई होगी । अतः ऐसी कोई बात नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के निवासियों को दिल्ली आना पड़ेगा । विधेयक के खण्ड 3(3) के अधीन न्यायाधीश मूल स्थान के अतिरिक्त दूसरे किसी स्थान अथवा स्थानों में बैठ सकते हैं । अतः यह आवश्यक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के निवासियों को दिल्ली आना पड़े । श्री चटर्जी न पंजाब की अनिश्चित स्थिति के बारे में कहा है । इस समय हम दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की चर्चा कर रहे हैं । अतः भविष्य में यदि पंजाब की सीमा में कुछ फेरबदल किया गया तो दिल्ली उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है । एक सुझाव यह भी दिया गया था कि दिल्ली के निकटवर्ती स्थानों को जैसे रोहतक और हिसार दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रखा जाये परन्तु यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता ।

श्री त्रिवेदी ने विधेयक के प्रारूप में सुधार करने को कहा है । परन्तु सच यह है कि इस विधेयक को, बम्बई पुनगठन विधयक की धारा 28 से 40 जिस के अन्तर्गत गुजरात के लिये पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है के अनुरुप बनाया गया है । वह विधेयक संसद् द्वारा पारित किया गया था । इस विधेयक का खण्ड 4 ही नया है, जोकि उस विधेयक में नहीं हैं ।

जहां तक डिवीजन बैंच आदि सम्बन्धी विधेयक के अन्य उपबन्धों का सम्बन्ध है उन पर पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश, 1947 लागू होंगे ।

विधेयक में कोई अन्य खास बातें नहीं है, परन्तु जैसा कि श्री कामत ने कहा है इस पर शांतिपूर्ण वातावरण में विचार के लिये इसे प्रवर समिति को सौंपा जायें ।

मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय का गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार तथा उनसे संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को 28 फरवरी, 1966 तक प्रतिवेदन देने के अनुदेशों के साथ 23 सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, अर्थात् :

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव, डा० मा० श्री अणे, श्री० भागवत झा आजाद, श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े, श्री स० मो० बनर्जी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री गजराज सिंह राव, श्री शिवचरण गुप्त, श्री के० हनुमन्तय्या, श्री हिम्मतसिंहजी, श्री हरि विष्णु कामत, सरदार कपूर सिंह, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री गुलजारी लाल नन्दा, श्री नवल प्रभाकर, श्री ज० ब० मुत्याल राव, श्री शाम नाथ, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री उ० मु० त्रिवेदी, श्री राम सेवक यादव और श्री जयसुखलाल हाथी ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मंत्री महोदय ने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है । परन्तु मेरे विचार में संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस के अधीन एक संघ राज्य-क्षेत्र के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दूसरे संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ाया जा सके ।

श्री हाथी : विधेयक के खण्ड 4 के द्वारा हम संविधान के उस भाग का संशोधन कर रहे हैं जिस के आधार पर संविधान में लिख "उच्च न्यायालय" शब्द के स्थान पर "संघ राज्य-क्षेत्र के लिये उच्च-न्यायालय" तथा "किसी संघ राज्य-क्षेत्र" के स्थान पर "किसी अन्य संघ राज्य-क्षेत्र" लिखा जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप संविधान का संशोधन कर रहे हैं ?

श्री हाथी : जी, हां।

श्री हरि विष्णु कामत : कैसे ?

श्री हाथी : अनुच्छेद 239 के अधीन उसी विधेयक में हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसी कारण यदि आप खण्ड 4 को देखें तो इस में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है और इसी उद्देश्य से हम अनुच्छद 217 स "राज्य का राज्यपाल" शब्द निकाल रहे हैं।

श्री हरि विष्णू कामत : संविधान का संशोधन करने के लिये एक अलग विधेयक पेश किया जाना चाहिए।

श्री हाथी : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवर समिति में इस पर भी विचार किया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र के लिये एक उच्च-न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तारण तथा उनसे संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को 28 फरवरी, 1966 तक प्रतिवेदन देने के अनुदेशों के साथ 23 सदस्यों अर्थात्:—

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव, डा० मा० श्री अणे, श्री० भागवत झा आजाद, श्री रामचन्द्र, विट्ठल बड़, श्री स० मो० बनर्जी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री गजराज सिंह राव, श्री शिव चरण गुप्त, श्री के० हनुमन्तय्या, श्री हिम्मतसिंहजी, श्री हरि विष्ण कामत, सरदार कपूर सिंह, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री गुलजारी लाल नन्दा, श्री नवल प्रभाकर, श्री ज० ब० मल्याल राव, श्री शाम नाथ, श्री विद्याचरण शुक्ल, डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, श्री उ० म० त्रिवेदी, श्री रामसेवक यादव और श्री जयसुखलाल हाथी की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

बीज विधेयक के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : SEEDS BILL

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : सभापति महोदया, श्री सं० सुब्रह्मण्यम की ओर से प्रस्ताव करता हूं, "कि इस प्रस्ताव पर 'कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये रुप में, विचार किया जाय,' वाद-विवाद, जो 18 अगस्त, 1965 को स्थगित किया गया था अब पुनः आरम्भ किया जाय।"

श्री हरि विष्णु कामत : मैं जानना चाहता हूं कि वह किस नियम के अधीन प्रस्ताव पेश कर रहे है ? मेरे विचार में प्रतिक्रिया नियमों में एसा कोई नियम नहीं है जिसके अधीन एसा प्रस्ताव पेश किया जा सके।

श्री शिन्दे : यह एक लम्बित विधेयक है और मेरे विचार में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिये किसी विशेष उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है।

श्री राने (बुलडाना) : पिछली बार जब विधेयक पर चर्चा की जा रही थी, तो लगभग सब माननीय सदस्यों ने जिन्होंने चर्चा में भाग लिया था, विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की थी। अब मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री को राजी करने में सफल हो गया हूं।

सभापति महोदय : यहां दूसरा प्रश्न है। पिछली बार एक प्रस्ताव द्वारा इस विधेयक पर बहस को स्थगित कर दिया गया था। चर्चा आरम्भ करने से पूर्व सभा द्वारा संकल्प पारित करना आवश्यक है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : विधि मंत्रालय की ओर से यदि कोई उपस्थित हों तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह आगे आ जायें। माननीय मंत्री के अतिरिक्त उनका समर्थन करने के लिये कुछ अन्य सदस्य भी होने चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : पिछली बार चर्चा नियम 109 के अन्तर्गत स्थगित की गई थी। उस नियम में यह दिया गया है :

> "सभा में चर्चाधीन विधेयक के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की सम्मति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वादविवाद स्थगित किया जाये।"

प्रक्रिया नियमों में कुछ त्रुटि है। आप कृपया नियम 30 को देखें। उपनियम (1) किसी विधेयक या संकल्प पर चर्चा स्थगित किये जाने के बारे में है। उप-नियम (2) में दिया गया है कि जब चर्चा स्थगित की जाये :

> "तो यथास्थिति, विधेयक का भारसाधक सदस्य या संकल्प का प्रस्तावक, यदि वह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत बाद के किसी दिन एसे विधेयक या संकल्प पर चर्चा जारी रखना चाहता हो, स्थगित वादविवाद को पुनः आरम्भ करने के लिये सूचना दे सकेगा ....

यह स्पष्ट उपबन्ध है। यहाँ दिया गया है कि विधेयक या संकल्प का भारसाधक सदस्य चर्चा जारी रखने के लिये सूचना देगा। किसी सरकारी विधेयक के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं है। यह मेरी समझ में नहीं आता।

सभापति महोदय : आप कृपया नियम 30 के उप-नियम (2) को देखें उसमें दिया गया है कि गर-सरकारी सदस्यों के मामले में सूचना इसलिये चाहिये कि उनकी सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकारी विधेयकों के बारे में उनकी पूर्ववर्तिता सरकार द्वारा निश्चित की जायेगी। इसलिये यह बात इस मामले में लागू नहीं होती। अब मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिय रखता हूँ। प्रश्न यह है :

> "कि इस प्रस्ताव पर कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पास किय गये रूप में, विचार किया जाये,' वाद-विवाद, जो 18 अगस्त, 1965 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

सभापति महोदय : अब चर्चा जारी होती है। क्या मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं?

बीज विधेयक—जारी

SEEDS BILLS—*Contd.*

श्री शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 11 मई, 1965 को श्री शाहनवाज़ खाँ द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार किया जाये, अर्थात् :—

"कि विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की गई थी। यह विधेयक अपनी किस्म का पहला विधेयक है। यदि इसमें कुछ त्रुटियां हुई तो उनके बारे में बाद में संशोधन किये जा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर अग्रेतर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : आपने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव नहीं किया है।

श्री शिन्दे : हम विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये राजी नहीं हैं।

सभापति महोदय : खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री चि० सुब्रह्मण्यम के नाम में विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव की सूचना है। क्या उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जायेगा?

श्री शिन्दे : यदि ऐसे प्रस्ताव की सूचना दी गई है तो मैं इससे सहमत हूं कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

सभापति महोदय : विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। चूँकि मूल विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिये आप संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त बातों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने के अनुदेशों के साथ 30 सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये अर्थात् :—

श्री आर० अच्युतन, श्री मगन्ती अंकिनीडू, श्री पुरुषोत्तम दास हरिभाई भील, श्री ब्रजराज सिंह, श्रीमती जोत्सना चन्दा, श्री नयन तारा दास, श्री मन्नू लाल द्विवेदी, श्री गजराज सिंह राव, श्री आर० मुत्तु गोंडर, श्री बादशाह गुप्त, श्री हरि विष्णु कामत, श्री किशन वीर, श्री जिया लाल मंडल, श्रीमती शशांक मंजरी, श्री मोहन नायक, श्री सरजू पाण्डेय, श्री परमशिवन्, श्री मानसिंह पृथ्वीराज पटेल, श्री देवराव शिवराव पाटिल, श्री किशन पटनायक, श्री प्रताप सिंह, श्री हु० चा० लिंग रेड्डी, श्री स० चं० सामन्त, डा० सरोजिनी महिषी, श्री अन्नासाहिब शिन्दे, श्री कु० प्रधासन, श्री शिव मूर्ति स्वामी, श्री शिव दत्त उपाध्याय, श्री माणिक्य लाल वर्मा, और श्री चि० सुब्रह्मण्यम।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir so far as the Report on this Bill is concerned I agree with that. But I do not understand whether there will be any end to the appointing of inspectors. Mahatma Gandhi had said :

"that Government is best which governs the least".

[Shri Yashpal Singh]

There is for much interference in the affairs of the farmers by the Government. Crops were not raised in the lakhs of acres of land in Rajasthan, because Government could not supply seeds. Crops were spoiled in thousands of acres of land in U.P. because the inexperienced Inspectors had asked the farmers to use fertiliser in lands where no irrigation facilities existed. The Government has not to bear the cost of maintaining this army of Inspectors. This expenditure is realised by the Government from the farmers in the form of taxes. In U.P. taxes on the farmers have been increased by 25 per cent.

The duty of the Government is to guard the frontiers of the country, make supplies of food and maintain law and order. The Government should withdraw this Bill. The country can progress only when the farmer cultivates the habit of self-reliance.

According to Government estimates 50 crore acres of land is under cultivation. But if we see this production it is only as much as should be in five crore acres of land. The reason for this is that Government does not want that the cultivators should become self-reliant. According to Government there are 40,000 tractors in the country and out of those 22,000 are lying out of order. The remaining 18,000 are not sufficient even for taking a round of is the country, the increasing of production is a far off thing.

I appreciate the intentions behind this Bill. But as is often said, "The way to hell is often paved with good intensions. What the Government is wanting is knowledge. The Government should withraw this Bill. This is farmers own affairs. The Inspectors will not pass the bills unless they will be bribed. In U.P. the Inspectors are accepting bribe for unders estimating the production of the tabacco and in this way the producers are helped to evade taxes.

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : सभापति महोदय, भारत का एक आम किसान आज इतना प्रगतिशील नहीं है कि इस विधेयक की सारी पेचीदगियों को समझ सके। इंस्पेक्टरों और प्रयोगशालाओं से काफी उलझनें पैदा हो जायेंगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिये विधेयक को लाने का यह सही समय नहीं है। यदि इस विधेयक को बागवानी तक ही सीमित रखा जाय तो अच्छा है, क्योंकि सभी व्यक्तियों पर, जो बीज जमा रखते हैं नियन्त्रण रखना असंभव होगा। जहां तक कृषि का संबंध है, मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ी भूल होगी और इससे काफी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। यह बात मैं अपने कृषि के अनुभव से कह रहा हूं। इसलिये मेरी राय है कि सरकार या तो इस विधेयक को वापस ले लें या बागबानी तक ही सीमित रख।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : Mr. Chairman, with your permission, I want to say something.

सभापति महोदय : श्री पांडेय प्रवर समिति के सदस्य हैं, इसलिये यह उचित नहीं है कि वह इस समय चर्चा में भाग लें।

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : मैं भी प्रवर समिति का सदस्य हूं परन्तु प्रस्ताव की अन्तिम पंक्ति के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति का प्रतिवेदन इस सत्र के दौरान ही दे दिया जाये ताकि यह खरीफ की फसल पर लागू हो सके। शायद "अगले सत्र" के शब्द भूल से रह गये हैं क्योंकि ये शब्द पिछले सत्र के प्रस्ताव में थे। अधिक उत्पादन के लिये बीज के महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवेदन इसी सत्र में दे दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : संशोधन की सूचना केवल कल तक ही दी जा सकती थीं। इसके लिये मैं अब नियम को नहीं तोड़ सकती।

श्री वारियर (त्रिचूर) : सभापति महोदय, मै इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है . . . .अब गणपूर्ति है। श्री वरियार अपना भाषण जारी रखें।

श्री वारियर : यह राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार को इस विषय पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। पहले खाद्यान्न निगम स्थापित किया गया था तो अनाज देश से उड़ गया और अब बीज निगम स्थापित किया जा रहा है और बीज का भी देश से सफाया हो जायगा। यूं ही इस क्षेत्र में निगम स्थापित किये जाते है सरकार नाकाम हो जाता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

राज्य सरकारे नहीं चाहतीं कि केन्द्रीय सरकार उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे विधयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का विरोध करते है।

श्री वारियर : मै स्वयं विधेयक का विरोध करता हूं।

सरकार इस कानून के अन्तर्गत बहुत से कर्मचारियों आदि के नियुक्ति की व्यवस्था कर रही है और बीजों के उत्पादन, वितरण तथा बिक्री पर सरकार का पूरा नियन्त्रण रहेगा। इससे किसानों को बहुत कठिनाई होगी। इस अधिनियम की कार्यान्विति की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। अतः किसानों की मुश्किलें केन्द्रीय सरकार की जानकारी में नहीं आयेंगी। मुझे ऐसे कई मामलों के बारे में मालूम है जहां पर राज्यों में इन्सपेक्टरों ने किसानों को परेशान किया है। इस पहलू पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। किसानों की कठिनाइयों को सरकारी अधिकारी नहीं जानते और उन्हें आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलती। इस के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार फैलता है। एक किसान को कई प्रकार की परिस्थितियों में काम करना होता है। इस लिये किसानों के बारे में कानून बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिये कि कोई ऐसी व्यवस्था न की जाये जिससे किसानों की कठिनाइयां बढ़ जायें।

यह ठीक है कि हमें कृषि को हर प्रकार का प्रोत्साहन देना है और नये तरीके अपनाने है। हमें देखना है कि क्या इस विधेयक द्वारा कृषि को अपेक्षित लाभ होगा ? मेरे विचार में इस निगम की स्थापना शीघ्र ही की जा रही है। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को मूल्य निर्धारित करते समय सभी के हितों का ध्यान रखना चाहिये और कृषकों के बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था करने के स्थान पर सरकार अन्य प्रकार की कार्यवाही कर सकती थी। इस विधेयक से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। किसानों के हितों को सामने रखकर कानून बनाने चाहियें। इस नई व्यवस्था से तो केवल भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा हैदराबाद में आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में बीजों के व्यापार के बारे में कही गई बात का उल्लेख करना चाहती हूं। वैसे तो हम आधुनिक तरीके अपनाने की बात करते हैं परन्तु उन्होंने साथ में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

कृषि कार्य को बड़ी बड़ी कम्पनियों को सौंपने की बात भी कही है। यह उचित नहीं होगा। संयुक्त समिति को इस प्रकार के सुझाव का विरोध करना चाहिये। यह सभा सहकार क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खाद्यान्नों का काम नहीं देना चाहती। इस लिये खाद्य मंत्री को अपने विचार बदलने चाहिये नहीं तो बीज विधेयक अस्वीकार कर दिया जायेगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों की गलत धारणाएं हैं। यह कहा गया है कि इस विधान से किसानों की कठिनाइयों में वृद्धि हो जायेगी। यह बात ठीक है। वास्तव में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद किसानों को बहुत सुविधा हो जायेगी। विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों में ऐसे कानून बने हुए हैं और उनसे बहुत से लाभ हैं। श्री कृष्णपाल सिंह ने कहा है कि हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस प्रकार का कानून ठीक नहीं होगा। देश के किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करना बहुत आवश्यक है। इस विधेयक का उद्देश्य इसी आवश्यकता की पूर्ति करना है। हमारा अनुभव है कि जब तक अच्छे बीज न होंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिले। इस के उपबन्धों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिस से किसानों को कठिनाई हो। मुझे भी कुछ अनुभव है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अच्छे बीजों का किसान स्वागत करते हैं। यह ठीक है कि इस कानून की कार्यान्विति राज्यों की जिम्मेदारी होगी। किसानों को अच्छी किस्म के बीज अन्य किसानों को भी देने होंगे।

सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि केवल ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां ही बीजों का व्यापार आदि करेंगी। यह एक प्रकार का तकनीकी काम होगा। जिस किसी के पास भी तकनीकी जानकारी होगी उससे लाभ उठाया जायेगा। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह कार्य करने का आदेश दिया है। प्रवर समिति से वापिस आने पर सभी माननीय सदस्य इस का समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संक्त बातों के लिए उपबन्ध करने वाले विधयक को राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने के अनुदेशों के साथ 30 सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, अर्थात् :—

श्री आर० अच्युतन, श्री मगन्ती अंकिनीडू, श्री पुरुषोतम दास हरिभाई भील, श्री ब्रजराज सिंह, श्रीमती जोत्सना चन्दा, श्री नयन तारा दास, श्री मन्नू लाल द्विवेदी, श्री गजराज सिंह राव, श्री आर० मुतु गोंडर, श्री बादशाह गुप्त, श्री हरि विष्णु कामत, श्री किशन वीर, श्री जिया लाल मडल, श्रीमती शशांक मंजरी, श्री मोहन नायक, श्री सरजू पाण्डेय, श्री परमशिवन, श्री मानसिंह पृथ्वीराज पटेल, श्री देवराव शिवराव पाटिल, श्री किशन पटनायक, श्री प्रताप सिंह, श्री हु० चा० लिंग रेड्डी, श्री स० चं० सामन्त, डा० सरोजिनी महिषी, श्री अन्नासाहिब शिन्दे, श्री कु० प्रधासन, श्री शिव मूर्ति स्वामी, श्री शिव दत्त उपाध्याय, श्री माणिक्य लाल वर्मा, और श्री चि० सुब्रह्मण्यम।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The motion adopted.*

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इन्डिया (संशोधन) विधेयक

UNIT TRUST OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1963, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस ट्रस्ट की स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी और जुलाई 1964 में यूनिटों की बिक्री शुरू की गई थी। इसका कार्य आरंभ में बहुत अच्छा था। हां बाद में गति कुछ धीमी पड़ गई थी। दिसम्बर 1965 के अन्त तक इस में लगभग बीस करोड़ रुपया यूनिटों में लग चुका था। रुपया लगाने वालों की संख्या लगभग 1,34,000 है। ट्रस्ट ने 6 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया है। यह प्रथम वर्ष था। इस लिये सारे वर्ष की आय का पूरा वितरण नहीं हुआ है। आगामी वर्षों में अधिक लाभांश दिये जाने की आशा है।

देश की वर्तमान परिस्थितियों में ट्रस्ट को कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ रहा है। व्याज के दरों में वृद्धि हो गई है। ट्रस्ट को जनता को धन लगाने के लिये और अधिक आकर्षन उपलब्ध करने होंगे और उन्हें धन की बचत के लिये प्रोत्साहन देना होगा। जब मूल विधेयक यहां लाया गया था तो यह सोचा गया था कि इस अधिनियम की कार्यान्विति और अनुभव के आधार पर पुनः विचार करना होगा।

वर्तमान संशोधन उसी प्रकार के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। हमें आशा है कि इस से जनता को लाभ होगा। इस योजना के अन्तर्गत हम धन लगाने वालों को बीमे के बारे में कुछ सहायता देना चाहते हैं। इस संशोधन के अन्तर्गत यूनिट खरीदने का और भी मौका दिया जायेगा। अब धन लगाने वालों को जीवन बीमे के बारे में सहायता मिलेगी। जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट मिलकर योजना बनायेंगे जिस से धन लगाने वालों को लाभ होगा।

अब ट्रस्ट बहुत यूनिट योजनाओं के अतिरिक्त बचत कराने में भी सफल होगा। कई छोटे संशोधन भी किये जा रहे हैं। वे विवादस्पद नहीं हैं।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बहुत लोक प्रिय सिद्ध हुआ है। बहुत से ऐसे लोगों ने इसमें धन लगाया है जो अन्यथा शेयरों आदि में लगाते। इसने लोगों के आशाओं के अनुरूप कार्य किया है। हां, यह ठीक है कि परिणामों में कुछ कमी रह गई है। इस समय उद्योग के विकास में विदेशी मुद्रा की कमी की समस्या हमारे समक्ष है। इसका ट्रस्ट के कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि दीर्घकालीन सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाये तो आशा है कि देश के आर्थिक विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण तथा लाभदायक स्थान होगा। मैं विचार के लिये विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : इस संशोधन से पता चलता है कि सरकार असफल रहीं है। स्टाक एक्सचेंज में छोटी संस्थाओं से धन एकत्र होकर चला जाता है। ऐसी स्थिति में यूनिट ट्रस्ट को समाज के निम्न वर्ग को धन लगाने तथा बचत करने का अवसर प्रस्तुत करना चाहिये। यदि हम ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट को देखे तो पता चलता है कि इसमें लगने वाला अधिक धन उन लोगों का है जो अपना धन सरकार की संस्था में सुरक्षित रूप से रखना चाहते हैं। सरकार को इस प्रकार आये धन को लघुउद्योगों के लिये ही प्रयोग में लाना चाहिये। बड़े बड़े उद्योगों को तो बड़ी बड़ी वित्त संस्थाओं से ऋण मिल जाते हैं। सरकार को

10—18 Lok Sabha/66.

[श्री अल्वारेस]

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये। वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़े बड़े उद्योगों जैसे कि एल्यूमिनियम, सीमेंट, बैंकिंग आदि में बहुत अधिक धन लगाया गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यूनिट ट्रस्ट अपने कार्य में असफल रहा है।

कई बार इस बात को ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि भारत के रक्षित बैंक से मिलने वाले उधार का 50 प्रतिशत केवल पांच प्रतिशत बड़े बड़े लोगों को मिलता है। जब उधार को स्थिति इस प्रकार है तो यूनिट ट्रस्ट को बड़े बड़े लोगों को धन नहीं देना चाहिये। सरकार को इस धन को केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रयोग में ही लाना चाहिये। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री ब० रा० भगत : इस ट्रस्ट की स्थापना केवल छोटे उद्योगों के लिये ही नहीं की गई थी। मूल अधिनियम का यह उद्देश्य नहीं था। इस में छोटी बचत के रूप में पर्याप्त धन आया है। इसका एक यह भी उद्देश्य था। केवल दस महीने काम करने के पश्चात ट्रस्ट ने 6.5 प्रतिशत (कर मुक्त) लाभांश दिया है। इससे सिद्ध होता है कि इस का प्रभाव काफी हुआ है। आगामी वर्षों में ट्रस्ट अपना धन व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में लगायेगा।

छोटे उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिये और भी कई योजनायें और अभिकरण हैं। उनको और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इस प्रकार माननीय सदस्य का विरोध उचित मालूम नहीं होता। हमें आशा है कि आगामी वर्षों में ट्रस्ट और अच्छा कार्य करेगा और कारगर ढंग से लाभदायक सिद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1963, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

संशोधन किया गया पृष्ठ 1, पंक्ति 13 में "1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये।

पृष्ठ 2, पंक्ति 5 में "1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये।

[श्री ब० रा० भगत]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

खण्ड 2 संशोधित रूप में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1965" के स्थान पर "1966" रख दिया जाय।

[श्री ब० रा० भगत]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में सोलहवां [Sixteenth] के स्थान पर 'सत्रह' [Seventeenth] रख दिया जाये।'

[श्री ब० रा० भगत]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

अधिनियमन सत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

इसके पश्चात लोक सभा 3 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till 15.00 *hours.*

लोकसभा 3-03 म० प० पर पुनःसमवेत हुई

Lok Sabha reassembled at three Minutes past Fifteen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

केरेल बन्ध से उत्पन्न स्थिति

Situation arising out of Kerala Bandha

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I beg to move that the House now do adjourn to discuss the situation relating to the scarcity of foodgrains arising out of the failures of the Government of Kerala.

Government has not made concerted efforts to prevent famines in the country during the last 18 years. The number of deaths due to hunger is increasing. I want to confine my remarks to the situation prevalent in Kerala. Most of the people of Kerala eat rice. That state is a deficit state in the matter of production of rice. Ever since Kerala was placed under President's rule, the people of Kerala have been warning about the difficult food situation in the state. It was in June that the Governor of Kerala asked for more foodgrains. He had demanded the restoration of zones in the South. A meeting of Chief Ministers was held in early August.

[Shri Prakash Vir Shastri]

The people of Kerala were assured adequate supplies of foodgrains. Similarly the late Prime Minister assured the people of Kerala that 11 lakh tons of rice and 4 lakh tons of wheat would be supplied by the Centre, but it could not be done. It was in November that the Kerala Administrator informed the Central Government that situation was deteriorating fast. In the first week of January there was only 1 thousand tons of rice in the stock of rice of Food Corporation of India. I want to know the circumstances and causes that led to the resignation of Chairman of Food Corporation of India.

The Hon. Minister says that we had bumper crop last year. We imported large quantities of foodgrains. I want to know why the people of Kerala have not been supplied adequate foodgrains and their quota has not been increased. This state is a part of India. Why this discriminatory treatment towards this State. The quantity of per capita ration has been reduced. It is much more in the adjoining States of Madras and Andhra Pradesh. Is it a symbol of socialism. Rice has not been supplied from Madras which has got ample quantity of rice. It was in these circumstances that the people of Kerala started violent agitation. Government property was destroyed. People were forced by the circumstances to take these steps. I do not like all these things. As a result of this agitation rice is being rushed from other states to Kerala.

We should think about the causes of this situation. The zonal system is responsible for this. Selfish tendency has developed in states due to this system. This has resulted in corruption. The foodgrains are smuggled from one zone to another. Then there is great disparity in the prices of foodgrains in neighbouring states. The price of rice in Kerala is Rs. 200 per quintal, whereas it is Rs. 120 per quintal in Mysore. Kerala is a very poor state. People connot afford to buy rice at such high price. It is high time that Government examines the working of this system.

The happenings in Kerala are not confined to Kerala alone. There are scarcity conditions in Maharashtra, Rajasthan, Gujrat, West Bengal and eastern districts of U.P. and unless necessary steps are taken well in time in the right direction such things would happen in other states also. It is totally wrong to say that the situation has been created by the Communists to achieve their political ends. There may be a few persons, who would have acted to achieve their selfish end. The fact is that it was supported by all political parties without exception including the ruling party.

Next I would like to point out that the figures furnished by Government are fictitious, baseless and imaginary ones. According to the figures furnished by Food Ministry India had a population of 36-37 crores during 1951 and her food production was nearly 48 crore tonnes. Now it is stated that her present population is 46-47 crores and the food production last year was 88.2 crore tonnes. It is evident from these figures that our production has doubled, whereas our population has not doubled. If it is true, I would like to know and the people of the country would like to know where the increased food has gone. The food problem cannot be solved by sweet words. It is most shameful for Government that even after 18 years of independence they are quite helpless in providing food to the people. The people have to face bullets, when they beg for bread.

In the last while moving the adjournment motion, I would like to say that those who are responsible for creating the present conditions in Kerala, may be taken to task. The present uprising has resulted in loss of properly worth crores of rupees. An enquiry of the whole matter must be made. The Food Minister should resign, keeping in view the total failure of food policy. With these words I move the adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा (चित्तुर) : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से पूर्णतः सहमत हूं तथा उन के कथन का अक्षरशः अनुमोदन करता हूं। संयोगवश केरल बन्ध आन्दोलन के समय में वहीं पर था अतः मैं प्रमाणित रूप से कह सकता हूं कि इस आन्दोलन का सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था। वहां एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था जिस से यह बिल्कुल स्पष्ट होता था कि लोगों में पूर्ण असंतोष है और वे सरकार में विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से सरकार में अपने अविश्वास की अभिव्यक्ति की थी। उन के हृदय में यह प्रबल भावना घर कर चुकी थी कि केरल को सजा दी जा रही है। उन्हें शेष भारत से भिन्न समझा जा रहा है। उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है अतः वे स्वतंत्र नहीं हैं कि भारत के जिस भाग में चाहे जा सकें और वहाँ से जिस भी मूल्य पर उपलब्ध हो, खाद्यान्न खरीद कर अपने लोगों का पेट भर सकें। केरल के लोग आर्थिक स्वाधीनता चाहते हैं।

इस में सन्देह नहीं कि केरल कभी भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, चाहे सरकार कितनी ही योजनायें क्यों न बनाये और यदि सरकार की अधिक अन्न उपजाओ योजनायें जो साधारतः सफल नहीं होती, यदि सफल भी हो जायें तो भी केरल को खाद्यान्न के लिये सदा दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वह हमेशा कमी वाला क्षेत्र रहेगा। अतः सरकार ने केरल को देश के अन्य भागों से अलग करके और विशेषकर आंध्र प्रदेश, मैसूर, तथा मद्रास जैसे पड़ोसी राज्यों से अलग कर के केरल के साथ घोर अन्याय किया है।

ऐसी स्थिति में केरल में उपद्रव हुये। अतएव यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि राजनीतिक हितों के कारण य उपद्रव कराये गये। यदि ऐसा होता तो कांग्रेस इस में भाग न लेती। सचाई तो यह है कि कांग्रेस ने न केवल सक्रिय भाग लिया है अपितु केरल बन्द आन्दोलन का आयोजन करने में उन्होंने अगरणीय भाग लिया है। ये सब इसलिये किया गया कि सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचाई जाये। स्थिति को अति गम्भीर होते देख कर नये प्रधान मंत्री ने विभिन्न राज्यों से जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र और मद्रास से केरल को अधिकाधिक खाद्यान्न शीघ्रतिशीघ्र भेजने की अपील की। यह संकट एकदम उत्पन्न नहीं हुआ है। समय रहते इस बारे में चेतावनी दी गई थी। अतः यह बहुत खेद का विषय है कि सरकार ने कोई कार्यवाही न की। गत जून केरल के सब संसद् सदस्यों ने, जिन में दो मंत्री श्री थोमस तथा श्री मेनन भी सम्मिलित थे केरल को खाद्यान्न भेजने की अपील की थी। यह हर्ष का विषय है कि ओमान के अवसर पर राशन की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि की गई। परन्तु क्या सरकार इतने महिने सोती रही है ?

मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने अभी अपना भाषण समाप्त किया है, के इस कथन का समर्थन करता हूं कि खाद्य मंत्री ने त्यागपत्र देना चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करते तो यह प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें पद से हटा दें। लोकतंत्रीय सरकार की यह एक सुज्ञात प्रथा है कि जब कोई मंत्री अपने कर्त्तव्यों को सुचारु रुप से निभाने में असफल रहता है और अकर्मण्य सिद्ध हो जाती है, तो प्रधान मंत्री उस को दूसरे विभाग का कार्य सौंप देते हैं। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि इस घोर असफलता के बाद भी हमारे प्रधान मंत्री ने यह विभागों की अदा बदली भी नहीं की है। अतः वही मंत्री विभाग का कार्य भार संभाले हुये हैं।

इस संकट की घड़ी में केरल निवासियों को इस बात से कि केरल के एक अन्य व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है कोई संतोष नहीं मिलेगा क्योंकि पहले भी केरल से श्री थोमस मंत्री थे तथा अपना भरसक-प्रयत्न करने के बाद भी वह केरल के लोगों की आवश्यकता पूरी न कर सके।

[श्री रंगा]

इस समस्या की हल करने के लिये सरकार को चाहिये कि केरल, आंध्र प्रदेश तथा मद्रास के व्यापारियों को तथा खाद्य निगम को केरल में खाद्यान्न भेजने की प्रतियोगिता करन की छुट दी जाये। खाद्य निगम को उतना धन दिया जाये, जितने की उसे आवश्यकता है। सड़क तथा रेल यातायात पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लेने चाहिएं। केरल को अधिकाधिक अनाज भेजा जाये।

केरल एक धर्मनिर्पेक्ष राज्य है। केरल में प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। हमें केरल की जनता की आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिये। उन्हें अपनी लोकतंत्रात्मक सरकार बनाने का अवसर देना चाहिये। अन्त में सरकार की घोर असफलता पर खद प्रकट करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुझा) : देश में कई बन्ध आंदोलन हुय हैं परन्तु केरल बन्ध आन्दोलन एक अपूर्व तथा ऐतिहासिक आन्दोलन था। सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न ही कोई रिक्शा चल रही थी और न ही कोई साईकिल ही दिखाई देता था। ग्रामों में तथा नगरों में भी यही स्थिति थी। परन्तु मुझे खद है कि हमारे खाद्य मंत्री हृदयहीन व्यक्ति हैं। अतः लोगों की भावनाओं का अनुभव करने के लिये उनके पास हृदय नहीं है। इस घोर असफलता के बाद भी वह खाद्य तथा कृषि मंत्री है, यह बड़ी लज्जा की बात है। आज प्रातः भी वह कह रहे थे कि सरकार अपने प्रयत्नों में असफल नहीं रही है। इस का अर्थ तो यह हुआ कि मंत्री जो चाहें संसद् में वक्तव्य दे सकते हैं।

मैं आपके सामने केरल के केरल भूत पूर्व राज्यपाल जो कि हाल ही में राज्यपाल का पदत्याग कर आये हैं अथवा इस संकट के कारण जिन्हें अपना पद त्यागना पड़ा है, के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहना चाहता हूं कि उन के वक्तव्य अनुसार "कि मेरी असफलता की जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार है" यह बात स्पष्ट हो गई है कि केन्द्र सरकार इस बारे में बिल्कुल असफल रही है। उन्होंने कहा है कि मैंने केरल को शीघ्रातिशीघ्र चावल भेजने के लिये केन्द्र को तार भेजा, परन्तु चावल भेजना तो दूर रहे मेरे तारों का भी उत्तर नहीं दिया गया।

केरल बन्ध आन्दोलन बहुत ही शांत प्रदर्शन था। राज्यपाल महोदय ने स्वयं अपनी धर्मपत्नि के साथ खुली गाड़ी में त्रिवन्द्रम नगर का दौरा किया। वह प्रदर्शनकारियों से मिले तथा उन्होंने भाषण भी दिये। स्थिति बिल्कुल शांत थी। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी समय राज्यपाल महोदय ने प्रेस कांफ्रेंस में कह दिया कि हिंसात्मक कार्यवाइयां हुई है और वह स्थिति का बल प्रयोग द्वारा सामना करेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों को भी चेतावनी दी कि वे खुले रूप से सामने आ जायें तो अधिक अच्छा हो तथा यह भी कह दिया पुलिस ने कोई ज्यादती नहीं की है, अतः कोई जांच की कारवाई की जायगी। हमारा दावा है कि इस सरकार की तथा हमारे राज्य में इस सरकार के प्रतिनिधियों के बुरी तरह असफल रहने के फलस्वरुप ही यह संकट उत्पन्न हुआ था और अब भी वहां है। केरल के लोगों को दिये जाने वाले राशन के चावल की मात्रा केवल 120 ग्राम है, जो एक बालक के लिये भी काफी नहीं है। राज्यपाल महोदय के इस कथन से कि पुलिस की ज्यादतिया नहीं हुई है, पुलिस को खली छूट मिल गई और उन्होंने दिल खोलकर लोगों को बुरी तरह मारा पीटा। चारों ओर आतंक छा गया। स्कूल तथा कॉलिज के लड़के और लड़कियों को भी बुरी तरह मारा पीटा गया। मैंने हस्पतालों का दौरा भी किया और वहां बहुत से लड़कों को देखा। एक कॉलिज के प्राध्यापक ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी। पुलिस कॉलेजों पर और पुस्तकालओं में घुस रही है और बबात लड़को को पीट रही है। यह खुन में सनी हुई कमीज जो मेरे हाथ में है, एक ऐसे लड़के की है जो पुस्तकालय में बैठा चुपचाप पढ़ रहा था और पुलिस वहीं आकर उसे बुरी तरह पीटा। इस तरह सैंकडौ लडकों को पीटा गया। सरकार को वर्तमान स्थिति का गलत अनुमान नहीं लगाना चाहिये। लोगों की

भावनाओं को उस समय बड़ी ठस पहुंची है। यदि सभी युवकों को, जो अब जेल में हैं, रिहा नहीं किया गया और सैकड़ों विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध लगाये गये अभियोग वापस न लिये गये और पुलिस की ज्यादतियों की तुरन्त जांच करने का प्रयत्न नहीं किया गया तो स्थिति इतनी उग्र और गम्भीर हो जायेगी, जिस का अनुमान लगाना भी असंभव है। केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को सलाह दी है कि वे केरल में हुय उपद्रव को कम्यनिस्टों का षडयंत्र सिद्ध करने का प्रयत्न करें तथा इसी उद्द्श्य से श्री नम्बदरीपाद को केरल आते ही गिरफ्तार कर लिया, हालांकि वह पिछले दो सप्ताह से कलकत्ता गये हुये थे। भारतीय रक्षा नियमों के अधीन अन्धाधूंध गिरफतारियां की जा रही है तथा पुलिस जिस चाहती है पकड़ लेती है। 28 तारिख का आन्दोलन केरल के लोगों ने यह आवाज उठाने को किया था कि वे दूसरे दर्जो के नागरिक जैसा व्यवहार, जो उनके साथ किया जा रहा है, सहन नहीं कर सकते। वे हमेशा यही सोचते रहे हैं कि हम पहले भारत के नागरिक हैं। और फिर केरल के नागरिक हैं। 28 तारिख का उपद्रव राज्यपाल तथा केन्द्र सरकार के षडयंत्र का फल था और इस कम्यूनिस्टों का षडयंत्र कह कर नहीं टाला जा सकता।

सरकार ने केरल के लोगों को दिये जाने वाले राशन की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि करने की घोषणा की है। यदि वह इसे अपनी महान सफलता समझी है तो एक बड़ी भूल करती है। केरल में हम लोग किसी ऐसी चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं जो भारत के अन्य भागों को उपलब्ध नहीं हो। देश को यदि बलिदान की आवश्यकता होगी तो हम बलिदान के लिये सबसे पहले तैयार हैं। परन्तु साथ साथ हमारा यह भी अनुरोध है कि देश के किसी भाग को उन सुविधाओं से वंचित नहीं रखना चाहिये जो दूसरे भागों में उपलब्ध की गई हैं। ऐसा करना न केवल हमारे लिये अपितु सारे राष्ट्र के लिये और उस की अखंडता के लिये घातक होगा। सरकार की वतमान नीतियां बहुत पुरानी और बेकार है। अतः जब तक इन्हें न बदला जायेगा, तब तक इस समस्याका कोई हल नहीं मिल सकेगा।

सुखे की स्थिति होने के बावजूद भी यदि सरकार चाहे तो इस समस्या का हल हो सकता है, इसके लिए सही प्रयत्न, सही नीतियां तथा सही कार्यवाही की आवश्यकता है। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि खाद्य मंत्री ने इन सब बातों को चावल के मिलों के मालिकों तथा तस्कर व्यापारयों की इच्छा पर छोड़ दिया है और वह घोषणा कर रहे हैं कि हमारी नीति सफल हुई है। वास्तविक बात यह है कि नीति बिल्कुल असफल रही है और यदि हम में परिवर्तन नहीं किया गया तो सरकार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी।

अन्त में मैं सदन से और आपके द्वारा सरकार से अपील करता हूं कि राशन की वृद्धि के प्रश्न पर तुरन्त विचार किया जाये। लोग भूखे मर रहे हैं। चावल के राशन में तुरन्त वृद्धि की जाये। लोगों पर जो मुकदमें चलाये जा रहे है उन्हें वापस लिया जाये और पुलिस ने जो ज्यादतियां की हैं उन की तुरन्त जांच करवाई जाय। उन विद्यार्थियों को जिन्हें गिरफतार किया गया है तुरन्त रिहा कर देना चाहिये। उनकी परीक्षा बहुत निकट है और वे अभी जेल में पड़े हैं।

श्री केप्पन (भुवातुपुजा) : सत्ताधारी दल का सदस्य होने के नाते यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करूं, परन्तु हृदय से मैं इस का विरोध करने में असमर्थ हूं। इस बारे में भी जो कुछ कहा गया है वह अक्षरशः सच है और सचाई से इन्कार करना मेरे लिये ठीक नहीं है। केरल का खाद्य संकट अभी पैदा नहीं हुआ है अपितु बहुत समय से खाद्यान्न के लिय हम संसार के अन्य देशों पर निर्भर रहते आये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ती से पहले हम मूल्यवान व्यापार फसलों का उत्पादन करते थे और उन्हें बेच कर अन्न खरीदते थे। परन्तु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदल गई है। स्वर्गीय श्री किदवाई के समय जब उन्होंने खाद्यान्न के लाने या ले जाने पर से रुकावट हटा दी थी, तो केरल में खाद्यान्न की कोई कमी अनुभव

[श्री केप्पन]

नहीं की जाती थी। परन्तु सरकार ने खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था सुधारने के लिये देश को खाद्य जोनों में विभाजित कर दिया और केरल को दक्षिणी खाद्य जोन जिस में मसूर, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश भी सम्मिलित थ रखा गया। जोनों की व्यवस्था करने पर भी केरल को खाद्यान्न की कमी का संकट न दखना पड़ा क्योंकि हमें प्र प्ति मात्रा में खाद्यान्न मिलता रहा। परन्तु वर्तमान खाद्यमंत्री ने दक्षिणी जोन की भी समाप्त कर दिया, जिस के फलस्वरुप केरल को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अेक वर्ष की अवधि में केरल में दो बार अकाल की स्थिति पैदा हो गई और इसी वर्ष त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन की गलियों में युवकों तथा युवतियों सहित निर्दोष लोगों का रक्त बहा। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं परन्तु निर्दोष व्यक्तियों से मेरा तात्पर्य यह है कि कुछ गुंडों ने हिंसात्मक कार्यवाइयां की और बसों आदि पर पत्थर फेंके परन्तु इस की सजा निर्दोष स्कूल और कॉलिजों के बच्चों को भुगतनी पड़ी। दक्षिणी क्षेत्र को शायद इसलिये समाप्त किया गया क्योंकि फालतू अनाज वाले राज्यों को आशंका थी कि केरल के लोग उन से सारा धान और चावल खरीद लेंगे। परन्तु वास्तव में यह आशंका निर्धार थी और यदि खाद्यान्न की खरीद पर यह प्रतिबन्ध नहीं होता तो हम सारा चावल या धान तो नहीं खरीदते, हां केरल के यह संकट के दिन नहीं दिखने पड़ते।

अगस्त से नवम्बर, 1964 तक केरल में चावल बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं था। फिर दिसम्बर 1965 से जनवरी 1966 में केरल में अनाज की बहुत कमी थी। स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि फरवरी, 1966 तक राशन में कटौती नहीं की जायेगी परन्तु उनके दुःखद निधन के तुरन्तबाद 4 औंस तक की कमी कर दी गई। कोई नहीं जानता इसका जिम्मेदार कौन है। अब हमें राशन की मात्रा बहुत यानी 6 औंस दिया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में इस से अधिक राशन की व्यवस्था की गई है। राशन में जो चावल दिया जाता है वह बहुत घटीया किस्म का होता है अत: उस में चावल से अधिक ककंड, रेत आदि मिला रहता है। जैसा कि श्री वासुदेवन् नायर ने कहा यह चावल एक छोटे बच्चे के लिये भी काफी नहीं है।

[**उपाध्यक्ष पीठासीन हुये**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस प्रकार की स्थिति बहुत समय तक चालू नहीं रह सकती। यदि वास्तव में देश में अनाज की कमी है तो हम भी सारे देश के साथ कठिनाइ ों को झेलने को तैयार हैं परन्तु हमारे साथ कोई भेद भाव नहीं होना चाहिये। यह सच है कि हम व्यापार फसलों का उत्पादन करते है। परन्तु यह कहना गलत है कि हम खाद्यान्न का उत्पादन कम करते हैं। जितनी भूमि हमारे पास है हम उस पर खाद्यान्न का उत्पादन भी करते हैं और हमारी प्रति एक उपज किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। व्यापक फसलें भी देश के विकास के लिये अनिवार्य हैं। इन से विकास को परियोजनाओं के लिये मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। यदि हम ने व्यापार फसलों का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा का अर्जन न किया होता तो सरकार भाखड़ा-नांगल बांध नहीं बना सकती थी। हम हर वर्ष 100 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। यदि सरकार हमें अनाज सप्लाई नहीं कर सकती तो वह हमें विदेशी मुद्रा का जो हम अर्जित करते हैं 50 प्रतिशत दे दे और हमें अनुमति दी जाये कि संसार के जिस भाग से हम अन्न खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। फिर केरल में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं रहेगी।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is quite evident from the statements made by hon. Members who preceded me that the food situation in Kerala is very grave and alarming. People are starving there. The present food situation in Kerala has been created because of the utter failure of the Government to take suitable steps at proper time. Government are now sending S.O.S. to speed up food supplies to Kerala. Had these steps regarding Sending food

grains to Kerala been taken in time *i.e.* before the uprising of the people of Kerala, the present situation would not have been created there. It is most unfortunate and shameful that people are facing starvation and the Government is not supplying adequate food. The Food Minister should resign on his failure to discharge his primary responsibility of ensuring sufficient food for the people.

The Government must explain why no action has been taken in proper time to rush rice to Kerala. The solemn declaration made by the Prime Minister that she would not eat rice is meaningless, keeping in view the magnitude of the problem.

The scarcity condition are created by vested interest. Inspite of the fact that there are restrictions on the movement of rice from one place to another, large scale smuggling is going on and the police officers posted on the check posts are making huge money. It is my personal experience that the police officers are encouraging smuggling and they are the real exploiters.

The Zonal system is at the root of all troubles. There are surplus States as well as deficit states in the country and the restriction put on the movement of foodgrains is resulting in the wastage of foodgrains. It is a fact that grain is rotting in the stores of Madhya Pradesh, Ganganagar and Punjab, while the people of Maharashtra and Gujarat are crying for grains. Government must take courage and decide once and for all that zonal system must go. There should be free trade of foodgrains throughout the country. If there is real scarcity of foodgrains, the every one in the country face it. The Zonal system created by Government is against the Constitution, wherein provision of free trade has been made.

While concluding my speech, I would like to point out that it is very shameful that Shri A. P. Jain, the then Governor of Kerala resigned from the office of Governorship, at the time when his presence was most essential there. He left Kerala, when firing was taking place there.

I would request the Government to take immediate steps to ensure that such conditions are not created in future.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : जब से देश स्वतंत्र हुआ है हम ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है और उत्पादन को बढ़ाया है परन्तु अनाज के क्षेत्र में हम अब भी पिछड़े हुए हैं।

हम अपने देश में भूमि में सुधार करने और कृषकों की सहायता करने के स्थान करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा विदेशों से घटिया किस्म की गेहूं आयात करने पर खर्च कर रहे हैं। हम पूंजीवाद खेती में फिर से विश्वास करने लगे हैं।

हमने खाद्य मंत्रालय ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया है जो देश में लोगों के जीवन से खेल रहा है।

सरकार ने पर्याप्त भण्डारों के बिना राशन व्यवस्था कर दी है। श्री सुब्रह्मण्यम् इस बात को भी उचित बताते हैं कि केरल में तो केवल 4 औंस राशन दिया जाता है जबकि उन को अपने राज्य मद्रास में 9 औंस राशन दिया जाता है। राजस्थान के कुछ जिलों में 1/2 औंस धान भी वितरण नहीं की जाती है। 4 औंस अनाज एक मुर्गी के लिये भी पर्याप्त नहीं है तो फिर केरल के लोग 4 औंस राशन से किस प्रकार संतुष्ट हो सकते हैं।

इस पर उन के भाषण जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। केरल के लोग 12 औंस राशन चाहते हैं। वह यह भिक्षा नहीं मांगते। वे देश के लिये नकद फसलों का उत्पादन करते हैं जिन से विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। यह विदेशी मुद्रा दूसरे राज्यों में औद्योगिक विकास के लिये खर्च की जाती है। इस क्षेत्र में भी हमारी उपेक्षा की जा रही है।

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

हमारा राज्य जल साधनों से सम्पन्न है परन्तु फिर भी वहां बिजली और जलविद्युत की कमी है। इसी प्रकार अनाज के क्षेत्र में भी हमारी उपेक्षा होती है। जब अनाज के लिये स्वतन्त्र क्षेत्र बने हुअे है तो फिर विदेशी मुद्रा के लिये स्वतंत्र क्षेत्र क्यों नहीं बनाये जाते। एक बार ऐसा कर दिया जाये तो हम अपनी कमाई हुई विदेशी मुद्रा से चावल खरीद करेंगे। हम पहले भी ऐसा करते रहे हैं और हम जानते है अब ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है।

मेरे विरुद्ध एक मुकदमा बनाया गया है। यह सच है कि मैं ने मद्रास ऐक्सप्रेस गाड़ी को रोक दिया था। यह भी सच है कि मैं नहीं चाहता था कि वह गाड़ी समय पर मद्रास पहुंचे। इस के अतिरिक्त मैं ने और कुछ नहीं किया। किसी यात्री को भी कोई असुविधा नहीं पहुंचाई गई। किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक क्रिया नहीं हुई। जब मैं भारत को स्वतंत्रता के लिये लड़ा था तब भी मेरे विरुद्ध ऐसे मुकदमे बनाये गये थे। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री वासुदेवन नायर ने बताया एस. एम. कालेज के प्रिन्सिपल ने कहा था कि मैं अपने विद्यार्थियों की जिम्मेवारी लेता हूं वे किसी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे परन्तु फिर 250 सशस्त्र सिपाही कालेज में घुस गये।

इसी प्रकार एक दूसरे पौलिटैक्निक कालेज में भी किया गया। जिसको केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री चलाते है। वहां पर रखे बहुत से सामान को बर्बाद कर दिया। मेरा कहना है कि केरल के लोगों को पीटने के लिये ऐसा जान बूझ कर किया गया। दो वर्षों मे ऐसी स्थिति दूसरी बार उत्पन्न हुई है।

एक सीनियर कांग्रेसमैन जिन्होंने कार्यकारी वर्ग के प्रश्न पर त्यागपत्र दे दिया था का कहना है कि जब तक वहां पर खून नहीं बहता सरकार कुछ नहीं करेगी। यदि सरकार यही चाहती है तो हम इस के लिये तैयार है। केरल के लोगों का कहना है कि सुब्रम्हण्यम को हटाया जाये। मैं भी अभी आप को उन में शामिल करता हूं।

श्री प्र० व० राघवन (बड़ागरा) : एक वर्ष से केरल मे राष्ट्रपति का शासन है। जब राष्ट्रपति का शासन चालू हुआ था तब वहां 8 औंस राशन मिलता था परन्तु फिर कम कर के 6 औंस कर दिया गया और उस के बाद और कम कर दिया गया अर्थात 4 औंस परन्तु अभी हाल ही में इस को बढ़ा कर 5 औंस कर दिया गया है। खाद्य मंत्री केरल के लोगों को अपनी खाने सम्बन्धी आदतों को बदलने के लिये कहते हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि वह अमरीका से बड़ी मात्रा मे गेहू आयात कर रहे हैं इस लिये लोगों को गेहूं खाने की आदत डालनी चाहिये। मैं उन को बताना चाहता हूं कि केरल के लोग अपनी खाने सम्बन्धी आदतों को नहीं बदल सकते और उन को खाने के लिये केवल चावल चाहिये। यदि मंत्री महोदय उन को चावल सप्लाई नही कर सकते तो वह त्याग पत्र दे दें और अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों को खाने सम्बन्धी आदतें बदलने के लिये कहे।

28 जनवरी, 1956 को केरल में सरकारी कार्यालय, डाकघर, तारघर तथा रेलवे स्टेशन तक बन्द रहे। 29 जनवरी से पुलिस ने केरल के लोगों का पीछा आरम्भ कर दिया। बिना नाम दर्ज कराये पुलिस में प्रथम सूचनायें दाखिल की गई। उस से अगले दिन लोगों को पुलिस स्टेशन में ला कर पीटा गया। लोगों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मामले दर्ज किये गये हैं।

मैं खाद्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि खाद्य खण्ड पुन: बनाये जायें। केरल के राज्यपाल ने खुले आम कहा है कि मद्रास तथा आन्ध्र के अपने वचनों से फिर जाने के कारण केरल में चावल का राशन कम किया गया है। क्या भारत के खाद्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह पहले किये गये वचनों को पूरा करायें। यदि उन को यह अधिकार नहीं है तो उन्हे इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

केरल में जब गम्भीर खाद्य संकट चल रहा था तो वहां के राज्यपाल दिल्ली में प्रधान मंत्री के चुनाव में मतों के लिए प्रयत्न कर रहे थे वह अपने कर्तव्य में असफल रहे हैं। केरल के राज्यपाल होते हुये वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने रहे। उन पर वाद चलाया जाना चाहिये। उनकी निन्दा की जानी चाहिये और उन्हें राजनैतिक जीवन में भाग लेने से सदा के लिए रोक देना चाहिये।

हमें खाद्यान्न की आवश्यकता है। हमें चावल की आवश्यकता है। हम 28 मार्च, 1966 तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यदि उससे पहले चावल की व्यवस्था नहीं होगी तो केरल में कई-बन्ध होंगे और आप इन सब के लिए जिम्मेवार होंगे। इन शब्दों के साथ, मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अल्वारिस : केरल के लोगों ने शायद इतिहास में पहली बार एकमत का परिचय दिया है। उन्होंने तथा राजनैतिक दलों ने राशन की कम मात्रा के कारण भूखे मरने के बजाय खाद्यान्न के लिए संघर्ष किया है।

आज खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार से कोई चक नहीं हुई है। कुछ मास पूर्व, उन्होंने इस सभा में स्वीकार किया था कि सरकार केरल में खाद्यान्न का उचित वितरण सुनिश्चित करने में असफल रही है। सरकार स्थिति का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाई है और उसके कारण नहीं जान पाई है। हम उस से यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वह केरल के लोगों के साथ न्याय करेगी। एक ऐसे देश में, जिसे एक कहा जाता है, फालतू अनाज वाले राज्य केरल को खाद्यान्न भेजने से इन्कार कैसे कर सकते हैं। सितम्बर, 1964 से, जब उस कमी को स्वीकार किया गया था, देश का कोई भाग भी कमी से नहीं बना है। फिर भी, इस सरकार ने केरल को पर्याप्त राशन देने के लिए उचित उपाय नही किये हैं।

यह विचित्र बात है कि यह देश एक है परन्तु राशन की मात्रा दो प्रकार की है। जैसा कि श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा है, देश के कुछ भागों में राशन 200 से 240 ग्राम तक है परन्तु केरल के लोगों को इससे आधा मिल रहा है। केरल इस प्रकार का भेदपूर्ण व्यवहार कैसे सहन कर सकता है। यदि कमी है तो सभी को समान रूप से कम राशन मिलना चाहिये।

कमी की यह समस्या सितम्बर, 1964 से चल रही है परन्तु सरकार ने कोई पर्याप्त उपाय नहीं किये हैं। कृषि मूल्य आयोग ने अनुमान लगाया है कि यह कमी अगले दस वर्ष तक रहेगी। इसलिए, संकट फिर उत्पन्न हो सकता है। क्या हमारे उपाय ऐसे हैं जिन से सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित हो सके और क्या उन से फालतू अनाज बाजार में आना सुनिश्चित हो सकेगा। यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि खाद्य क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया तो खाद्य निगम केवल एक तुल्यात्मक अभिकरण के रक्षा में कार्य करेगा जिससे गैर-सरकारी व्यापारी मूल्यों में वृद्धि न कर सकें। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि खाद्य निगम की नियुक्ति एकाधिकार रूप से वसूली करने के लिये की गई थी और यदि खाद्य निगम गैर-सरकारी व्यापारीयों के साथ प्रतियोगिता करने जा रहा है तो गैर-सरकारी व्यापारी इस अवसर का लाभ उठायेंगे और मूल्यों में वृद्धि कर देंगे जबकि हमें इन पर नियंत्रण रखना है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार की नीति है क्या ? क्या सरकार सभी लोगों को समान मात्रा में चावल नहीं देना चाहती ? क्या केरल के लोग इस बात की आशा नहीं कर सकते हैं कि जितना राशन देश के अन्य भागों में दिया जा रहा है, उन को भी चावल उतनी ही मात्रा में मिल सकेगा।

हमें केरल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिये कि उन्होंने हमारा ध्यान कमी का निर्धारण करने तथा समस्या के कारणों का पता लगाने की आवश्यकता की ओर दिलाया है। आशा है कि हमारी आवश्यकता से जितना कम चावल उपलब्ध है, इसका पता लगा लिया गया होगा और अब हमें इसी आधार पर चावल की समान मात्रा मिलनी चाहिये। जहां तक इस समस्या के कारणों का पता लगाने का सम्बन्ध है, मेरे विचार में सरकार को इस बात का पता ही नहीं है कि वह करना क्या चाहती है। क्या वह चावल की मिलों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है ? क्या वह खाद्य निगम को एकाधिकार रूप से वसूली करने की आज्ञा देना चाहती है अथवा गैर-सरकारी व्यापारियों को भी इस क्षेत्र में कारोबार करने की भी आज्ञा देना चाहती है। 1964 में जब केरल में ऐसा ही संकट उत्पन्न हुआ था तब सरकार ने अपनी असफलता का दोष गैर-सरकारी व्यापारियों पर लगाया था तो अब वह गैर-सरकारी व्यापारियों को इस क्षेत्र में कदने की आज्ञा क्यों देना चाहती है। यह तो स्पष्ट ही है कि वे मूल्यों में वृद्धि कर देंगे क्योंकि ऐसा करना गैर-सरकारी क्षेत्र का धर्म है।

इन शब्दों के साथ मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मणियांगाडन (कोट्टयम) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विभिन्न राज्यों के विभिन्न सदस्योंने केरल के लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है और आशा है कि इस से सम्बन्धित राज्य सरकारें इस मामले में अपनाई जा रही अपनी नीति में परिवर्तन करेंगी ।

पिछले महीने में 28 तारीख को केरल में जो हड़ताल की गई थी, वह केरल के सभी लोगों की, चाहे वे किसी दल से ही सम्बन्धित क्यों न थे, भावनाओं का एक प्रतिबिम्ब था क्योंकि उस दिन सभी लोगों ने हड़ताल का पालन किया था। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सरकार ने वहा पर वास्तविक स्थिति को महसूस नहीं किया है परन्तु जो कुछ किया गया वह बहुत देर बाद किया गया जिसके फलस्वरूप वहां पर हड़ताल हुई ।

नवम्बर, 1964 में केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू की गई थी, हालांकि उस समय राज्य में चावल का स्टाक नहीं था। फिर भी यह व्यवस्था सरलतापूर्वक चलती रही। परन्तु कुछ समय के पश्चात राशन की मात्रा 8 औंस से घटा कर 6 औंस कर दी गई। हालांकि इसका विरोध किया गया था परन्तु सरकार अपने इरादे से विचलित न हुई। तत्पश्चात इस में कुछ वृद्धि की गई थी परन्तु थोड़े ही समय के पश्चात इस में पुनः कटौती कर दी गई और यहां तक कि जनवरी में इसे घटाकर 4 औंस कर दिया गया, हालांकि स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया कि राशन की मात्रा में और कमी नहीं की जायगी। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय केरल के लोगों ने इस कठिनाई का सामना किया परन्तु वे इसे कहां तक सहन कर सकते थे। एक ऐसा समय आया जब वे हड़ताल करने के लिये बाध्य हो गये। यह तो मैं मानता हूं कि देश में चावल की कमी है परन्तु क्या इस बात का पता लगाया गया है कि सारे भारत की तुलना में इस बारे में केरल में लोगों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यदि सभी लोगों को बराबर बराबर कमी का अनुभव नहीं करना पड़ा है तो यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि चावल का अभाव है। चाहे कुछ भी हो, यह एक मानी हुई बात है कि इस सम्बन्ध में केरल के लोगों से भेदभाव किया जा रहा है। इस बात को केरल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जैन ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी को यह हालत थी कि केरल के गोदामों में 4 दिन के लिये भी काफी अनाज नहीं था। तार भेजे गये परन्तु कोई उत्तर नहीं आया। अतः यह स्पष्ट है कि किसी न किसी की घोर लापरवाही से ऐसी स्थिति पैदा हुई ।

1964 में भी हमने बता दिया था कि दक्षिणी खंड को समाप्त करने से कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। और ऐसा ही हुआ और केरल में चावल जाना बन्द हो गया। जब सरकार ने उस राज्य को चावल देने का भार अपने ऊपर लिया हो सरकार का कर्तव्य था उसको देतीं ।

खाद्य निगम को इसलिये स्थापित किया गया था कि बहुतात वाले सभी राज्यों से फालतु मात्रा को प्राप्त किया जाये और समान रूप से उसका वितरण किया जाये। निगम के भूतपूर्व अध्यक्षने अपने पद से त्यागपत्र देते समय कहा था कि समाहार के मामले में कुछ राज्यों ने सहयोग नहीं दिया है। केरल में जिस समय 4 दिन का भी अनाज नहीं था उस समय कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनके पास ढाई और तीन महीने तक का राशन मौजूद था। इस प्रकार की नीति से तो केवल कठिनाइयां ही पैदा होती हैं और विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। सरकार की यह नीति असफल रही है। सरकार को वर्तमान खंड व्यवस्था को तोड़ना चाहिये और दक्षिणी खंड को फिर से स्थापित करना चाहिये। जब तक यह नहीं किया जायेगा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

केरल में इस समय अनौपचारिक राशनिंग है और कानूनी राशनिंग नहीं है। वहां पर समाहार भी किया जा रहा है और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न यह है कि वहां की जनता को पूरी मात्रा में चावल मिलना चाहिये इसका प्रबन्ध सरकार चाहे कानून राशनिंग द्वारा करे या समाहार पद्धति में आवश्यक परिवर्तन करके ।

हाल ही में यह निर्णय किया गया था कि लगभग एक महीने के बाद 6 औंस चावल दिया जायेगा । यह निर्णय यथासंभव शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये और इस मे अब कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये । यदि सरकार सारे देश भर में समाहार नहीं कर सकती है तो दक्षिणी खंड को फिर से स्थापित कर देना चाहिये । तब कोई समस्या नहीं होगी । इस समय केरल की सीमा पर तो चावल बहुत सस्ता मिल रहा है परन्तु केरल के भीतरी भाग में इसके बहुत ऊंचे दाम हैं । ऐसी हालत को बदलना चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, the sentiments of the countrymen should be expressed before those who realise their responsibilities. This morning the hon. Minister pleaded that he did not know what his responsibilities were. According to the note circulated to us by this Ministry the prime responsibility for feeding the people is that of the State Governments and not of the Central Government. But perhaps the hon. Minister does not know that according to Article 47 of the Constitution the Central Government is primarily responsible for feeding the people. The hon. Prime Minister also exhibited similar doubt when she said that there is nothing serious about importing foodgrains; we buy something and we sell the other things. But she does not know that the import of foodgrains, which is an essential Commodity, every year, shows that there is a serious flaw in our policy. It is just like begging. It is a misnomer to call him the Food Minister since he and all his predecessors have been functioning as food procurement Ministers from abroad.

There are other States where food situation is worse than that in Kerala. The people of Kerala are literate and they know how to expresss their feelings. Those states are Orissa, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. In the next general election the people of these states should not give their votes to Congress party, and the Ministers from those States will realise their mistake only when they suffer defeat. The intake of foodgrain of about 25-30 crores of people in this country is about 2 chhataks per day. They are virtually starving. It is an yearly feature in this country that 5-6 lakh persons die of starvation. This year the situation is more critical and it is not surprising if 10-15 lakh persons fall a prey to starvation. I should like to read out the telegram received by me from Shri Gopalan saying:

"Permit Convey Parliament through you the serious situation in Kerala". I want to convey to him that the condition of the three fourth of the country is no better than that of Kerala.

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : श्रीमन्, सरकार ने केरल के बारे में दो बड़ी भारी गलतियां की हैं। सरकार को जिस समय बताया गया कि केरल में खाद्य की भारी कमी है तो सरकारने समय पर खाद्य का संभरण नहीं किया । अब सरकार मद्रास, आन्ध्र और मैसूर से केरल को चावल दे रही जब कि यह चावल वहां पर पहले से ही मौजूद था । केरल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री अजीत प्रसाद जैन ने केन्द्रीय सरकार को बता दिया था कि केरल के गौदाम खाली हो गये हैं और वहां पर गंभीर स्थिति होने वाली है । परन्तु सरकार ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और केरल के लोगों को अन्न देने की बजाय उन पर गोलियां चलाई । मैं आशा करता हूं कि यह सरकार जो गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलने का दावा करती है अब विद्रोह को दबाने के लिये गोलियों का सहारा लेने से पहले ठंडे दिल से विचार करेगी । केरल में अनाज की कमी कोई नई नहीं है । केरल में मुख्य रूप से व्यापारिक फसले पैदा की जाती है, इस लिये वहा पर अनाज की कमी होना स्वाभाविक ही है । क्या सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं । केरल देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करता है इस लिये देश के अन्य भागों के लोगों का कर्तव्य है कि वे केरल के लोगों को चावल और अनाज दे । मैं समझता हूं कि सरकार इस समस्या को बुनियादी तरीके से हल करने में नाकाम रही है । यदि सरकार ने समय पर ठीक कार्यवाही की होती तो आज यह दर्दनाक स्थिति सामने

[श्री कन्डप्पन]

न आती। यदि एक आध बार ऐसा हो जाये तो सरकार का बहाना लगाना ठीक भी है, परन्तु सरकार तो हर वर्ष बहाना लगाती है। बजाये बहाना तलाश करने के सरकार को समस्या को हल करने के लिये कोई कारगर कदम उठाने चाहिये।

श्री मोहम्मद कोया (कोज़ीकोड) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल के कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग या तो देश के अन्य भागों में खपत के लिये ले जाया जाता है या उससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। केरल को अनाज देनी की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये न कि अन्य राज्य सरकारों पर छोड़नी चाहिये। और इसके लिये यदि संविधान में संशोधन करना आवश्यक है तो वह भी किया जाना चाहिये।

केरल में प्रति व्यक्ति 12 औंस राशन निर्धारित किया गया है। इस 12 औंस में भी 6 औंस गेहूं रखा गया है। ऐसे संकट के समय में केरल के लोगों से खाने की आदतों में परिवर्तन करने के लिये कहना उनपर ज़ुलम ढाना है। ऐसी बातें शांति और समृद्धि के समय में होती हैं। एक दिन में खाने की आदतें नहीं बदली जा सकतीं। माननीय प्रधान मंत्री नहीं जानती कि इस परिवर्तन को लाने के लिये समय, शक्ति और धन की आवश्यकता है।

केरल की सारी कठिनाइयां सरकार की त्रुटिपूर्ण योजना के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। सारा हिसाब किताब और आंकड़ गलत तरीके से तयार किये जाते हैं। और इसकी सज़ा लोगों को भुगतनी पड़ती है। इस मामले में केरल के लोगों ने केरल बंद के दौरान अपने विचारों को अच्छी तरह प्रकट किया है। केरल बन्ध पूरी तरह सफल रहा है और यदि वहां की पुलिस और प्रशासन का रवैया खराब न होता तो यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता।

बेलियापट्टम जैसे स्थानों से मुझे समाचार मिले हैं कि वहां पर अदोष और ज़िम्मेदार व्यक्ति और पंचायत के सदस्यो को भारी संख्या में केवल इस कारण गिरफतार किया गया कि स्थानीय कांग्रेसी लोगों से उनके अच्छे संबंध नहीं थे।

इस समस्या को हल करने का एक तरीका तो यह है कि राज्य और जिला के सभी खाद्य खंडों को समाप्त किया जाये और एक बार फिर दक्षिणी खंड स्थापित किया जाये। उचित मूल्य वाली दूकानें खोल कर मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सकता है। कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिय शीघ्र ही वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। केरल में वसूली पद्धति भी बहुत त्रुटिपूर्ण है। थोड़ी भूमि वाले किसानों से बड़ी मात्रा में वसूली की जाती है और इससे और अधिक कठिनाई पैदा होती है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : श्रीमन, केरल सलाहकार समिति में वर्तमान राज्य-मंत्री जी गोविन्द मेनन ने सरकार की उस समय की नीति की कड़ी आलोचना की थी और मांग की थी कि हमारे साथ घटि श्रणी के नागरिकों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। अब मैं आशा करता हूं कि सरकार संवैधानिक रूप से गठित इस निकाय की आवाज़ को सुनेगी। केरल की स्थिति के बारे में हमने संसद में और सलाहकार समिति में भी आवाज़ उठाई। परन्तु सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। श्री नन्दाने, केरल की खाद्यस्थिति को हल करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। परन्तु क्या किया गया ? चार औंस की जो मात्रा दी जाती है वह केवल केन्द्रीय सहायता से ही नहीं है अपितु इसमें केरल के कृषकों से की गई वसूली भी शामिल है।

केरल में 11 लाख टन अनाज पैदा किया जाता है और 12 लाख टन अनाज केन्द्रीय सरकार को देना होता है। अब यह चावल कहां से दिया जा रहा है ? कोई नई फसल तो हुई नहीं और न ही आयात किया गया है। 1964 में भी ऐसा ही हुआ था। जब स्थिति बहुत ही अधिक खराब हो जाती है तो सरकार तेज़ी से चावल पहुंचाती है।

हमने पहले ही बता दिया था कि स्थिति बहुत खराब होती जा रही है यह काबू से बाहर हो जायेगी । केरल के लोगों को अपमानित करने और उनको क्षति पहुंचाने के बाद सरकार अब वहां चावल भेज रही है । सरकार जानती है कि वह केरल में अब कभी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है और इसलिये वह केरल के लोगों को भूखे मार कर नीचा दिखाना चाहती है ।

श्री सुब्रम्हण्यम बार बार यह कहते रहे हैं कि केरल को समाहार करना चाहिये। यह ज़िम्मेदारी किसकी है ? हम इस सरकार से पूछते हैं कि सारी वसूली सरकार द्वारा क्यों नहीं की गई थी । खाद्य निगम के निदेशक ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि केवल कुछ राज्यों को छोड़ कर किसी भी राज्य ने कोई सहयोग नहीं दिया ।

मैं इस सरकार से पूछता हूं कि 28 तारीख के बाद केरल में क्या हुआ ? पुलिस कालिज में घुस गई और विद्यार्थियों को पीटा । श्री जैन ने कहा कि कोई जांच नहीं की जायेगी । उनको बहुत डर था कि क्या पुलिस उनका सहयोग देगी । इसलिये उन्होंने पुलिस को 15,000 रु० रिश्वत के दे दिये । यह चोज़ सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित हुई है । केरल के जिन जवानों ने 2,000 मील को दूरी से आकर पाकिस्तानी मोर्चे पर युद्ध लड़ा है क्या वे केवल 4 औंस के ही हकदार हैं जब कि अन्य राज्यों में 12 से 16 औंस का राशन दिया जाता है । सारी खाद्य नीति, सारी वसूली नीति, सारी न्याय व्यवस्था भंग हो गई है । सरकार केरल में शीघ्र चुनाव के लिये आदेश क्यों नहीं देती है ? ज़िम्मेदार सरकार को आने दीजिये और उसे अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेने दीजिये । वर्तमान सरकार ज़िम्मेदार नहीं है । इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : केरल में राशन की मात्रा में कमी करना सरकार की एक बड़ी भारी गलती थी । इस में कमी करने का कोई औचित्य नहीं था । कोई कारण नहीं था कि यह समस्या सरकार की निगाह में पहले से न आती । अच्छे वर्षों में भी केरल की खाद्य समस्या कोई मामूली नहीं होती है । इस वर्ष जब कि खाद्य की इतनी भारी कमी थी, सरकार को केरल की स्थिति के बारे में पहले से विचार करना चाहिय था ।

जैसा कि डॉ० लोहिया ने बताया केरल जैसी हालत कई अन्य राज्यों में है । यह अच्छी बात है कि केरल की जनता अपनी कठिनाइयों को अच्छी तरह प्रकट कर सकी है । सरकार को केरल में अपनी गलती से सबक लेना चाहिये कि उसकी गलत खाद्य संबंधी नीतियों से अन्य राज्यों में भी केरल जैसी कठिनाइयां पैदा हो सकती है ।

अकाल, सूखे और भूखमरी का भूत आज भारत के सामने नाच रहा है । यह सही है कि समस्या बड़ी बिकट है, परन्तु लाठी चार्ज करने या गोलियां चलाने से इसको हल नहीं किया जा सकता है । वहां पर जो कुछ हुआ है उसकी जांच होनी चाहिये । भारत सरकार अपनी बनियादि ज़िम्मेदारियों को निभाने में असफल रही है । केरल पर इस समय राष्ट्रपति का शासन है और वहां के उचित प्रशासन के लिये यह संसद जिम्मेदार है । हम आशा करते हैं कि सरकार प्रधान मंत्री और खाद्य मंत्री केरलकी वर्तमान कठिनाईयों को दूर करने के लिये प्रत्येक संग प्रयत्न करेंगे । एक उचित जांच से कम किसी भी चीज से यह सभा संतुष्ट नहीं होगी । जांच के जो भी परिणाम हों वे इस सभा को बताये जाये ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, in Kerala the hunger-stricken people were lathi-charged and put in jails. The similar situation is going to happen in the other parts of the country. The Kerala Bandh was organised not by one party but almost all the parties there. The *per capita* rice given there is not sufficient even to sustain a child.

The food situation in Kerala was worsening even at time when Shri A.K. Gopalan had went on a hunger strike. On assurance given by the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shashtri that hunger strike was withdrawn by Shri Gopalan.

[Shri S. M. Banerjee]

Government is very much mistaken if it thinks that by giving little more rice to the people of Kerala it can solve the food problem. There are near-famine conditions in other parts of the country such as U.P., Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan. To get out of the difficulties we are now holding the bowl before the American President. For how long this process will continue? Instead of finding out measures for solving the problem, the Government was occupied with its political activities as to whom should be given the reigns of Government and what candidates should be set up for the election.

I am afraid that if proper steps are not taken, a situation like that of Kerala can develop in other states and in the whole of India. It is alleged that this trouble has been started by leftist communists. I cannot understand this. They have been put behind the bars. How can they be responsible for strike in Kerala? I say that it is the wrong policy of Government which is responsible for all this difficult situation. In Calcutta also the quantity of ration supplied is inadequate.

I have been elected from Kanpur in U.P. The rationing is going to be introduced there with effect from the 16th. If similar situation develops there, I can say, that city will also observe strike. We have already heard a slogan of Bharat Bandh. Government should take note of all this. We cannot allow to be repeated what had happened in 1943. People of this country will not die a coward's death. They will die while agitating.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The Central Government is responsible for the difficult food situation in Kerala. The state is under president's rule. Thus it becomes the duty of Central Government to maintain adequate supplies to that state. The Governor of Kerala has also not done proper by resigning at the time of this crisis.

The zonal system has been responsible for this famine in Kerala. We find that rice is available at very cheap rates in the adjoining states of Madras and Andhra Pradesh. Moreover, the *per capita* quantity supplied in other states is almost double than it is in Kerala. The State Governments take undue advantage of zonal system. They indulge in profiteering. I know about the Madhya Pradesh Government. It purchases foodgrains at cheaper rates and sells at higher rates.

I want that the students who have been arrested, should be released forthwith and prosecutions against them should be withdrawn. I demand that a judicial inquiry should be held against the police excesses. Police has created a sense of terror in the state. Innocent people have been subjected to cruel atrocities by the Police. All this should be investigated.

Government should not give discriminatory treatment to the people of Kerala. They belong to this country and should be given all help expeditiously. That is the way a democracy should function.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : आजकल केरल के लोगों में क्षुब्धता की भावना पाई जाती है । वे समझते हैं कि उन के साथ ज्यादती की गई है । इस प्रकार की भावनाओं का उन्होंने हाल ही में प्रदर्शन भी किया है । यहां पर भी कुछ उत्तेजनापूर्ण भाषण किये गये हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जनता के समक्ष किस प्रकार के भाषण किये गये होंगे ।

इस समय मुख्य बात यह है कि केरल में सामान्य स्थिति कैसी उत्पन्न की जाये ? केरल की स्थिति पर प्रधान मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्रियों, गृह-कार्य मंत्री तथा केरल के राज्यपाल की एक बैठक में विचार हुआ था । उस बैठक में केरल के राज्यपाल ने वहां की स्थिति का ब्यौरा दिया

था । यह निर्णय किया गया था कि सब से पहले वहां पर सामान्य स्थिति उत्पन्न की जाये और प्रति व्यक्ति 160 ग्राम राशन फिर से दिया जाने लगे । जब तथ्यों को देखा गया तो कई मुख्य मंत्रियों का विचार था कि उनके राज्यों में स्थिति और भी अधिक खराब है । जैसा कि हाल के संघर्ष के समय सभी राज्यों ने सहयोग दिया था केरल की समस्या पर भी सभी मुख्य मंत्रियों ने सहयोग का आश्वासन दिया है ।

हमने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि राशन में जो कटौती की है वह मार्च के उत्तरार्ध में समाप्त कर दी गई है । अब हमारे लिये यह आवश्यक है कि वहां पर राशन की मात्रा बढ़ाने से पहले एक स्टाक स्थापित करें । केरल के लोगों को यह समझना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार केरल के लोगों की हर प्रकार की सहायता चाहती है ।

मैं वर्तमान स्थिति के कारणों के बारे में बताना चाहता हूं । कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि दक्षिण के राज्यों का एक ज़ोन समाप्त करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

1961 से 1963 तक लगभग 7 से 8 लाख टन अनाज केरल को भेजा जाता था और वर्षा काल में वहां के निर्धन वर्ग को अधिक मात्रा में चावल दिया जाता था । केन्द्र सरकार लगभग दो लाख टन भेजती थी इस प्रकार लगभग $10\frac{1}{2}$ लाख टन वहां पहुंचता था । यह उस समय की बात है जब अबाध व्यापार होता था । 1964 में स्थिति बिगड़ गई और मद्रास तथा आंध्र प्रदेश में भी मूल्य चढ़ गये और अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई । उस समय मद्रास तथा आंध्र प्रदेश ने केरल को चावल की सप्लाई बन्द कर दी । हमने सम्बधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई और केरल को चावल देने के बारे में प्रबन्ध किया था । केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था आरम्भ की गई थी ।

केरल में आन्तरिक उत्पादन वहां की कुल खपत के आधे के बराबर है । आधी मांग बाहर से मंगाये गये अनाज से पूरी की जाती है । केरल में वहां की जनसंख्या को ध्यान रखते हुए चावल और गहूं सप्लाई की गई थी । अनुमान लगाने वालों को वहां के उत्पादन को भी ध्यान में रखना चाहिये । 1964 में केरल को 9.3 लाख टन चावल दिया गया था और लगभग इतनी ही गेहूं दी गई थी । इस प्रकार वहां पर चावल और गेहूं फालतू था ।

देश के अन्य भागों में मोट अनाज को भी प्रयोग में लाया जाता है परन्तु खेद की बात है कि केरल में ऐसी स्थिति नहीं है । वहां के लोग मोटे अनाज के स्थान पर टैपियोका का प्रयोग करते है । इस वर्ष इसका उत्पादन लगभग 25 लाख टन हुआ । इसमें से 5 लाख टन का निर्यात हुआ है और शेष स्थानीय खपत के लिये उपलब्ध था । इसके अतिरिक्त वहां मछली भी खाई जाती है । साथ के अन्य राज्यों से तुलना करते समय हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

1964 में हमें मालूम नहीं था कि इतना भयंकर सुखा पड़ेगा । इस लिये हम प्रस्तावित मात्रा में चावल केरल को नहीं दे पाये और न ही उत्पादन हमारी आशाओं के अनुरूप हुआ । इस सूखे का पूरे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । मद्रास में 14 लाख एकड़ भूमि पर इस सूखे का प्रभाव पड़ा है । मैटूर जलाशय का पानी बिल्कुल नीचे उतर गया है । आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति हो गई है और उत्पादन में कमी हो गई है ।

1965 के आरम्भ हमने 7.5 लाख टन चावल का आयात किया था परन्तु पाकिस्तानी आक्रमण के कारण विदेशी सहायता बन्द हो गई थी और चावल का आयात बन्द हो गया था । इस प्रकार 1965 के अन्त में स्थिति बहुत कठिन हो गई । साथ में सूखे की स्थिति भी चल रही थी ।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

हमें इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये । फिर मद्रास और आंध्र प्रदेश को अपनी आवश्यकताएं भी पूरी करनी थी । हमने अपनी ओर से पूरा पूरा प्रयत्न किया कि खाद्यान्नों की सप्लाई नियमित रूप से चलती रहे। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्रीजी ने दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यहां बुलाया और उन्हों ने जनवरी फरवरी में और चावल देने का आश्वासन दिया था । यह एक प्रकार की अस्थायी व्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में राशन 120 ग्रॅम करना पड़ा था ।

जब हमने देखा कि इस से असंतोष फैल रहा है और हमारे नये प्रधान ने केरल की स्थिति पर विचार किया । जब हमें पता चला कि केरल बन्ध होने जा रहा है प्रधान मंत्री ने अपील की कि ऐसा न किया जाये और सरकार शीघ्र ही राशन की मात्रा बढ़ाने जा रही है । खेद की बात है कि उस के बावजूद हड़ताल हुई । प्रधान मंत्री ने कहा कि हम स्थिति पर फिर विचार करेंगे और हड़ताल न की जाये और केरल को और चावल देने की पूरी कोशिश की जायेगी । इस के बावजूद वहां पर हड़ताल हुई और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुचांई गई । राज्य की 143 बसों को क्षति पहुचांई गई। 9 स्थानों पर रेलवे लाइन को हानि पहुंचाई गई .... (अन्तर्बाधायें)

श्री वासुदेवन नायर : यह सब गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती ।

श्री वासुदेवन नायर : आप उनको गलत और झूठी बाते कहने से रोकें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस सदन की एक समिति जांच करे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is not true. These buses were damaged by the Police. This allegation is not true.

Mr. Speaker : I cannot conduct the proceeding if things go on like that.

श्री वासुदेवन नायर : मैं जानता हूं कि केरल का आंदोलन बिल्कुल शान्तिपूर्ण था ।

श्री रंगा : श्रीमान, आप चाहते थे कि हम धैर्य से सुनें परन्तु वह चाहते है कि जो कुछ भी वह कहें हम उसे तथ्य मानें। वह स्वयं ठीक स्थिति से अवगत नहीं हैं। वहां के लोग उत्तेजित है । माननीय मंत्री को गलत बात नही कहनी चाहिये । मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग नही किया और मद्रास तथा आंध्र प्रदेश को चावल भेजने पर बाध्य नहीं किया (अन्तर्बाधायें)

श्री दाजी (इन्दौर) : उन्हें क्षमा मांगनी चाहिये और अपना गलत वक्तव्य वापिस लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कह सकता हूं कि वह यह वक्तव्य सभा पटल पर रख दें ।

श्री ही ना० मुकर्जी : आप एक ऐसी चीज को सभापटल पर रखने को कह रहे हैं जिसकी सत्यता पर सन्देह है । और यह कहा गया कि यह गलत है । ऐसी चीज़ को सभा की कार्यवाही मे कसे शामिल कर सकते हैं ?

Mr. Speaker : I do not say that what he is saying is correct. There can be some doubt to somebody or some one may not agree to what he is saving, but we should listen to him patiently.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या एक मंत्री महोदय के लिये उचित है कि ऐसा वक्तव्य दें जिस के ठीक होने के बारे में संदेह है ?

Mr. Speaker : Let Shri Kachhavaiya finish.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The statement of the hon. Minister is wrong. It should not be placed on the table.

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister is not aware of the facts. This statement should not be placed on the table of the House.

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : प्रक्रिया सम्बन्धी नियम संख्या 368, और 370 के अनुसार माननीय मंत्री यह वक्तव्य सभा पटल पर नहीं रख सकते। इस लिये यह नहीं होना चाहियें।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : केरल की समस्या प्रतिपक्ष वालों ही की समस्या नहीं है। यह सभी की चिन्ता का विषय है।

Shri Vibhuti Mishra : The hon. Minister has been listening to the charges levelled by opposition Members. Now when he wants to answer, he is not heard. It is not proper. We also know to give befitting reply. Now they should listen patiently.

Mr. Speaker : When the hon. Minister is not being allowed to explain his point, I have asked him to lay his statement on the table. When I say that it should be laid on the Table, it does not mean, that it is a part of the proceedings. I can ask for expunging the objectionable portion thereof.

श्री ही० ना० मुकर्जी : जब आप वक्तव्य को सभापटल पर रखने की आज्ञा दे देंगे तो वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जायेगा। मैं यह नहीं समझ सका कि आप इसको कैसे सभा पटल पर रखने की आज्ञा दे रहे हैं। इस की सत्यता को चुनौती दी जा रही है। केरल की वास्तविक स्थिति का उल्लेख करने के स्थान पर वह, दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे है। यह उचित नहीं है। इस समय हम केरल की खाद्य स्थिति के बारे में विचार कर रहे और जानना चाहते है कि सरकार किस प्रकार असफल रही है। हम प्रदर्शनों के बारे में जानने के इच्छुक नहीं हैं। इस समय देश के सामने ठीक स्थिति रखी जानी चाहिये। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस पर पुनः विचार करें और इस वक्तव्य को सभापटल पर रखने की आज्ञा न दें। माननीय मंत्री को खाद्यान्नों सम्बन्धी स्थिति के बारे में बात करनी चाहिये।

श्री सुब्रह्मण्यम : श्री वासुदेवन नायर ने रक्त से सने कपड़े दिखाये थे और उसके बारे में उल्लेख सभा की कार्यवाही में हुआ है। यह चीज़ जब हुई तो मुझे भी तथ्यों को सभा के समक्ष रखना पड़ा यदि आरोप नहीं लगाये जाते तो मुझे भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। **(अन्तंबाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा दलों के नेताओं से अनुरोध है कि वे अपने दलों के सदस्यों को शान्त रहने को कहें। जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा है उस पर सन्देह हो सकता है उसकी सत्यता जानी जा सकती है। मैं उसपर निर्णय नहीं दे सकता।

श्री सुब्रह्मण्यम : यहां पर कहा गया है कि मद्रास तथा आंध्र प्रदेश को जो सहायता दी गई है वह केरल को नहीं दी गई है।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आपने स्थगन प्रस्ताव केरल के लोगों के बारे में चिन्ता प्रकट करने के लिये स्वीकार किया था। श्री सुब्रह्मण्यम में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने की चेष्ठा की है। इस प्रकार की अन्तंबाधाएं होने से काम किस प्रकार चल सकता है। हम सब को केरल के लोगों की कठिनाइयों से चिन्ता है और हम स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आप से अनुरोध है कि श्री सुब्रह्मण्यम को बात स्पष्ट करके समाप्त करने दें। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री सुब्रह्मण्यम : इस प्रकार शोर होने से हम विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते । मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि केरल के साथ कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा । यह सरकार की ज़िम्मेदारी होगी कि खाद्यान्नों का वितरण ठीक ढंग से हो । मुझे यही कहना है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The hon. Minister of Food has assured that supply of 160 grams of rice would be restored in Kerala from 15th March. I cannot say if this assurance would be fulfilled. In this way people of Kerala have been given a date. I do not know whether it would honoured.

He has said that Government is not responsible for this difficult situation of Kerala. I want that an impartial enquiry should be ordered into all this. I am sure that the Ministry of Food would be found guilty for this. The people of Kerala were compelled to resort to violence by the circumstances. A hungry man would do anything.

I find the Chief Ministers of states are becoming more dominent. They impose decisions on Central Ministers. It was said at Jaipur Session of Congress Party that zonal scheme regarding food grains would be examined, but that proposal, it seems, has been shelved at the instance of some Chief Ministers. It is not proper. I feel that some sort of super Parliament has been formed.

The hon. Minister of Food has tried to prove that he is not responsible for this muddle. If you go into the statistics of last 15 years, it would be found that the food production has almost doubled during this period. I cannot understand why this type of situation develops. I hold this Government responsible for this. I appeal that any motion may be passed.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, you have ordered that the lobbies should be cleared. It means that those who are not members of this House should leave. According to Article 74 of the Constitution the Prime Minister shall be leader of the Council of Minister. According to Article 75 the Council of Ministers shall be responsible to this House. In England it is the practice that the Prime Minister is the Member of the Lower House. I want that Smt. Indira Gandhi should come after election to this House. My objection is that she cannot sit in the House at this time.

Mr. Speaker : The points raised under Articles 74 and 75 do not apply here at this moment. A Minister who is not a Member of this House, can participate in discussions but he cannot vote.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि सभा अब स्थगित हो ।'

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha Divided.*

पक्ष में 47, विपक्ष में 149 ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The motion was negatived.*

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

43वां प्रतिवेदन

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का त्रितालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

77वां प्रतिवेदन

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 77वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार 16 फरवरी, 1966/27 माघ, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February 16th 1966/Magah 27, 1887 (Saka).

भा. स. मु. ना.—वि. ४—१८ लोक सभा/६६—३१-५-६७—६००